www.raceias.com

RACE IAS

करेंट अफेयर्स

दिसम्बर, 2025 | ₹ 60/-

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग तथा
अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

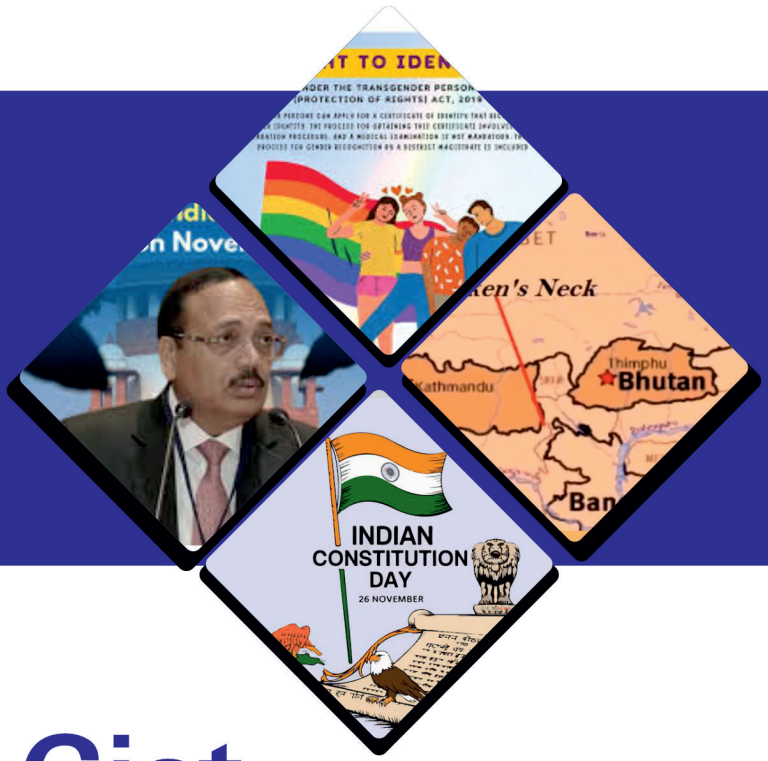

HAMMER Precision Weapon System

Gist of

THE HINDU | pib PRESS INFORMATION BUREAU | The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE | Kurukshetra A JOURNAL ON RURAL DEVELOPMENT | YOJANA

Raghav Publication House

अनुक्रमणिका

एआई और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (सीटी) पाठ्यक्रम ---------- 1
सरदार वल्लभभाई पटेल ---------- 1
आदर्श युवा ग्राम सभा पहल ---------- 2
पाक-अफगान सीमा विवाद ---------- 3
यूएनईपी अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025 ---------- 4
विनिर्माण की पुनर्कल्पना ---------- 5
कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैंप पोर्टल ---------- 6
भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह: जीसैट-7आर ---------- 7
कर्नाटक स्थायी राज्य जल आयोग की योजना बना रहा है ---------- 7
भारत में रामसर स्थल और आर्द्रभूमि ---------- 8
घरेलू वित्तीय व्यवहार पर आरबीआई डेटा ---------- 9
केरल को अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया ---------- 10
बेमौसम बारिश के कारण प्याज की फसल पर संकट ---------- 11
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) ---------- 12
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ---------- 12
ऊर्जा दक्षता ---------- 14
उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ईएसटीआईसी) ---------- 15
भारत-बहरीन संबंध ---------- 15
रोउमारी-डोंडुवा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ---------- 15
सरोगेसी प्रतिबंध और सर्वोच्च न्यायालय की याचिका ---------- 16
ब्रिक्स बनाम स्विफ्ट---------- 17
पश्चिमी विक्षोभ ---------- 18
भारतीय हॉकी के 100 वर्ष (1925-2025) ---------- 19
ब्रिक्स पे ---------- 20
फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का पहला निर्यात ---------- 21
विजयनगर साम्राज्य ---------- 21
ब्लैक होल के टुकड़े ---------- 22
न्यायालय की अवमानना ---------- 23
लाल बौने तारे पर कोरोनाल मास इजेक्शन (सीएमई) ---------- 23
नियोडिमियम (दुर्लभ पृथ्वी तत्व) ----------24
बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती ---------- 24
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियम, 2025 ---------- 25
तुर्काना झील ----------25
भारत की अधीनस्थ न्यायपालिका ----------26

RACE IAS

प्रेसिजन बायोथेरेप्यूटिक्स ---------- 27
ई-जागृति प्लेटफॉर्म ---------- 28
जलवायु परिवर्तन और व्यापार पर एकीकृत मंच (आईएफसीसीटी) ---------- 29
16वां वित्त आयोग और स्थानीय निकाय ---------- 30
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), ---------- 30
भारतीय निचली न्यायपालिका ---------- 31
भारत-अफ्रीका संबंध ---------- 32
अफ़्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) ----------33
अमेरिका के साथ भारत का पहला बड़ा एलपीजी आयात सौदा ---------- 34
सिलीगुड़ी कॉरिडोर ---------- 34
केंद्र सरकार ने चार नए लेबर कोड नोटिफाई किए ---------- 35
भारत-अफ्रीका संबंध ----------36
अनुच्छेद 240 और चंडीगढ़ विवाद ---------- 37
भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग ---------- 37
माउंट सेमेरू ---------- 38
जी20 शिखर सम्मेलन 2025 ---------- 38
भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश ---------- 39
भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) विधेयक 2025 ---------- 40
माउंट सेमेरू ज्वालामुखी (इंडोनेशिया) ---------- 40
भारत में हिरासत में टॉर्चर और पुलिस सुधार ---------- 42
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न: POSH अधिनियम, 2013 ---------- 42
अमेरिका-सऊदी अरब संबंध और भारत ---------- 43
हैमर प्रिसिजन वेपन सिस्टम ---------- 44
फुजिवारा प्रभाव ---------- 45
हेली गुब्बी ज्वालामुखी---------- 45
संविधान दिवस, भारत ---------- 45
एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना ---------- 46
भारत का तेल आयात और मुद्रा अवमूल्यन ---------- 47
एलसीए तेजस ---------- 47
IMF भारत के फॉरेक्स फ्रेमवर्क के क्लासिफिकेशन में बदलाव करेगा ---------- 48
श्री गुरु तेग बहादुर ---------- 48
कृषि परिवर्तन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ---------- 49
राष्ट्रीय न्यायिक नीति ----------50
यूएन ईएससीएपी एशिया-प्रशांत आपदा रिपोर्ट 2025 ---------- 51
एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (EIR) प्रोग्राम ---------- 52
सिरपुर पुरातात्विक स्थल ---------- 52
यूज़र-जेनरेटेड इंटरनेट कंटेंट को रेगुलेट करना ---------- 53

RACE IAS

करेंट अफेयर्स

एआई और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (सीटी) पाठ्यक्रम

संदर्भ

अक्टूबर 2025 में, शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से शुरू होकर, कक्षा 3 से भारत भर के सभी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (सीटी) पर एक संरचित पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।

समाचार के बारे में

यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) 2023 के तहत व्यापक सुधारों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा में एआई और सीटी को आधारभूत विषय बनाना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि छात्र डिजिटल अर्थव्यवस्था और 21वीं सदी की तकनीकी मांगों के लिए तैयार हों।

उद्देश्य:

- छात्रों में तार्किक तर्क, समस्या समाधान, डेटा साक्षरता और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार विकसित करना।
- "सार्वजनिक भलाई के लिए एआई" के विचार को बढ़ावा देना, तथा सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी के साथ संरेखित नवाचार को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताऐं:

- एनईपी 2020 और एनसीएफ-एसई 2023 के साथ संरेखण: लचीलेपन, समावेशिता और प्रासंगिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना।
- 2026-27 से कार्यान्वयन: भारत के सभी बोर्डों और स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
- शिक्षक तैयारी: निष्ठा मॉड्यूल, वीडियो-आधारित उपकरण और व्यावहारिक प्रदर्शनों के माध्यम से प्रशिक्षण।
- "हमारे आसपास की दुनिया" (TWAU) के साथ एकीकरण: एआई और सीटी सीखने को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों और सामाजिक संदर्भों से जोड़ना।

महत्व

- प्रारंभिक डिजिटल साक्षरता का निर्माण करता है और प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में नैतिक जागरूकता को बढ़ावा देता है।
- तकनीकी रूप से कुशल और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कार्यबल तैयार करने की भारत की क्षमता को मजबूत करता है।
- ऐसे नवाचार को प्रोत्साहित करता है जो समावेशिता, रचनात्मकता और राष्ट्रीय विकासात्मक प्राथमिकताओं को जोड़ता है।

संवैधानिक और नीतिगत संदर्भ

- अनुच्छेद 21ए (शिक्षा का अधिकार) और एनईपी 2020 ढांचे पर आधारित, आधुनिक शिक्षा तक समान पहुंच पर जोर दिया गया है।
- यह शासन, समावेशन और सशक्तिकरण के लिए शिक्षा में उभरती प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के सरकार के प्रयास को दर्शाता है।

चुनौतियां

- ग्रामीण और शहरी स्कूलों में प्रशिक्षण और डिजिटल बुनियादी ढांचे तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।
- बच्चों के प्रारंभिक प्रौद्योगिकी अपनाने और मानसिक-सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखना।
- प्रासंगिक और नैतिक शिक्षण के माध्यम से एआई-सीटी अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना।

आगे बढ़ने का रास्ता

- क्षमता निर्माण: सतत शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल बुनियादी ढांचे में वृद्धि।
- पाठ्यक्रम नवाचार: समस्या-आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, जिससे कम उम्र से ही कम्प्यूटेशनल सोच को बढ़ावा मिले।
- नैतिक संवेदनशीलता: स्कूल स्तर के कार्यक्रमों के माध्यम से जिम्मेदार प्रौद्योगिकी उपयोग और डेटा नैतिकता को प्रोत्साहित करें।
- सहयोगात्मक साझेदारियां: पाठ्यक्रम विकास और संसाधन निर्माण में एडटेक फर्मों, शैक्षणिक संस्थानों और एआई शोधकर्ताओं को शामिल करना।

निष्कर्ष:

एआई और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग पाठ्यक्रम की शुरूआत भारतीय शिक्षा में एक परिवर्तनकारी कदम है, जो एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसका उद्देश्य छात्रों को जिम्मेदार, कुशल और नैतिक डिजिटल नागरिक के रूप में तैयार करना है जो स्थायी तकनीकी प्रगति में योगदान करने में सक्षम हों।

सरदार वल्लभभाई पटेल

प्रसंग

संस्कृति मंत्रालय, भारत की एकता और अखंडता के सूत्रधार **सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के** उपलक्ष्य में **राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर 2025) पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री इस राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि** होंगे और राष्ट्र के प्रति पटेल के योगदान पर प्रकाश डालेंगे।

समाचार के बारे में

प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि

31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में जन्मे सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपने करियर की शुरुआत एक **वकील के रूप में की थी, जो अपनी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे** । उनके प्रारंभिक जीवन में दृढ़ संकल्प और आत्म-अनुशासन झलकता था, यही गुण आगे चलकर उनके नेतृत्व को परिभाषित करते थे। राष्ट्रवादी आदर्शों से प्रेरित होकर, वे एक कानूनी पेशेवर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित एक जननेता बन गए।

सार्वजनिक जीवन में प्रवेश

पटेल का एक राजनीतिक नेता के रूप में रूपांतरण **खेड़ा सत्याग्रह (1918)** के दौरान **महात्मा गांधी के साथ उनके जुड़ाव से हुआ** , जहाँ उन्होंने अन्यायपूर्ण कराधान से पीड़ित किसानों के हितों की रक्षा की। जन कल्याण के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें एक जननेता के रूप में व्यापक सम्मान दिलाया और उनकी राजनीतिक यात्रा की नींव रखी।

स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पटेल **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक के रूप में उभरे ।

- उन्होंने **बारदोली सत्याग्रह (1928) का नेतृत्व किया , जो दमनकारी भूमि करों के विरुद्ध एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन था। उनके सफल नेतृत्व के कारण उन्हें "सरदार" की** उपाधि मिली , जिसका अर्थ है नेता।
- **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कराची अधिवेशन, 1931) के अध्यक्ष** के रूप में , उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान पार्टी का मार्गदर्शन किया, **संवैधानिक अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया** ।
- **महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद** के साथ मिलकर काम किया और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक भविष्य को आकार देने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों में योगदान दिया।

राष्ट्रीय एकता के वास्तुकार

भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री (1947-1950) की भूमिकाएँ निभाईं । उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि **565 रियासतों का** भारतीय संघ में एकीकरण था, जो **कूटनीति, दूरदर्शिता और दृढ़ता के माध्यम से प्राप्त एक महान कार्य था**।

प्रमुख योगदानों में शामिल हैं:

- **जूनागढ़, त्रावणकोर और भोपाल** जैसी **रियासतों का** शांतिपूर्ण तथा रणनीतिक एकीकरण ।
- **जम्मू और कश्मीर का विलय (1947)** विलयन पत्र के माध्यम से।
- **हैदराबाद संकट (ऑपरेशन पोलो, 1948)** का निर्णायक निपटारा , जिससे राष्ट्रीय क्षेत्र का एकीकरण सुनिश्चित हुआ।
- नव स्वतंत्र राष्ट्र में प्रशासनिक निरंतरता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए **अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस, आईपीएस, आदि)** की स्थापना , जिसे उन्होंने **"भारत का स्टील फ्रेम"** कहा ।

एकीकृत, स्थिर और प्रशासनिक रूप से मजबूत संघ के रूप में उभरा - एक विरासत जो देश की शासन संरचना को परिभाषित करती रही है।

दृष्टि और विरासत

सरदार पटेल ने **अनुशासन, अखंडता और आत्मनिर्भरता से एकजुट भारत की कल्पना की थी** । शासन के प्रति उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण ने राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासनिक एकता और सामाजिक सद्भाव पर ज़ोर दिया।

- उनकी दूरदृष्टि ने बाद में राष्ट्रीय मील के पत्थर जैसे **गोवा का विलय (1961)** , **सिक्किम का परिग्रहण (1975)** और यहां तक कि **अनुच्छेद 370 (2019) को निरस्त करने के लिए आधार तैयार किया** - ये सभी पूर्ण क्षेत्रीय एकीकरण के उनके विचार के अनुरूप थे।
- उनके अद्वितीय योगदान के सम्मान में, **2018 में गुजरात के केवड़िया में** उद्घाटित **'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा (182 मीटर)** है । यह **राष्ट्रीय गौरव, एकता और नेतृत्व** का वैश्विक प्रतीक है ।

अनोखे तथ्य और योगदान

- **"भारत के लौह पुरुष"** के नाम से लोकप्रिय पटेल के नेतृत्व में करुणा और अडिग शक्ति का मिश्रण था।
- **अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष (1924)** के रूप में , उन्होंने व्यक्तिगत रूप से **स्वच्छता और स्वास्थ्य अभियानों का नेतृत्व किया** , तथा नागरिक जिम्मेदारी और नैतिक शासन के उच्च मानकों को स्थापित किया।
- **जमीनी स्तर पर शासन, सहकारी संघवाद और प्रशासनिक अनुशासन** पर उनका ध्यान भारत की राजनीतिक और नौकरशाही प्रणालियों को प्रेरित करता रहा है।

आदर्श युवा ग्राम सभा पहल

संदर्भ

पंचायती राज मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से पूरे भारत में युवा छात्रों के बीच लोकतांत्रिक नेतृत्व और भागीदारीपूर्ण शासन को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में **मॉडल युवा ग्राम सभा (एमवाईजीएस) पहल शुरू की।**

समाचार के बारे में:

मॉडल युवा ग्राम सभा (एमवाईजीएस) एक राष्ट्रव्यापी, स्कूल-आधारित पहल है जो मॉडल यूएन सिमुलेशन से प्रेरित है। इसका उद्देश्य कक्षाओं में ग्राम सभाओं की कार्यप्रणाली को दोहराकर छात्रों को जमीनी स्तर के लोकतंत्र से परिचित कराना है। यह कार्यक्रम शिक्षा को शासन से जोड़ता है और छात्रों की नागरिक जागरूकता और नेतृत्व क्षमता को पोषित करता है।

संगठन:

- पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया।
- जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी), एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) और राज्य सरकार के विद्यालयों द्वारा समर्थित।

उद्देश्य:

- नकली ग्राम सभा सत्रों के माध्यम से सहभागी निर्णय लेने में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना।
- अनुभवात्मक और गतिविधि-आधारित शिक्षा के माध्यम से लोकतांत्रिक नेतृत्व, टीमवर्क, नागरिक जिम्मेदारी और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के बारे में जागरूकता विकसित करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के लक्ष्यों के साथ संरेखित करें, समुदाय-उन्मुख, जिम्मेदार नागरिकों को बढ़ावा दें।

प्रमुख विशेषताऐं:

- इसे देश भर के 1,000 से अधिक स्कूलों में लागू किया जाएगा, जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से कक्षा 9-12 के विद्यार्थी होंगे।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल, एमवाईजीएस डिजिटल पोर्टल, प्रमाणपत्र और क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का एकीकरण।
- करके सीखना: छात्र सरपंच, वार्ड सदस्य, ग्राम अधिकारी की भूमिका निभाते हैं, तथा मिलकर गांव का बजट और विकास योजनाएं तैयार करते हैं।
- शहरी स्कूलों में मॉडल वार्ड सभाओं का विस्तार करने की योजना बनाई गई है।

महत्व:

- शिक्षा और शासन के बीच सेतु का काम करता है, तथा छात्रों को लोकतंत्र और जमीनी स्तर पर निर्णय लेने में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- जमीनी स्तर पर जागरूकता को मजबूत करना और छात्रों को सूचित, जिम्मेदार भविष्य के नेताओं में बदलना, 2047 तक विकसित भारत के विजन में योगदान देना।

यह पहल भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने और विकास के लिए सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में युवाओं को सक्रिय हितधारक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

पाक-अफगान सीमा विवाद

संदर्भ:

2025 में पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच तनाव तेज़ी से बढ़ गया जब पाकिस्तान ने डूरंड रेखा से लगे अफ़ग़ान प्रांतों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकवादियों को निशाना बनाकर सीमा पार हवाई हमले किए और उसके बाद अफ़ग़ानिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसने दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और सबसे जटिल सीमा विवादों में से एक को फिर से ज़िंदा कर दिया।

समाचार के बारे में

डूरंड रेखा क्या है?

- 1893 में सर मोर्टिमर डूरंड और अमीर अब्दुर रहमान खान द्वारा ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच प्रशासनिक सीमा के रूप में 2,640 किमी लंबी सीमा निर्धारित की गई थी।
- इसने पश्तून जनजातीय क्षेत्र को विभाजित कर दिया, परिवारों, जातीय समुदायों और व्यापार नेटवर्क को विभाजित कर दिया, जिनकी पहले कोई सीमा नहीं थी।

संघर्ष की उत्पत्ति

- यद्यपि शुरुआत में ब्रिटिश दबाव के कारण इसे स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन अफगानिस्तान ने डूरंड रेखा को कभी भी स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता नहीं दी।
- 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के बाद, अफगानिस्तान ने इस रेखा को अस्वीकार कर दिया तथा पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम में पश्तून क्षेत्रों पर अपना अधिकार जताया।
- अफ़गानिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रवेश का विरोध किया, जिससे एक लम्बा कूटनीतिक विवाद शुरू हो गया।

ऐतिहासिक समयरेखा

- 1947-61: "पश्तूनिस्तान" की मांग को लेकर बार-बार कूटनीतिक विफलताएं।
- 1979-89: सोवियत आक्रमण ने सीमा को शीत युद्ध का युद्धक्षेत्र बना दिया; पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों और मुजाहिद्दीन को शरण दी।
- 1990 का दशक: पाकिस्तानी समर्थन से तालिबान के सत्ता में आने से अफगानों में संदेह बढ़ गया।
- 2001-21: 9/11 के बाद आतंकवादियों को शरण देने के परस्पर आरोप - पाकिस्तान में अफगान तालिबान और अफगानिस्तान में टीटीपी।
- 2017 के बाद: पाकिस्तान ने सीमा पर बाड़ लगा दी, जिसका काबुल ने विरोध किया।
- 2025: अफगान प्रांतों पर पाकिस्तान के हवाई हमलों और अफगान जवाबी कार्रवाई के साथ हिंसक झड़पें, जो सीमा पार झड़पों में बदल जाएंगी।

विवाद की मुख्य विशेषताएं

- डूरंड रेखा पश्तून जनजातियों को विभाजित करती है, जिससे जातीय और सांस्कृतिक दरारें पैदा होती हैं।
- सीमा पर चल रही झड़पें, शरणार्थियों की आवाजाही और उग्रवादी घुसपैठ सीमांत क्षेत्र को अस्थिर बना रही हैं।
- दोनों देश एक-दूसरे पर विद्रोहियों और उग्रवादियों को समर्थन देने का आरोप लगाते हैं, जिससे शांति की संभावनाएं जटिल हो जाती हैं।
- यह विवाद औपनिवेशिक विरासत के मुद्दों और आपसी अविश्वास का प्रतीक है, क्योंकि 1947 के बाद कोई औपचारिक सीमा समझौता नहीं हुआ है।

भारत के लिए निहितार्थ

- पाकिस्तान के क्षेत्रीय प्रभाव के कमजोर होने से अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भारत के लिए कूटनीतिक स्थान पैदा होता है।
- अस्थिरता क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, जिससे चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) के माध्यम से भारत के पहुंच मार्ग प्रभावित हो रहे हैं।
- उग्रवाद फैलने का बढ़ता जोखिम भारत के आतंकवाद-रोधी परिदृश्य को प्रभावित करता है।

नव गतिविधि

- 2025 का संघर्ष तब शुरू हुआ जब टीटीपी आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने काबुल और पक्तिका सहित अफगान प्रांतों में टीटीपी नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमले किए।
- अफगान बलों ने जमीनी गोलीबारी से जवाबी कार्रवाई की, जिससे दोनों पक्षों को नुकसान हुआ और कतर तथा तुर्की को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए बाध्य होना पड़ा।
- अक्टूबर 2025 में युद्धविराम समझौता हुआ, जिसे शांति बनाए रखने के लिए निगरानी तंत्र के साथ बढ़ाया गया, हालांकि अंतर्निहित तनाव अभी भी बना हुआ है।

यह जारी संघर्ष डूरंड रेखा विवाद के जटिल ऐतिहासिक, जातीय और भू-राजनीतिक आयामों को रेखांकित करता है, जिसका दक्षिण एशियाई सुरक्षा और स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है।

यूएनईपी अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने "रनिंग ऑन एम्प्टी" शीर्षक से अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025 जारी की, जिसमें विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन वित्त में गंभीर कमी पर प्रकाश डाला गया है, तथा चेतावनी दी गई है कि यह अंतर काफी बढ़ गया है।

रिपोर्ट के बारे में

यह रिपोर्ट क्या है?

वैश्विक संस्थाओं और विशेषज्ञों के योगदान से यूएनईपी-कोपेनहेगन जलवायु केंद्र द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट, जलवायु अनुकूलन योजना, कार्यान्वयन और वित्त पोषण पर वैश्विक प्रगति का आकलन करती है। यह रिपोर्ट मापती है कि देश, विशेष रूप से विकासशील देश, जलवायु लचीलापन लक्ष्यों को प्राप्त करने से कितनी दूर हैं।

मुख्य अंश

- विकासशील देशों को 2035 तक प्रतिवर्ष 310-365 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी (मुद्रास्फीति के लिए संभवतः 440-520 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक समायोजित) ताकि वे जलवायु जोखिमों से प्रभावी रूप से निपट सकें, जिसमें बाढ़ और गर्म लहर जैसी तीव्र घटनाएं, तथा सूखा और समुद्र-स्तर में वृद्धि जैसे धीमी गति से होने वाले प्रभाव शामिल हैं।
- वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन वित्त केवल लगभग 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2023) है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष लगभग 284-339 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय अंतर है, जिसका अर्थ है कि अनुकूलन निधि आवश्यकता से 12-14 गुना कम है।
- ग्लासगो जलवायु समझौते के तहत अनुकूलन वित्त को 2019 के स्तर से दोगुना करके 2025 तक लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य संभवतः पूरा नहीं हो पाएगा।
- अनुकूलन वित्त का लगभग 58% ऋण-आधारित है, जिसमें कई गैर-रियायती ऋण भी शामिल हैं, जिससे "अनुकूलन ऋण जाल" के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कमजोरियों को बढ़ाती हैं।

प्रगति और चुनौतियाँ

- अध्ययन किए गए 197 देशों में से 172 के पास कम से कम एक राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (एनएपी) या ढांचा है, हालांकि 36 पुराने हो चुके हैं, जिससे जलवायु संबंधी उभरते खतरों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया सीमित हो गई है।
- जैव विविधता, कृषि, जल और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में 1,600 से अधिक अनुकूलन कार्यों की रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर दी गई, लेकिन इनमें से कुछ ही ठोस परिणामों को प्रभावी ढंग से माप पाए।
- निजी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देता है, हालांकि नीतिगत समर्थन के साथ, यह संभावित रूप से प्रतिवर्ष 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का निवेश कर सकता है।
- हरित जलवायु कोष (जीसीएफ), वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) और अनुकूलन कोष सहित बहुपक्षीय जलवायु तंत्रों से अनुकूलन वित्त पोषण 2024 में बढ़कर 920 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले पांच साल के औसत की तुलना में 86% की वृद्धि है, लेकिन कुल मिलाकर असमान और अपर्याप्त है।

भारत की भूमिका

- एक प्रमुख विकासशील देश के रूप में, भारत की राष्ट्रीय अनुकूलन पहल, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) और विभिन्न राज्य कार्य योजनाएं शामिल हैं, कृषि, जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे में अनुकूलन को एकीकृत करने के लिए यूएनईपी के आह्वान के अनुरूप हैं।
- भारत में बार-बार होने वाली जलवायु घटनाएं जैसे कि गर्म लहरें, बाढ़ और हिमनदों का पिघलना, अनुकूलनीय निवेश की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।
- भारत का अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, LiFE मिशन और 2023 में G20 की अध्यक्षता जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्पष्ट है, जो जलवायु अनुकूलन कूटनीति को बढ़ावा देते हैं।

आगे बढ़ने का अनुशंसित तरीका

- कमजोर देशों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने और बढ़ते ऋण बोझ से बचने के लिए ऋण-भारी वित्तपोषण

से अनुदान-आधारित या रियायती वित्तपोषण की ओर बदलाव।
- मिश्रित वित्त, गारंटी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को जुटाना।
- जोखिम-संवेदनशील निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए जलवायु लचीलापन संकेतकों को वित्तीय प्रणालियों में शामिल करें।
- राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं को नए वैज्ञानिक साक्ष्य और जलवायु डेटा के साथ नियमित रूप से अद्यतन करें।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और सीडीआरआई जैसी पहलों सहित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए क्षेत्रीय सहयोग और दक्षिण-दक्षिण साझेदारी को मजबूत करना।

निष्कर्ष:

अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025 स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि जलवायु अनुकूलन के वित्तपोषण के मामले में दुनिया "खाली" चल रही है। इस वित्तीय और नीतिगत अंतर को पाटना कोई दान नहीं, बल्कि सामूहिक अस्तित्व के लिए एक रणनीतिक निवेश है। केवल समतापूर्ण वित्त, नवाचार और वैश्विक एकजुटता के माध्यम से ही जलवायु अनुकूलन बढ़ते जलवायु जोखिमों से आगे निकल सकता है और दुनिया भर में असुरक्षित आबादी की रक्षा कर सकता है।

विनिर्माण की पुनर्कल्पना

संदर्भ

नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने सीआईआई और डेलोइट के सहयोग से "रीइमेजिनिंग मैन्युफैक्चरिंग: एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत का रोडमैप" रोडमैप जारी किया, जिसमें बताया गया है कि कैसे एआई, रोबोटिक्स और डिजिटल ट्विन्स जैसी अग्रणी प्रौद्योगिकियां भारत को 2035 तक शीर्ष तीन वैश्विक विनिर्माण केंद्रों में स्थान दिला सकती हैं।

रोडमैप के बारे में

अवलोकन:

- इसमें पांच क्लस्टरों के अंतर्गत समूहीकृत 13 उच्च प्रभाव वाले विनिर्माण क्षेत्र शामिल हैं।
- उत्पादकता, दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन पारिस्थितिकी प्रणालियों में उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने पर केंद्रित 10-वर्षीय रणनीतिक योजना (2026-2035) का प्रस्ताव।

वर्तमान स्थिति और लक्ष्य:

- भारत का विनिर्माण क्षेत्र वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में 15-17% का योगदान देता है, जो चीन (25%) और दक्षिण कोरिया (27%) जैसे समकक्षों से पीछे है।
- रोडमैप का लक्ष्य 2035 तक विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना, 100 मिलियन से अधिक कुशल नौकरियों का सृजन करना तथा भारत के व्यापारिक निर्यात को वैश्विक व्यापार के 2% से बढ़ाकर 6.5% करना है।
- अनुमानित आर्थिक लाभ में उच्च मूल्य औद्योगिक विकास के माध्यम से 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद में 270 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ना शामिल है।

तकनीकी फोकस:

- अग्रणी प्रौद्योगिकियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डिजिटल ट्विन्स और उन्नत सामग्री शामिल हैं।
- पूर्वानुमानित रखरखाव, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रक्रिया अनुकूलन के लिए एआई और एमएल को तैनात करने पर जोर दिया गया।
- डिजिटल ट्विन्स वास्तविक समय विनिर्माण वातावरण का अनुकरण करने के लिए और रोबोटिक्स सटीकता, सुरक्षा और उत्पादकता बढ़ाने के लिए।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- कम अनुसंधान एवं विकास व्यय (जीडीपी के 1% से कम) नवाचार और पेटेंटिंग क्षमता को प्रभावित कर रहा है।
- खंडित आपूर्ति श्रृंखलाएं और सीमित डिजिटल कनेक्टिविटी, विशेष रूप से एमएसएमई के बीच।
- स्वचालन और एआई उपकरणों के संबंध में कार्यबल कौशल अंतराल।
- स्मार्ट औद्योगिक पार्कों, 5जी कनेक्टिविटी और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति का अभाव जैसी बुनियादी संरचना की कमी।
- विनियामक और डेटा प्रशासन में देरी से डिजिटलीकरण और अंतर-संचालन में बाधा आती है।

उठाए गए कदम:

- राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन अग्रणी प्रौद्योगिकी अपनाने और अनुसंधान वित्तपोषण का समन्वय कर रहा है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं।
- लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए गति शक्ति और पीएम मित्र जैसे औद्योगिक गलियारों का विकास।
- उत्पादन में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया अभियानों का एकीकरण।
- स्किल इंडिया और एआईसीटीई की पहल उद्योग-संरेखित मॉड्यूलर प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रही है।

अनुशंसाएँ:

- अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण और प्रमाणन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में ग्लोबल फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (GFTI) की स्थापना करना।
- 5G और सिमुलेशन सुविधाओं के साथ 20 तकनीक-सक्षम प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना।
- एमएसएमई के लिए एआई, रोबोटिक्स और स्वचालन का किफायती उपयोग करने हेतु साझा प्रौद्योगिकी पहुंच प्लेटफॉर्म का निर्माण करना।

- चैंपियन-आधारित मेंटरशिप मॉडल को प्रोत्साहित करें जहां बड़े उद्योग नवाचार और तकनीक अपनाने में एमएसएमई का समर्थन करते हैं।
- मूल्यवर्धित सेवा समाधानों के लिए एआई और आईओटी को एकीकृत करके विनिर्माण के सेवाकरण को बढ़ावा देना।
- कुशल डेटा विनिमय और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण के लिए वास्तविक समय औद्योगिक IoT नेटवर्क के साथ एक राष्ट्रीय डिजिटल आधार बनाएं।
- विशेषज्ञता को क्षेत्रीय बनाने और विशेष प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य-विशिष्ट फ्रंटियर तकनीकी कौशल मिशन शुरू करना।

निष्कर्ष:

रिपोर्ट में भारत में तकनीक, प्रतिभा और परिवर्तन से प्रेरित विनिर्माण क्रांति की परिकल्पना की गई है। अग्रणी तकनीकों और व्यवस्थित सुधारों को अपनाकर, भारत एक लागत-कुशल उत्पादक से नवाचार, गुणवत्ता और स्थिरता के लिए जाने जाने वाले वैश्विक नेता के रूप में उभर सकता है—और 2047 तक विकसित भारत के विज़न को साकार कर सकता है।

कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैंप पोर्टल

संदर्भ

केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने भारत के कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, परिचालन दक्षता और डेटा-संचालित शासन को बढ़ाने के लिए दो प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म - कोयला शक्ति डैशबोर्ड और कोयला भूमि अधिग्रहण, प्रबंधन और भुगतान (क्लैंप) पोर्टल लॉन्च किया।

कोयला शक्ति डैशबोर्ड के बारे में

यह क्या है?

कोयला मंत्रालय द्वारा विकसित और अनुरक्षित एक स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड (SCAD) एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो खदान से लेकर बाज़ार तक संपूर्ण कोयला मूल्य श्रृंखला के डेटा को एकीकृत करता है। यह भारत के कोयला पारिस्थितिकी तंत्र की डिजिटल रीढ़ के रूप में कार्य करता है।

उद्देश्य:

वास्तविक समय निगरानी, डेटा एकीकरण और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को सक्षम बनाना, सभी कोयला क्षेत्र के हितधारकों में परिचालन दक्षता और समन्वय को मजबूत करना।

प्रमुख विशेषताऐं

- एकीकृत दृश्यता: कोयला उत्पादन, रसद और खपत से संबंधित विविध डेटा को एक व्यापक इंटरफ़ेस में एकीकृत करता है।
- वास्तविक समय निगरानी: लाइव विश्लेषण के साथ रेल, सड़क और मल्टीमॉडल प्रणालियों के माध्यम से कोयला आवाजाही पर निरंतर नज़र रखना।
- डेटा-संचालित शासन: मांग पूर्वानुमान, संसाधन आवंटन और नीति नियोजन के लिए विश्लेषणात्मक उपकरण प्रदान करता है।
- घटना प्रतिक्रिया प्रणाली: परिचालन संबंधी व्यवधानों को शीघ्रता से दूर करने के लिए समय पर अलर्ट और सूचनाएं भेजती है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: खुली निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के लिए सुलभ प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) प्रदर्शित करता है।
- परिचालन दक्षता और मानकीकरण: एकसमान मीट्रिक और रिपोर्टिंग प्रारूपों के माध्यम से मैन्युअल त्रुटियों को कम करता है।
- मापनीयता: अतिरिक्त डेटा सेट और डिजिटल सेवाओं के साथ भविष्य के एकीकरण के लिए डिज़ाइन किया गया।

हितधारकों

में कोयला उत्पादक कंपनियां (सार्वजनिक और निजी), केंद्रीय मंत्रालय (कोयला, बिजली, रेलवे, वित्त, बंदरगाह और शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग), ई-खनिज प्लेटफार्मों के माध्यम से कोयले का प्रबंधन करने वाले राज्य विभाग, बिजली उत्पादन कंपनियां, बंदरगाह प्राधिकरण और अन्य औद्योगिक कोयला उपभोक्ता शामिल हैं।

क्लैम्प पोर्टल के बारे में

यह क्या है?

एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो विशेष रूप से कोयला-आधारित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण, मुआवज़ा और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) प्रक्रियाओं के प्रबंधन पर केंद्रित है। यह एक व्यापक संग्रह के रूप में कार्य करता है और पारदर्शिता एवं समयबद्धता के लिए कार्यप्रवाह को डिजिटल बनाने में मदद करता है।

उद्देश्य:

मानवीय विवेक को कम करके, प्रक्रियागत देरी को न्यूनतम करके, तथा कोयला क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू), राज्य विभागों और जिला प्राधिकरणों के बीच समन्वय में सुधार करके न्यायसंगत और समय पर भूमि प्रबंधन सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताऐं

- एंड-टू-एंड डिजिटल वर्कफ़्लो: भूमि स्वामित्व और रिकॉर्ड अपलोड करने से लेकर अंतिम मुआवजा भुगतान तक की प्रक्रियाओं को शामिल करता है।
- केंद्रीय भंडार: अद्यतन और सुलभ भूमि और मुआवजे का विवरण रखता है।
- पारदर्शिता एवं जवाबदेही: अनुमोदन को सुव्यवस्थित करना तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में निष्पक्षता सुनिश्चित करना।
- नागरिक-केंद्रित शासन: त्वरित, निष्पक्ष मुआवजा तंत्र और अंतर-एजेंसी समन्वय पर केंद्रित है।

निष्कर्ष:

कोयला शक्ति और क्लैम्प मिलकर भारत के कोयला क्षेत्र के लिए डिजिटल शासन में एक परिवर्तनकारी छलांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म वास्तविक समय में डेटा-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं, परिचालन पारदर्शिता बढ़ाते हैं, और टिकाऊ एवं कुशल कोयला पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन सुनिश्चित

करते हुए सरकार के आत्मनिर्भर भारत और "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के दृष्टिकोण को बल देते हैं।

भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह: जीसैट-7आर

प्रसंग

2025 में, **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह, जीसैट-7आर का** सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया । यह मिशन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को मज़बूत करेगा और हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना के सुरक्षित संचार नेटवर्क को मज़बूत करेगा, जो रक्षा और सामरिक स्वायत्तता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मिशन के बारे में

पृष्ठभूमि:

इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित GSAT-7R, भारतीय नौसेना की सामरिक संचार आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह 2013 में प्रक्षेपित **GSAT-7 (रुक्मिणी) का स्थान लेगा** । इसमें जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों के लिए बेहतर बैंडविड्थ, रेंज और एन्क्रिप्शन है। भारत के "ब्लू वाटर नेवी" विजन का समर्थन करते हुए, यह विशाल महासागरीय क्षेत्रों में निर्बाध संचार सुनिश्चित करता है।

सामरिक महत्व:

- यह नौसैनिक प्लेटफार्मों के बीच वास्तविक समय, एन्क्रिप्टेड संचार को सक्षम बनाता है।
- समुद्री जागरूकता और कमांड-नियंत्रण संचालन को मजबूत करता है।
- अधिक स्वायत्तता के लिए भारत की स्वदेशी रक्षा संचार प्रणाली को आगे बढ़ाना।

तकनीकी मुख्य विशेषताएँ

मुख्य विनिर्देश:

- **वजन:** ~4,400 किलोग्राम - भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह।
- **प्रक्षेपण स्थल:** सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी), श्रीहरिकोटा।
- **प्रक्षेपण यान: एलवीएम3 (प्रक्षेपण यान मार्क-3)** - इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट।

स्वदेशी उपलब्धियां:

- पूरी तरह से भारत में डिजाइन, संयोजन और लॉन्च किया गया, जिससे विदेशी निर्भरता कम हुई।
- यह इसरो की GEO में 4.4 टन तथा LEO में 8 टन भार रखने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- स्वदेशी सैन्य-स्तर के संचार पेलोड से सुसज्जित।

कक्षीय विवरण:

भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (जीटीओ) में तैनात और बाद में **भूस्थिर कक्षा (36,000 किमी) में स्थानांतरित** , जीसैट-7आर सुरक्षित, निरंतर संचालन के लिए उन्नत ट्रांसपोंडर का उपयोग करता है।

प्रक्षेपण यान: LVM3

जीएसएलवी एमके-3 के नाम से भी जाना जाने वाला एलवीएम3 की विशेषताएं:

- दो ठोस बूस्टर (S200)
- एक तरल कोर चरण
- एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण

चंद्रयान और **गगनयान** जैसे मिशनों में सिद्ध , एलवीएम3 भविष्य के रक्षा और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

रक्षा संचार नेटवर्क के साथ एकीकरण

GSAT-7A (2018) सहित भारत की सैन्य उपग्रह श्रृंखला का एक और उपग्रह है । भविष्य के उपग्रहों का उद्देश्य **एकीकृत थिएटर कमांड** और अंतर-सेवा डेटा लिंक को समर्थन प्रदान करना है, जिससे एक सुरक्षित, बहु-डोमेन रक्षा संचार ढाँचा तैयार होगा।

चुनौतियाँ और रणनीतिक संदर्भ

भारत को ऐसी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए **साइबर सुरक्षा** और **अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता को मज़बूत करना होगा। नागरिक-सैन्य सहयोग में संतुलन बनाते हुए, सेवाओं में अतिरेक** और **अंतर-संचालन क्षमता का निर्माण करना** आवश्यक है।

महत्व और आगे का रास्ता

जीसैट-7आर अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में **आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत के प्रयासों को और मज़बूत करता है** । यह नौसैनिक संचार, आपदा प्रबंधन और रणनीतिक निगरानी को मज़बूत करता है। स्वदेशी उपग्रहों, प्रक्षेपण प्रणालियों और अंतरिक्ष-रक्षा एकीकरण में निरंतर निवेश भारत की तकनीकी संप्रभुता को और मज़बूत करेगा।

निष्कर्ष

जीसैट **-7आर** मिशन भारत की सुरक्षित, स्वतंत्र और उन्नत रक्षा संचार प्रणालियों की खोज में एक मील का पत्थर है। निरंतर नवाचार के माध्यम से, इसरो यह सुनिश्चित कर रहा है कि भारत की समुद्री और अंतरिक्ष सीमाएँ **लचीली, जुड़ी हुई और भविष्य के लिए तैयार रहें।**

कर्नाटक स्थायी राज्य जल आयोग की योजना बना रहा है

प्रसंग

स्थायी वैधानिक राज्य जल आयोग स्थापित करने की योजना की घोषणा की । इस पहल का उद्देश्य समतापूर्ण जल वितरण, कुशल प्रबंधन और दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही बार-बार होने वाले अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय नदी विवादों का समाधान करना है।

प्रस्ताव के बारे में

पृष्ठभूमि:

प्रस्तावित आयोग **केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की** तर्ज पर एक **तकनीकी और विशेषज्ञ-आधारित वैधानिक निकाय होगा। यह राज्य को जल संरक्षण, सतत उपयोग, विवाद समाधान और कावेरी, कृष्णा और महादयी** जैसी प्रमुख घाटियों के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने पर वैज्ञानिक और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करेगा ।

मुख्य अधिदेश और शक्तियां:

- टिकाऊ जल प्रबंधन और उपयोग दक्षता पर सलाह देना।
- जल के पुनः उपयोग, पुनर्भरण और अपव्यय में कमी के उपायों की सिफारिश करें।
- जल विवादों पर नीतिगत और तकनीकी जानकारी प्रदान करना।
- नदी बेसिन नियोजन, जलवायु लचीलापन और आपदा प्रबंधन के लिए रणनीतिक ब्लूप्रिंट तैयार करना।
- नीतिगत हस्तक्षेप के लिए बाढ़, सूखे और जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन करना।

आयोग संरचना और विवाद समाधान

सदस्यता संरचना:

आयोग में **10-15 सदस्य होने की उम्मीद है** , जिनमें शामिल हैं:

- जल विज्ञान, सिंचाई और पर्यावरण के विशेषज्ञ
- सरकारी अधिकारी और कानूनी विशेषज्ञ
- वित्तीय विशेषज्ञ और नागरिक समाज के प्रतिनिधि

इस संरचना का उद्देश्य **वैज्ञानिक, पारदर्शी और भागीदारीपूर्ण शासन को बढ़ावा देना है** ।

विवाद समाधान भूमिका:

आयोग **अंतर्राज्यीय नदी विवादों** - विशेष रूप से **कृष्णा, कावेरी और महादयी** - में कर्नाटक की सहायता करेगा और केंद्रीय निकायों के समक्ष अंतर-राज्यीय जल आवंटन, समन्वय और तकनीकी प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित करेगा।

कानूनी और संघीय ढांचा

संवैधानिक आधार:

- **प्रविष्टि 17, राज्य सूची:** राज्यों को जल उपयोग और प्रशासन का प्रबंधन करने का अधिकार देता है।
- **प्रविष्टि 56, संघ सूची:** केंद्र को अंतर-राज्यीय नदियों पर अधिकार देता है।

प्रस्तावित निकाय **सहकारी संघवाद को दर्शाता है, जो सीडब्ल्यूसी** और **जल शक्ति मंत्रालय** जैसी केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करता है ।

राष्ट्रीय नीतियों के साथ संरेखण:

इसका कार्य निम्नलिखित के साथ संरेखित होगा:

- **अटल भूजल योजना** - भूजल स्थिरता
- **राष्ट्रीय जल नीति** - कुशल और न्यायसंगत उपयोग
- **जल शक्ति अभियान** - वर्षा जल संचयन और जलग्रहण पुनरुद्धार

महत्व और चुनौतियाँ

महत्व:

- तदर्थ से संस्थागत जल प्रशासन की ओर बदलाव।
- **डेटा-संचालित और वैज्ञानिक निर्णय लेने को** प्रोत्साहित करता है ।
- अंतर-राज्यीय वार्ता में कर्नाटक की स्थिति मजबूत होगी।
- शहरी अभाव, कृषि आवश्यकताओं और जलवायु खतरों को संबोधित करता है।

चुनौतियाँ:

- इसके लिए मजबूत विभागीय समन्वय और पर्याप्त वित्तपोषण की आवश्यकता है।
- मजबूत डेटा सिस्टम और प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।
- मौजूदा राज्य और केंद्रीय जल एजेंसियों के साथ ओवरलैप से बचना चाहिए।

आगे बढ़ने का रास्ता

- स्पष्ट कानूनी अधिदेश और कार्यात्मक सीमाएं परिभाषित करें।
- अनुसंधान संस्थानों और स्थानीय उपयोगकर्ता समूहों के साथ सहयोग करें।
- वास्तविक समय बेसिन निगरानी के लिए **एआई और जीआईएस उपकरणों का** उपयोग करें ।
- हितधारक जागरूकता और सहभागी प्रबंधन को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

राज्य जल आयोग का गठन कर्नाटक के **सतत और समतामूलक जल प्रशासन की दिशा में सक्रिय कदम को दर्शाता है** । वैज्ञानिक विशेषज्ञता, सहकारी संघवाद और जनभागीदारी को एकीकृत करके, यह पहल जलवायु और शहरी दबावों के बीच बढ़ती जल चुनौतियों से जूझ रहे **अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श ढाँचे के रूप में काम कर सकती है।**

भारत में रामसर स्थल और आर्द्रभूमि
(पर्यावरण और पारिस्थितिकी)

प्रसंग

भारत में अब **94 रामसर स्थल हैं** , जो रामसर कन्वेंशन के तहत **विश्व स्तर पर तीसरे** और **एशिया में पहले स्थान पर है** । यह उपलब्धि जैव विविधता, जल सुरक्षा और जलवायु लचीलेपन को बनाए रखने वाले विविध आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

रामसर स्थलों के बारे में

परिभाषा और महत्व:

रामसर **स्थल, रामसर कन्वेंशन** के तहत नामित अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि है । इनमें झीलें, दलदली भूमि, मैंग्रोव, मुहाना, प्रवाल भित्तियाँ और मानव निर्मित आर्द्रभूमि शामिल हैं। ये **भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण और प्रवासी पक्षियों के आवास के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं** ।

रामसर मान्यता अंतरराष्ट्रीय सहयोग, संरक्षण निधि और क्षरण एवं अतिक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

सम्मेलन की पृष्ठभूमि:

- **1971 में** ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित ।
- **भारत 1982 में** वैश्विक आर्द्रभूमि संरक्षण प्रयासों के साथ जुड़ गया।

प्रथम रामसर स्थल (1981):

- **चिल्का झील, ओडिशा** - एशिया की सबसे बड़ी खारी झील।

- **केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान** - एक यूनेस्को विश्व धरोहर पक्षी अभयारण्य।

मुख्य तथ्य और घटनाक्रम

वर्तमान स्थिति:

- **कुल रामसर स्थल:** 94
- **वैश्विक रैंक:** तीसरा (यूके और मैक्सिको के बाद)
- **एशियाई रैंक:** प्रथम

राज्य वितरण:

- **तमिलनाडु** 16 स्थलों के साथ सबसे आगे है, उसके बाद **उत्तर प्रदेश है** ।
- **2025** में , **बिहार ने** तीन नई रामसर साइटें जोड़ीं - **उदयपुर झील, गोकुल जलाश्या और गोगाबिल झील** , जिनमें से आखिरी कटिहार जिले में एक प्राकृतिक ऑक्सबो झील है।

उभरते उम्मीदवार:

- **रोमरी दोंधवा वेटलैंड (असम)** - रामसर दर्जा के लिए प्रस्तावित; 120 से अधिक पक्षी प्रजातियों का आश्रय है तथा **काजीरंगा** और **ओरंग** रिजर्व के बीच एक प्राकृतिक गलियारा बनाता है।

पारिस्थितिक और सामरिक महत्व

- **जैव विविधता:** प्रवासी पक्षियों, मछलियों, उभयचरों और जलीय वनस्पतियों को सहारा देती है।
- **जल विज्ञान:** भूजल का पुनर्भरण, बाढ़ और सूखे को कम करना।
- **जलवायु भूमिका:** कार्बन का भंडारण और जलवायु अनुकूलन में सहायता।
- **आजीविका:** लाखों लोगों को पानी, भोजन और रोजगार प्रदान करता है।

सरकारी पहल

- **जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए):** झील और आर्द्रभूमि संरक्षण को एकीकृत करती है।
- **आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017:** कानूनी संरक्षण प्रदान करता है और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है।
- **जल शक्ति अभियान:** समुदाय-संचालित जल संरक्षण को प्रोत्साहित करता है।
- **अमृत धरोहर योजना (2023):** सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्थायी आर्द्रभूमि प्रबंधन को बढ़ावा देती है।

निष्कर्ष

94 रामसर स्थलों के साथ , भारत **आर्द्रभूमि संरक्षण और पारिस्थितिक स्थिरता** का एक सशक्त मॉडल प्रस्तुत करता है । इन पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन और सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है**। वैज्ञानिक प्रबंधन, नीतिगत तालमेल और स्थानीय सहभागिता** पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने से यह सुनिश्चित होगा कि ये आर्द्रभूमियाँ भविष्य में भी फलती-फूलती प्राकृतिक संपत्ति बनी रहें।

घरेलू वित्तीय व्यवहार पर आरबीआई डेटा

(जीएस पेपर 3: अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक)

प्रसंग

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार , भारतीय परिवारों के वित्तीय व्यवहार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ये रुझान उधारी में तेज़ वृद्धि, धीमी परिसंपत्ति निर्माण और बचत में गिरावट को दर्शाते हैं, जो महामारी के बाद उपभोग और आय पैटर्न में आए बदलावों को दर्शाते हैं।

डेटा के बारे में

पृष्ठभूमि:

आरबीआई का 2024-25 का विश्लेषण इस बात पर प्रकाश डालता है कि महामारी के बाद परिवारों ने अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं को कैसे समायोजित किया है। **2019-20 की तुलना में** , देनदारियों में तेज़ी से वृद्धि हुई है, जबकि परिसंपत्ति निर्माण धीमा हुआ है, जिससे घरेलू बचत और वित्तीय स्थिरता को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

मुख्य रुझान

घरेलू ऋण में वृद्धि:

घरेलू ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो पिछले पांच वर्षों में दोगुनी हो गई है।

धीमी परिसंपत्ति वृद्धि:

वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन उधार लेने की गति से मेल नहीं खाता है, जो कमजोर दीर्घकालिक बचत का संकेत देता है।

सूचक	2019–20	2024–25	5-वर्षीय वृद्धि
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जोड़ी गईं	₹24.1 लाख करोड़	₹35.6 लाख करोड़	↑ 48%
देनदारियां (ऋण)	₹7.5 लाख करोड़	₹15.7 लाख करोड़	↑ 102%
परिसंपत्ति सृजन (जीडीपी का %)	12%	10.8%	↓ अस्वीकार

आंकड़ों से पता चलता है कि जहां देनदारियां दोगुनी से अधिक हो गईं, वहीं सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में परिसंपत्ति सृजन में गिरावट आई, जो कमजोर घरेलू पूंजी निर्माण का संकेत है।

महामारी के बाद बचत व्यवहार

- **महामारी से पहले:** वित्तीय सुरक्षा पर केंद्रित उच्च बचत दरें।
- **महामारी के दौरान:** अनिश्चितता और कम खर्च के कारण बचत में तीव्र वृद्धि।
- **महामारी के बाद:** उपभोग में वृद्धि और आवास, वाहन और शिक्षा के लिए अधिक उधारी के कारण बचत दर में गिरावट आई।

निवेश प्राथमिकताओं में बदलाव

- **पूर्व पैटर्न:** बैंक और सावधि जमा पर निर्भरता।

- **वर्तमान रुझान:**
  - **म्यूचुअल फंड:** एसआईपी भागीदारी में वृद्धि।
  - **इक्विटी:** युवा, शहरी निवेशकों की बढ़ती रुचि।
  - **भौतिक परिसंपत्तियां:** सोना और अचल संपत्ति दीर्घकालिक मूल्य के लिए पसंदीदा बनी हुई हैं।

यह विविधीकरण न केवल बढ़ती जोखिम क्षमता को दर्शाता है, बल्कि बाजार में अस्थिरता के प्रति अधिक जोखिम को भी दर्शाता है।

आर्थिक निहितार्थ और नीतिगत भूमिका

प्रमुख प्रभाव:

- **कम पूंजी निर्माण:** कम बचत निवेश क्षमता को बाधित करती है।
- **उच्च वित्तीय जोखिम:** अस्थिर बाजारों में अधिक जोखिम।
- **अल्पकालिक वृद्धि, दीर्घकालिक जोखिम:** यदि ऋण में अनियंत्रित वृद्धि होती है तो उपभोग-आधारित वृद्धि वित्तीय लचीलेपन को नष्ट कर सकती है।

नीतिगत परिप्रेक्ष्य:

- आरबीआई वित्तीय स्थिरता की निगरानी करता है और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देता है।
- **एनपीएस, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना** के माध्यम से दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहन ।
- **संतुलित वित्तीय नियोजन और जोखिम विविधीकरण** पर नियामक जोर ।

आगे बढ़ने का रास्ता

- ऋण उपयोग और निवेश जोखिमों पर **वित्तीय शिक्षा को** मजबूत करना ।
- **औपचारिक बचत साधनों** और किफायती ऋण पहुंच का विस्तार करें ।
- सुरक्षित वित्तीय प्रणालियों में **ग्रामीण एवं निम्न आय वाले परिवारों को** शामिल करने को बढ़ावा देना ।
- उभरते वित्तीय रुझानों का पूर्वानुमान लगाने और उनका प्रबंधन करने के लिए **डेटा-संचालित नीति-निर्माण का** उपयोग करें ।

निष्कर्ष

भारतीय परिवारों का बदलता वित्तीय व्यवहार — जो ज़्यादा उधारी और बदलते निवेश विकल्पों से चिह्नित है — अर्थव्यवस्था में एक संरचनात्मक बदलाव का संकेत देता है। स्थायी परिसंपत्ति निर्माण, बेहतर वित्तीय साक्षरता और उपभोग व बचत के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना **दीर्घकालिक स्थिरता और समावेशी आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा** ।

केरल को अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया

सामाजिक न्याय एवं शासन

प्रसंग

1 नवंबर, 2025 को , केरल के मुख्यमंत्री **पिनाराई विजयन ने घोषणा की कि** एक व्यापक बहुआयामी मूल्यांकन के बाद, राज्य ने आधिकारिक तौर पर **अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन कर दिया है। यह उपलब्धि भारत के सामाजिक कल्याण परिदृश्य में पहली उपलब्धि है और संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक गरीबी उन्मूलन लक्ष्यों के अनुरूप है** ।

घोषणा के बारे में

परिभाषा और सरकारी दावा:

अत्यधिक गरीबी का अर्थ भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा या न्यूनतम आय सुरक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थता है।

राज्य सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार, **केरल में कोई भी व्यक्ति या परिवार अत्यधिक गरीबी में नहीं है** , जो लक्षित कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक हस्तक्षेपों की सफलता को दर्शाता है।

उन्मूलन कार्यक्रम और प्रमुख उपलब्धियाँ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार द्वारा **2021** में शुरू किए गए **चरम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ने** सबसे कमजोर लोगों के उत्थान के लिए घरेलू स्तर पर डेटा-संचालित दृष्टिकोण का उपयोग किया।

प्रमुख उपलब्धियां:

- **खाद्य सुरक्षा: कुदुम्बश्री स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 20,000** से अधिक परिवारों को निरंतर खाद्य सहायता प्राप्त हुई ।
- **स्वास्थ्य सेवा:** हाशिए पर रहने वाले परिवारों को निःशुल्क दवाइयां, टीकाकरण और प्रत्यारोपण देखभाल सहित महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सहायता प्रदान की गई।
- **आवास: लाइफ मिशन** के अंतर्गत लगभग **4,700 परिवारों को लाभ मिला** , उन्हें घर या भूमि का स्वामित्व प्राप्त हुआ।
- **आजीविका: मनरेगा** और सूक्ष्म उद्यम योजनाओं के माध्यम से **4,300 परिवारों को** रोजगार या आय प्राप्त हुई ।
- **शिक्षा: 5,500 बच्चों को** छात्रवृत्ति, मार्गदर्शन और निःशुल्क परिवहन सहायता प्राप्त हुई।

इस पहल ने दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए **अनुकूलित, परिवार-स्तरीय समाधान सुनिश्चित किया।**

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखण

केरल की सफलता कई **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (2030) के अनुरूप है** , जिनमें शामिल हैं:

- **सतत विकास लक्ष्य 1:** हर जगह गरीबी समाप्त करना।
- **एसडीजी 2:** भुखमरी समाप्त करें और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करें।
- **एसडीजी 3:** स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना।
- **एसडीजी 4:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना।
- **एसडीजी 10:** असमानताओं को कम करना।
- **एसडीजी 11:** समावेशी और टिकाऊ समुदायों का निर्माण करें।

यह मॉडल दर्शाता है कि **स्थानीयकृत, डेटा-संचालित कल्याण किस प्रकार** वैश्विक विकास लक्ष्यों में प्रभावी रूप से योगदान दे सकता है।

राजनीतिक विवाद

इस घोषणा से राज्य में राजनीतिक बहस छिड़ गई। **विपक्षी यूडीएफ ने** सरकार के दावे की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह चुनाव से पहले की राजनीतिक नियत से किया गया दावा हो सकता है।

उठाई गई चिंताएं:

- **सत्यापन संबंधी मुद्दे:** हो सकता है कि सभी घरों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन न किया गया हो।
- **आर्थिक कमजोरी:** मुद्रास्फीति या स्वास्थ्य संकट कुछ लोगों को पुनः गरीबी में धकेल सकते हैं।
- **ऑडिट की मांग:** विपक्षी दलों ने आंकड़ों के सत्यापन के लिए **स्वतंत्र मूल्यांकन की मांग की है।**

महत्व और आगे का रास्ता

महत्व:

- भारत में **सामाजिक विकास में अग्रणी** के रूप में केरल की छवि को मजबूत करता है ।
- गरीबी दूर करने में **लक्षित, साक्ष्य-आधारित कल्याण** के प्रभाव को सिद्ध करता है ।
- गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयासरत अन्य राज्यों के लिए एक **अनुकरणीय ढांचा प्रस्तुत करता है।**

आगे बढ़ने का रास्ता:

- उभरती हुई कमजोरियों पर नज़र रखने के लिए **नियमित रूप से गरीबी पुनर्मूल्यांकन** करें ।
- स्थिरता के लिए **आजीविका सृजन** और **वित्तीय समावेशन** पर ध्यान केंद्रित करना ।
- स्वतंत्र ऑडिट और नागरिक भागीदारी के माध्यम से **पारदर्शिता** सुनिश्चित करें ।
- भविष्य में आर्थिक व्यवधानों के विरुद्ध **मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल** बनाए रखें ।

निष्कर्ष

केरल को **अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाना समावेशी शासन और सामाजिक न्याय के क्षेत्र** में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। हालाँकि, इस प्रगति को बनाए रखना **निरंतर निगरानी, संस्थागत समर्थन और अनुकूल कल्याणकारी रणनीतियों पर निर्भर करेगा** ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समृद्धि समतापूर्ण और स्थायी बनी रहे।

बेमौसम बारिश के कारण प्याज की फसल पर संकट

अर्थव्यवस्था

प्रसंग

2025 में, बेमौसम बारिश से महाराष्ट्र की प्याज की फसल को गंभीर नुकसान होगा, जिससे व्यापक नुकसान होगा और प्याज किसानों द्वारा मुआवजे और सहायता की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे।

संकट के बारे में

कारण और प्रभाव

- अक्टूबर-नवंबर में बोई गई रबी प्याज की फसल को गंभीर नुकसान हुआ, जो भारत की प्याज उत्पादन में लगभग 60% का योगदान देने वाली मुख्य प्याज फसल है।
- पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के कारण 19 से 27 अक्टूबर के बीच हुई मानसून के बाद की बारिश से नासिक, अहमदनगर, पुणे, जलगांव, सोलापुर और सतारा जैसे प्रमुख जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा।
- अकेले नासिक में 14,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फसल का नुकसान हुआ, जिससे 60,000 से अधिक किसान प्रभावित हुए।
- बेमौसम बारिश के कारण सोयाबीन, मक्का और कपास जैसी अन्य फसलों को भी नुकसान हुआ।

किसान प्रतिक्रिया

- महाराष्ट्र के प्याज उत्पादकों ने फसल नुकसान के लिए मुआवजे (मुआवजा), अगले बुवाई सीजन के लिए मुफ्त बीज और दीर्घकालिक नीतिगत समर्थन की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया।
- किसानों ने बताया कि बेमौसम बारिश ने न केवल खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया, बल्कि बाहर रखे प्याज को भी नुकसान पहुंचाया, तथा पर्याप्त शीत भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण नुकसान और भी अधिक बढ़ गया।

उत्पादन और आर्थिक संदर्भ

भारत का प्याज उत्पादन

- भारत प्याज उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है, जो प्रतिवर्ष लगभग 25 से 30 मिलियन टन प्याज का उत्पादन करता है।
- महाराष्ट्र अग्रणी प्याज उत्पादक राज्य है, जो 2024 में लगभग 86 लाख टन का योगदान देगा, इसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान का स्थान है।
- प्याज एक प्रमुख बागवानी फसल है, जिसकी कीमत में उतार-चढ़ाव (5 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम) खाद्य मुद्रास्फीति को काफी प्रभावित करता है।

फसल के मौसम

- भारत में प्याज की तीन फसलें उगाई जाती हैं:
  1. खरीफ प्याज: जून-जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर-दिसंबर में काटा जाता है (उत्पादन का 20%)।
  2. पछेती खरीफ: अगस्त-सितंबर में बोई जाती है, जनवरी-मार्च में काटी जाती है (मध्यम हिस्सा)।
  3. रबी प्याज: अक्टूबर-नवंबर में बोया जाता है, मार्च-मई में काटा जाता है, 60% उत्पादन के साथ सबसे महत्वपूर्ण फसल है, इसकी साल भर आपूर्ति उपयोगिता है।

चुनौतियाँ और नीतिगत मुद्दे

- मूल्य अस्थिरता: आपूर्ति में छोटे व्यवधान से प्याज की कीमतों में नाटकीय उतार-चढ़ाव होता है, जिसका असर उपभोक्ताओं और किसानों दोनों पर पड़ता है।
- भंडारण: किफायती शीत भंडारण की कमी से फसल कटाई के बाद 30-40% तक नुकसान होने का अनुमान है।

- बाजार संरचना: बिचौलिए व्यापार चैनलों पर हावी होते हैं, जो अक्सर कृषि उत्पादों की कीमतों को दबा देते हैं।
- निर्यात नियंत्रण: घरेलू मूल्य वृद्धि के दौरान सरकार द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंध किसानों की आय के अवसरों को कम करते हैं।
- बीमा: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्याज की फसलों के लिए कवरेज अपर्याप्त है, जिससे किसानों की जोखिम सुरक्षा सीमित हो जाती है।

निष्कर्ष

2025 में बेमौसम बारिश के कारण महाराष्ट्र में प्याज की फसल का संकट, भारत के बागवानी क्षेत्र की जलवायु संबंधी झटकों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। फसल बीमा, शीत भंडारण अवसंरचना और बाज़ार सुधारों में कमियों को दूर करना किसानों की आय को स्थिर करने और खाद्य कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस)

अर्थव्यवस्था

प्रसंग

2025 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS) शुरू की, जिसका उद्देश्य वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।

योजना के बारे में

उद्देश्य

- महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटकों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना, विशेष रूप से चीन से आयात पर निर्भरता को कम करना।
- मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सरकारी पहलों का समर्थन करें।
- 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में 300,000 करोड़ रुपये प्राप्त करने के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति लक्ष्य में योगदान करना, जिसमें 120,000 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है।

निवेश और परियोजनाएं

- मुख्य रूप से तमिलनाडु (5 परियोजनाएं), आंध्र प्रदेश (1) और मध्य प्रदेश (1) में स्थित सात परियोजनाओं के लिए ₹5,532 करोड़ का प्रारंभिक स्वीकृत निवेश।
- इन परियोजनाओं से 36,559 करोड़ रुपये का उत्पादन होने तथा 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
- सामूहिक रूप से, इस योजना से कुल 1.15 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, जिसमें 10.34 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन मूल्य प्रक्षेपण और छह वर्षों में लगभग 1.42 लाख नौकरियां पैदा होंगी।

योजना यांत्रिकी और प्रमुख घटक

- वित्तीय प्रोत्साहन उत्पादन मूल्य के 1% से 10% तक होता है, जो अनुमोदन के बाद छह वर्षों के लिए लागू होता है, तथा इसमें एक वर्ष की वैकल्पिक अवधि भी शामिल है।
- वर्तमान में पूर्णतः आयातित घटकों पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं:
  - मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी) और उच्च घनत्व इंटरकनेक्ट (एचडीआई) पीसीबी।
  - कैमरा मॉड्यूल उप-असेंबली का उपयोग स्मार्टफोन, ड्रोन, चिकित्सा उपकरणों और ऑटोमोटिव प्रणालियों में किया जाता है।
  - कॉपर क्लैड लैमिनेट्स (पीसीबी के लिए आधार सामग्री)।
  - पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म का उपयोग उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक उपकरणों के लिए कैपेसिटर के निर्माण में किया जाता है।

प्रभाव और महत्व

- यह योजना भारत को अनेक इलेक्ट्रॉनिक घटकों की घरेलू मांग को पूरी तरह से पूरा करने में सक्षम बनाएगी, आयात निर्भरता को कम करेगी तथा आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन में सुधार करेगी।
- उच्च कौशल नौकरियों के सृजन का समर्थन करता है और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों सहित विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है।
- वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की उपस्थिति का विस्तार होगा, तथा देश को एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- ये परियोजनाएं उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और भारत सेमीकंडक्टर मिशन जैसी अन्य सरकारी पहलों की पूरक हैं।

निष्कर्ष

ईसीएमएस एक रणनीतिक पहल है जो महत्वपूर्ण घटकों के बड़े पैमाने पर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमताओं को मज़बूत करेगी। यह आयात प्रतिस्थापन, रोज़गार सृजन, तकनीकी उन्नति और निर्यात तत्परता को गति प्रदान करता है, और भारत के वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण महाशक्ति बनने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

प्रसंग

नवंबर 2025 में, दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का स्तर "बेहद खराब" से "गंभीर" दर्ज किया गया, जिसके कारण न्यायिक हस्तक्षेप और सार्वजनिक चिंताएँ उत्पन्न हुईं। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को आगे की गिरावट को रोकने के लिए सक्रिय, विज्ञान-आधारित रणनीतियाँ अपनाने का निर्देश दिया।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के बारे में

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण की गंभीरता के अनुसार कार्रवाई करने हेतु

एक नियामक ढाँचा है। *एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों से प्रेरित*, GRAP दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों (पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान) को कवर करता है।

कार्यान्वयन और उद्देश्य:

2017 में शुरू किया गया, GRAP, **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अंतर्गत**, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) और राज्य प्रदूषण बोर्डों के समन्वय में कार्य करता है। यह क्षेत्र-विशिष्ट, समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करता है जो बिगड़ती वायु गुणवत्ता के साथ और तेज़ हो जाती है, जिससे संरचित आपातकालीन प्रतिक्रिया संभव होती है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)

एक वैधानिक अधिनियम के तहत स्थापित सीएक्यूएम, एनसीआर में एकीकृत वायु गुणवत्ता प्रबंधन को संस्थागत बनाता है।

- **संरचना:** अध्यक्ष के पास पर्यावरण क्षेत्र में 15+ वर्ष का अनुभव अथवा लोक प्रशासन में 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- **अधिदेश:** यह संसदीय निगरानी के तहत समन्वय, वैज्ञानिक निगरानी और डेटा-संचालित प्रवर्तन सुनिश्चित करता है, तथा राज्यों में प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करता है।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) और GRAP चरण

वायु **गुणवत्ता सूचकांक (AQI)**, नीति निर्माताओं और नागरिकों के लिए प्रदूषण के आंकड़ों को सरल बनाता है। यह आठ प्रमुख प्रदूषकों को मापता है: SO_2, NO_2, PM_{10}, $PM_{2.5}$, CO, O_3, NH_3, और Pb। (नोट: CO_2 को इसमें शामिल नहीं किया गया है।)

AQI रेंज	वायु गुणवत्ता	ग्रैप चरण	कार्रवाई स्तर
0–50	अच्छा	—	कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं
51–100	संतोषजनक	—	कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं
101–200	मध्यम	—	बुनियादी प्रदूषण नियंत्रण
201–300	गरीब	प्रथम चरण	मध्यम हस्तक्षेप
301–400	बहुत खराब	चरण 2	गहन नियंत्रण कार्रवाई
401–450	गंभीर	चरण 3	आपातकालीन प्रतिबंध
450+	गंभीर प्लस	चरण 4	अधिकतम आपातकालीन प्रतिक्रिया

वर्तमान स्थिति (2025): दिल्ली का AQI 421 पर "गंभीर" श्रेणी में आता है, जिससे स्टेज 3 प्रतिबंध लागू हो जाते हैं।

GRAP के अंतर्गत सांकेतिक कार्रवाइयाँ

- **चरण 1 (खराब, 201-300):** अपंजीकृत निर्माण पर प्रतिबंध, एंटी-स्मॉग गन और स्प्रिंकलर का उपयोग, और खुले में जलाने पर प्रतिबंध।
- **चरण 2 (बहुत खराब, 301-400):** पार्किंग शुल्क में वृद्धि, सीएनजी/इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा, तथा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध।
- **चरण 3 (गंभीर, 401-450):** अधिकांश निर्माण कार्यों का निलंबन, गैर-पीएनजी उद्योगों का बंद होना, तथा बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध।
- **चरण 4 (गंभीर प्लस, 450+):** स्कूल बंद करना, ऑड-ईवन योजना, 50% घर से काम करने की नीति, और आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **खंडित प्रवर्तन:** एनसीआर राज्यों में असमान कार्यान्वयन प्रभाव को सीमित करता है।
- **तकनीकी सीमाएँ:** वास्तविक समय निगरानी की कमी से सुधारात्मक कार्रवाई में देरी होती है।
- **सार्वजनिक गैर-अनुपालन:** जागरूकता अभियानों के बावजूद कम भागीदारी।
- **मौसमी फोकस:** सर्दियों पर केंद्रित उपायों में वाहनों और अपशिष्ट जलाने से होने वाले वर्ष भर के प्रदूषण को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. **बेहतर समन्वय:** केंद्रीकृत प्रतिक्रिया प्रणाली के साथ CAQM के अंतर्गत अंतर-राज्यीय सहयोग को मजबूत करना।
2. **प्रौद्योगिकी अपनाना:** पूर्वानुमान नियंत्रण के लिए एआई-आधारित पूर्वानुमान, उपग्रह निगरानी और वास्तविक समय डेटा साझाकरण का उपयोग करें।
3. **सार्वजनिक सहभागिता:** जागरूकता अभियानों और नागरिक रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
4. **सतत सुधार:**
   - विद्युत गतिशीलता और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना।
   - हरित पट्टियों और धूल-मुक्त सड़कों का विस्तार करें।
   - खुले में जलाने से रोकने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन को लागू करें।
   - स्वच्छ औद्योगिक प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करें।

निष्कर्ष

GRAP और **AQI मिलकर दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण प्रबंधन की नींव रखते हैं। GRAP** प्रदूषण के चरम पर त्वरित, चरणबद्ध हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है, लेकिन स्थायी सुधार के लिए परिवहन, अपशिष्ट और ऊर्जा क्षेत्रों में दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता होती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश एनसीआर में लाखों लोगों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वायु सुनिश्चित करने के लिए एक सहयोगात्मक, प्रौद्योगिकी-संचालित और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

ऊर्जा दक्षता

प्रसंग

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के तेज़ विकास के बावजूद, कोयला अभी भी बिजली उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है, जिससे उत्सर्जन और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ बढ़ रही हैं। स्वच्छ क्षमता और गंदे उपभोग के इस अंतर को पाटने के लिए, एक समानांतर स्वच्छ ऊर्जा समाधान के रूप में ऊर्जा दक्षता पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

विरोधाभास: स्वच्छ क्षमता, प्रदूषित उपभोग

भारत का "स्वच्छ ऊर्जा विरोधाभास" नवीकरणीय क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच, तथा उत्पादन समय और उपभोग आवश्यकताओं के बीच दो मुख्य विसंगतियों से उत्पन्न होता है।

1. **क्षमता बनाम उत्पादन में बेमेल:**
   हालाँकि सौर और पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता लगभग आधी है, लेकिन रुकावटों के कारण उनका वास्तविक उत्पादन हिस्सा केवल लगभग 20% ही रहता है। सौर ऊर्जा केवल दिन के उजाले में ही काम करती है; पवन ऊर्जा की क्षमता मौसम के अनुसार बदलती रहती है। इस परिवर्तनशीलता के कारण ग्रिड की स्थिर आपूर्ति बनाए रखने के लिए कोयले पर निर्भरता अनिवार्य हो जाती है।
2. **अधिकतम मांग का बेमेल:**
   भारत में बिजली की सबसे ज़्यादा मांग सूर्यास्त के बाद होती है, जब सौर ऊर्जा उत्पादन कम हो जाता है, जिससे कोयला आधारित बिजली ग्रिड स्थिरता के लिए ज़रूरी हो जाती है। बुनियादी ढाँचे की समस्याएँ, ज़मीन की कमी, खराब ट्रांसमिशन और महंगा भंडारण, नवीकरणीय ऊर्जा की मापनीयता को और सीमित करते हैं।

ऊर्जा दक्षता: "पहला ईंधन"

ऊर्जा दक्षता (ईई) स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की खाई को पाटने का एक तात्कालिक, कम लागत वाला और मापनीय तरीका प्रदान करती है। केवल अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने के बजाय, ईई बेहतर तकनीकों और प्रथाओं के माध्यम से मांग को कम करता है, जिससे इसे "प्रथम ईंधन" का खिताब मिला है, यानी ऊर्जा का उत्पादन करने के बजाय उसकी बचत की जाती है।

ऊर्जा दक्षता के लाभ

- **पीक लोड कम हो जाता है:** कोयला आधारित संयंत्रों पर कम दबाव पड़ता है।
- **उत्सर्जन में कटौती:** नए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को जोड़ने की तुलना में अधिक लागत प्रभावी।
- **बिल कम करता है:** घरों और उद्योगों के लिए ऊर्जा लागत बचाता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा में सुधार:** आयातित ईंधन पर निर्भरता कम होती है।
- **ग्रिड स्थिरता को बढ़ाता है:** आपूर्ति-मांग में उतार-चढ़ाव को संतुलित करता है।

अनुप्रयोग और हस्तक्षेप

1. **कुशल उपकरण:** बीईई-रेटेड 4-स्टार और 5-स्टार पंखे, एसी और मोटर को बढ़ावा दें।
2. **तापमान विनियमन:** AC तापमान सीमा 20°C–26°C लागू करें।
3. **स्मार्ट बिल्डिंग डिज़ाइन:** प्राकृतिक वेंटिलेशन, एलईडी उपयोग और थर्मल इन्सुलेशन को प्रोत्साहित करें।
4. **औद्योगिक दक्षता:** ऊर्जा-प्रधान क्षेत्रों में लेखापरीक्षा का विस्तार और उपकरणों का आधुनिकीकरण।

आगे का रास्ता

1. **वर्चुअल पावर प्लांट (वीपीपी):** व्यस्ततम घंटों के दौरान संग्रहित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भवनों में नेटवर्क बैटरी प्रणालियां।
2. **सख्त दक्षता मानक:** उपकरणों के लिए बीईई स्टार रेटिंग मानदंडों को नियमित रूप से अपग्रेड करें।
3. **एसएमई के लिए समर्थन:** पुरानी मशीनरी को बदलने के लिए वित्त और कर प्रोत्साहन प्रदान करें।
4. **गतिशील मूल्य निर्धारण:** ऑफ-पीक ऊर्जा उपयोग को पुरस्कृत करने वाले टैरिफ लागू करना।

नीति और संस्थागत समर्थन

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)** प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के ईई मिशन का नेतृत्व करता है:

- **प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी):** औद्योगिक ऊर्जा बचत को प्रोत्साहित करता है।
- **मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम:** उपभोक्ताओं को कुशल उत्पादों की ओर मार्गदर्शन करता है।
- **उजाला एवं स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम:** अकुशल बल्बों को एलईडी से प्रतिस्थापित किया गया, जिससे बड़ी मात्रा में विद्युत क्षमता की बचत हुई।

इन्हें राज्य स्तरीय प्रयासों के साथ एकीकृत करने से राष्ट्रव्यापी ऊर्जा संरक्षण संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है।

निष्कर्ष

भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार को मांग-पक्ष दक्षता के साथ मिलाना होगा। ऊर्जा दक्षता को "प्रथम ईंधन" मानना आवश्यक है, वैकल्पिक नहीं। मांग में कटौती, ग्रिड को स्थिर करके और उत्सर्जन को कम करके, ऊर्जा दक्षता भारत के टिकाऊ, कार्बन-तटस्थ भविष्य के लिए सबसे तेज़, सस्ता और स्वच्छ मार्ग प्रदान करती है।

RACE IAS

उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ईएसटीआईसी)

संदर्भ और प्रतिस्थापन

उभरता **विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ईएसटीआईसी)** भारत के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र में एक परिवर्तनकारी चरण का प्रतीक है, जो सदियों पुराने **भारतीय विज्ञान कांग्रेस का स्थान ले रहा है** । नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में नोबेल पुरस्कार विजेताओं, उद्योग जगत के दिग्गजों, शोधकर्ताओं और छात्रों सहित 3,000 से अधिक प्रतिभागी भारत की अनुसंधान प्राथमिकताओं को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।

विजन और मुख्य फोकस क्षेत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संकल्पित , ईएसटीआईसी का उद्देश्य भारत का ध्यान अन्य क्षेत्रों से हटाकर अन्य क्षेत्रों पर केंद्रित करना है। ***खाद्य सुरक्षा* से लेकर *पोषण सुरक्षा तक***, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सार्वजनिक कल्याण, स्थिरता और राष्ट्रीय विकास के साथ एकीकृत करना।

प्रमुख फोकस क्षेत्र:

- **जैव-सशक्त फसलें:** कुपोषण से निपटने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर किस्मों पर अनुसंधान।
- **किफायती उर्वरक:** टिकाऊ कृषि के लिए कम लागत वाले, पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों को बढ़ावा देना।
- **जीनोमिक जैव विविधता मानचित्रण:** जीनोम मानचित्रण के माध्यम से सटीक स्वास्थ्य सेवा को सक्षम बनाना।
- **स्वच्छ बैटरी नवाचार:** ऊर्जा भंडारण के लिए किफायती और स्वच्छ बैटरी समाधान विकसित करना।
- **अन्य अग्रणी प्रौद्योगिकियां:** एआई, ब्लू इकोनॉमी, उन्नत सामग्री, डिजिटल संचार, स्वास्थ्य तकनीक, पर्यावरण और अंतरिक्ष विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना।

वित्तपोषण और संस्थागत तंत्र

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (एनआरएफ) द्वारा प्रबंधित ₹1 लाख करोड़ का अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) कोष, उच्च - जोखिम, उच्च-प्रभाव वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी को आकर्षित करना, भारत के अनुसंधान एवं विकास आधार को मज़बूत करना और उद्योग-आधारित नवाचार को प्रोत्साहित करना है।

निष्कर्ष

ESTIC के रूप में विकसित होकर , भारत अपने वैज्ञानिक जुड़ाव मॉडल को **"विकसित भारत 2047" के दृष्टिकोण** के अनुरूप पुनर्परिकल्पित कर रहा है । यह सम्मेलन सहयोग, नवाचार और सामाजिक प्रासंगिकता पर ज़ोर देता है और परिवर्तनकारी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश के प्रमुख मंच के रूप में अपनी स्थिति स्थापित करता है।

भारत-बहरीन संबंध

प्रसंग

भारत और बहरीन ने नई दिल्ली में **5वीं भारत-बहरीन उच्च संयुक्त आयोग बैठक आयोजित की** , जिसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री **एस. जयशंकर** और बहरीन के विदेश मंत्री **अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़ायनी ने** की, जो उनके रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मुख्य चर्चा बिंदु

- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया, जिसका उदाहरण सितंबर 2025 में तीन भारतीय नौसैनिक जहाजों की बहरीन यात्रा है। उन्होंने **पहलगाम आतंकी हमले (अप्रैल 2025) की निंदा सहित आतंकवाद के खिलाफ अपने संयुक्त रुख को दोहराया और खुफिया जानकारी साझा करने** , **साइबर सुरक्षा सहयोग** और **क्षमता निर्माण** पर सहमति व्यक्त की ।
- **व्यापार और आर्थिक संबंध:** भारत बहरीन के **शीर्ष पाँच व्यापारिक साझेदारों में से एक बना हुआ है** , जिसके साथ द्विपक्षीय व्यापार **2024-25 तक 1.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा** । दोनों पक्षों ने **दोहरे कराधान निवारण समझौते (DTAA) के लिए शीघ्र वार्ता और** व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA)** और एक **द्विपक्षीय निवेश संधि पर उन्नत वार्ता पर चर्चा की।**
- **क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे:** दोनों देशों ने **गाजा शांति योजना का समर्थन किया तथा पश्चिम एशिया** में स्थायी शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए इसके महत्व पर बल दिया ।

भौगोलिक स्थिति

बहरीन **फ़ारस की खाड़ी में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है** , जो **84 किलोमीटर लंबे किंग फ़हद कॉज़वे के** ज़रिए **सऊदी अरब के दम्मम** के पास अल खोबर से जुड़ा हुआ है । यह एक **संवैधानिक राजतंत्र है** और यहाँ **लगभग 3.3 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं**, जो इसकी लगभग **एक-चौथाई आबादी है** ।

निष्कर्ष

भारत और बहरीन के बीच **गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं** , जो अब बढ़ते **रक्षा, व्यापार और लोगों के बीच सहयोग के माध्यम से और भी मज़बूत हुए हैं । शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास** के लिए उनका साझा दृष्टिकोण इस स्थायी और रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत बना रहा है।

रोउमारी-डोंडुवा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स

प्रसंग

असम के विशेषज्ञ और वन अधिकारी **रौमारी-डोंडुवा आर्द्रभूमि परिसर को रामसर स्थल** के रूप में नामित करने का आग्रह कर रहे हैं , क्योंकि वे इसके असाधारण पारिस्थितिक मूल्य और समृद्ध पक्षी विविधता को मान्यता देते हैं, जो पूर्वोत्तर भारत के अन्य आर्द्रभूमियों से कहीं अधिक है।

स्थान और परिदृश्य

काजीरंगा बाघ अभयारण्य के हिस्से, **नागांव जिले में लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य** (70.13 वर्ग किमी) के भीतर स्थित , यह आर्द्रभूमि **काजीरंगा और ओरंग राष्ट्रीय उद्यानों** को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण **पारिस्थितिक और प्रवासी गलियारा बनाती है। यह काजीरंगा-ओरंग परिदृश्य** में स्थित है , जिसकी सीमा **लाओखोवा और बुरहाचापोरी वन्यजीव अभयारण्यों** से लगती है , जो बाघ अभयारण्य के लिए बफर ज़ोन के रूप में कार्य करते हैं।

प्रमुख विशेषताऐं

- इसमें लगभग **2.5-3 वर्ग किमी** का अंतर्संबंधित बाढ़-मैदान-दलदली इलाका शामिल है।
- 2025 की गणना में 47,000 से अधिक **जलपक्षी दर्ज किए गए - रोवमारी बील में 20,653** और **डोंडुवा बील में 26,480** - जो 120 से अधिक **पक्षी प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं** ।
- **दीपोर बील** और **लोकतक झील** में पक्षियों की संख्या अधिक है , तथा वैश्विक पारिस्थितिक महत्व के लिए **नौ रामसर मानदंडों में से आठ को पूरा करती है।**

पारिस्थितिक महत्व

यह परिसर कई प्रवासी और संकटग्रस्त प्रजातियों, जिनमें **नॉब-बिल्ड डक** , **ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क** और **फेरुजिनस पोचार्ड शामिल हैं, के लिए आवास, प्रजनन और आहार स्थल के रूप में कार्य करता है। यह समृद्ध जलीय जैव विविधता - मछली, उभयचर, ऊदबिलाव और सरीसृपों का भी घर है और मध्य एशियाई फ्लाईवे** का हिस्सा है । पारिस्थितिक रूप से, यह **बाढ़ प्रतिरोधकता** , **भूजल पुनर्भरण** , **कार्बन भंडारण** और संरक्षित क्षेत्रों के बीच **संपर्क** प्रदान करता है ।

सरोगेसी प्रतिबंध और सर्वोच्च न्यायालय की याचिका

(राजनीति)

संदर्भ

2025 में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका में दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी का लाभ उठाने पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई, जिसमें प्रजनन स्वायत्तता, अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जनसंख्या नियंत्रण नीति पर संवैधानिक प्रश्न उठाए गए।

समाचार के बारे में

पृष्ठभूमि:

एक विवाहित जोड़े ने दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय से मांगी। *सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अनुसार,* यदि किसी जोड़े का पहले से ही जैविक, गोद लिया हुआ या सरोगेट बच्चा है, तो सरोगेसी की अनुमति नहीं है।

न्यायालय की टिप्पणियां:

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि जनसंख्या संबंधी चिंताओं को देखते हुए प्रतिबंध उचित प्रतीत होता है, लेकिन उन्होंने निर्णय से पहले सरकार से जवाब मांगा।

सरोगेसी को समझना

परिभाषा:

सरोगेसी में एक महिला इच्छुक माता-पिता के लिए गर्भधारण करती है और जन्म के बाद बच्चे को उन्हें सौंप देती है।

सरोगेसी के प्रकार	विवरण	भारत में स्थिति
परंपरागत	सरोगेट मां के अंडे का उपयोग किया जाता है; सरोगेट और बच्चे के बीच आनुवंशिक संबंध मौजूद होता है।	अनुमति नहीं है
गर्भावधि	भ्रूण का निर्माण इच्छित माता-पिता के शुक्राणु और अंडाणु का उपयोग करके किया जाता है; सरोगेट के साथ इसका कोई आनुवंशिक संबंध नहीं होता।	सख्त चिकित्सा और कानूनी शर्तों के तहत अनुमति दी गई
परोपकारी	सरोगेट को केवल चिकित्सा और संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है; कोई वाणिज्यिक भुगतान की अनुमति नहीं है।	अनुमत
व्यावसायिक	सरोगेट को चिकित्सा लागत के अतिरिक्त वित्तीय मुआवजा भी मिलता है।	पूरी तरह से प्रतिबंधित

कानूनी ढांचा: सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021

पात्रता:

- केवल कानूनी रूप से विवाहित भारतीय जोड़ों के लिए
- पति: 26-55 वर्ष; पत्नी: 23-50 वर्ष
- बांझपन का चिकित्सा प्रमाण आवश्यक

निषेध:

- व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध
- विदेशियों, एकल अभिभावकों, समलैंगिक और साथ रहने वाले जोड़ों को शामिल नहीं किया गया है
- जब तक कि पहला बच्चा किसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त न हो, तब तक दूसरी सरोगेसी की अनुमति नहीं है

वर्तमान विवाद

याचिकाकर्ता का पक्ष:

- यह प्रतिबंध अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।
- बाद में बांझपन हो सकता है; इसलिए पूर्ण प्रतिबंध मनमाना है।
- भारत में कोई कानूनी एक-बच्चा नीति नहीं है।

सरकार का तर्क:

- सरोगेसी एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं।
- प्रतिबंध से नैतिक और जनसंख्या संबंधी चिंताएं दूर होती हैं।
- सरोगेट की शारीरिक स्वायत्तता की रक्षा की जानी चाहिए।

संवैधानिक और न्यायिक परिप्रेक्ष्य

- **अनुच्छेद 21:** प्रजनन स्वायत्तता सहित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
- **मुख्य निर्णय:**
  - *सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन* (2009) - प्रजनन विकल्प की पुष्टि की गई।
  - *के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ* (2017) - गोपनीयता और प्रजनन संबंधी निर्णय लेने को मौलिक अधिकार माना गया।

ये मामले इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि राज्य विनियमन को अनुचित रूप से व्यक्तिगत स्वायत्तता को सीमित नहीं करना चाहिए।

चुनौतियां

- व्यक्तिगत अधिकारों और जनसंख्या नीति के बीच ओवरलैप
- सरोगेट माताओं का संरक्षण
- एकल और LGBTQ+ आवेदकों का बहिष्कार
- न्यायिक स्थिरता और नैतिक संतुलन बनाए रखना

आगे बढ़ने का रास्ता

- अनुच्छेद 21 के तहत एक-बच्चे के प्रतिबंध का पुनर्मूल्यांकन करें
- समावेशी, परामर्शी नीति-निर्माण सुनिश्चित करना
- अधिकारों और नैतिक प्रथाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना
- न्यायिक और नैतिक निगरानी को मजबूत करना

निष्कर्ष

सरोगेसी पर प्रतिबंध की बहस प्रजनन स्वतंत्रता और राज्य नियंत्रण के बीच तनाव को दर्शाती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सहायक प्रजनन में संवैधानिक अधिकारों और नैतिक एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

ब्रिक्स बनाम स्विफ्ट

संदर्भ

ब्रिक्स - ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, डॉलर पर निर्भरता कम करने, वित्तीय संप्रभुता को मजबूत करने और बहुध्रुवीय वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी नियंत्रित स्विफ्ट प्रणाली का विकल्प तैयार कर रहे हैं।

स्विफ्ट को समझना

अवलोकन:

- **पूर्ण रूप:** सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन
- **मुख्यालय:** बेल्जियम
- **कार्य:** सीमा पार बैंक लेनदेन के लिए सुरक्षित संदेश प्रदान करता है
- **वैश्विक पहुँच:** 200+ देशों में 11,000+ संस्थान

चिंताएँ:

- स्विफ्ट पर अमेरिका/जी7 का प्रभाव हावी है
- प्रतिबंधों के लिए भू-राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है (उदाहरण के लिए, रूस 2022, ईरान)
- अत्यधिक निर्भरता विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को जोखिम में डालती है

ब्रिक्स प्रेरणा और डी-डॉलरीकरण

रणनीतिक लक्ष्य:

- स्विफ्ट और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना
- स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना
- सदस्यों को एकतरफा पश्चिमी प्रतिबंधों से बचाना

पैमाने:

- राष्ट्रीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार
- विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाना
- क्षेत्रीय वित्तीय सहयोग को मजबूत करना

बाह्य प्रतिरोध:

- व्यापार संबंधी धमकियों सहित अमेरिकी विरोध, वित्तीय लाभ में कमी की चिंता को दर्शाता है

ब्रिक्स वित्तीय विकल्प

1. **न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी):** उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे को वित्तपोषित करता है, आईएमएफ/विश्व बैंक के प्रभुत्व का मुकाबला करता है।
2. **स्थानीय मुद्रा व्यापार:** डॉलर के झटकों और अमेरिकी मौद्रिक नीति के प्रति लचीलापन बढ़ाता है।
3. **ब्रिक्स वेतन:**
   - राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों को जोड़ने वाला सीमा-पार मंच
   - स्थानीय मुद्राओं में वास्तविक समय, सुरक्षित भुगतान सक्षम करता है

देश	भुगतान प्रणाली	समारोह
भारत	UPI	तत्काल डिजिटल भुगतान
चीन	सीआईपीएस	युआन-आधारित बस्तियाँ
रूस	एसपीएफएस	स्विफ्ट विकल्प
ब्राज़िल	पिक्स	तेज़ डिजिटल भुगतान
दक्षिण अफ्रीका	आरपीपी	वास्तविक समय घरेलू भुगतान

विजन: पश्चिमी विनियमन से स्वतंत्र एक बहुध्रुवीय वित्तीय नेटवर्क का निर्माण करना।

चुनौतियां

- राजनीतिक तनाव (जैसे, भारत-चीन) सहयोग में बाधा डालते हैं
- विविध भुगतान प्रणालियाँ एकीकरण को जटिल बनाती हैं
- पश्चिमी प्रतिबंधों ने गठबंधन को हतोत्साहित किया
- साइबर सुरक्षा और मानकीकरण जटिल बने हुए हैं
- एकीकृत ब्रिक्स मोर्चा बनाए रखना महत्वपूर्ण है

व्यापक निहितार्थ

- बहुध्रुवीय वैश्विक वित्त की ओर कदम
- डॉलर के प्रभुत्व में क्रमिक कमी
- ब्रिक्स देशों के लिए मजबूत रणनीतिक लाभ

आगे बढ़ने का रास्ता

1. ब्रिक्स वित्तीय समन्वय परिषद का गठन
2. पूर्ण पैमाने पर तैनाती से पहले पायलट क्षेत्रीय परियोजनाएं
3. वैश्विक दक्षिण भागीदारों के साथ सहयोग करें
4. स्वदेशी डिजिटल बुनियादी ढांचे और एआई सुरक्षा में निवेश करें
5. प्रत्यक्ष पश्चिमी टकराव से बचने के लिए कूटनीति को संतुलित करें

निष्कर्ष

स्विफ्ट के विकल्प के रूप में ब्रिक्स का विकल्प वैश्विक वित्त में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। आंतरिक और भू-राजनीतिक बाधाओं के बावजूद, ब्रिक्स पे उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मौद्रिक संप्रभुता और डिजिटल लचीलेपन की दिशा में एक कदम है, जो वैश्विक भुगतान ढाँचे को एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर ले जाने की संभावना रखता है।

पश्चिमी विक्षोभ

प्रसंग

भारत **मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने नवंबर 2025 की शुरुआत में दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर-पश्चिम भारत में** एक नए **पश्चिमी विक्षोभ (डब्ल्यूडी) के आने का अनुमान लगाया है। ये प्रणालियाँ भारत की शीतकालीन वर्षा** , मानसून-पूर्व वर्षा और उत्तरी क्षेत्रों में समग्र जलवायु संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं ।

पश्चिमी विक्षोभ क्या है?

पश्चिमी **विक्षोभ एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान प्रणाली** है जो **भूमध्यसागरीय क्षेत्र** में उत्पन्न होती है और पूर्व की ओर दक्षिण एशिया की ओर बढ़ती है।

- **कार्य:** उत्तर-पश्चिम भारत, पाकिस्तान और पश्चिमी हिमालय में **गैर-मानसूनी वर्षा, बर्फबारी और बादल छाए** रहते हैं।
- **क्रियाविधि:** मध्य अक्षांशों में **उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराओं** द्वारा संचालित।
- **मौसमी: सर्दियों के महीनों (दिसंबर-फरवरी)** के दौरान सबसे अधिक बार, हालांकि वे मानसून-पूर्व स्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं।

गठन और आंदोलन

मूल:

- **यूरोप से आने वाली ठंडी ध्रुवीय हवा और गर्म, नम उपोष्णकटिबंधीय हवा के बीच परस्पर क्रिया** के कारण उत्पन्न होती है , जिससे ऊपरी वायुमंडल में चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोजेनेसिस) होता है।

पूर्व की ओर गति:

- **पश्चिमी जेट धाराओं** द्वारा संचालित यह प्रणाली **भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर के ऊपर से गुजरते समय नमी प्राप्त करती है** ।

अपव्यय:

- **हिमालय** तक पहुंचने पर , विक्षोभ **वर्षा या हिमपात के रूप में नमी छोड़ता है** और आमतौर पर इसके बाद शीघ्र ही नष्ट हो जाता है।

पश्चिमी विक्षोभ को प्रभावित करने वाले कारक

1. **जेट स्ट्रीम गतिकी: उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम** की स्थिति और शक्ति, WDs की आवृत्ति और तीव्रता को निर्धारित करती है।
2. **स्थलाकृति:** हिमालय नम हवा को ऊपर की ओर धकेलता है, जिससे वर्षा होती है **।**
3. **तापमान प्रवणता: ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमानों** के बीच मजबूत विरोधाभास चक्रवातजनन को बढ़ाता है।
4. **महासागरीय परिस्थितियाँ: भूमध्य सागर और यूरेशियाई समुद्र** में समुद्र की सतह का तापमान WD के विकास और पथ को प्रभावित करता है।

भारत पर प्रभाव

कृषि:

- उत्तर-पश्चिम भारत में गेहूं और सरसों जैसी **रबी फसलों** के लिए यह महत्वपूर्ण है , तथा **सर्दियों में आवश्यक नमी प्रदान करता है** ।

वर्षण:

- उत्तर-पश्चिमी राज्यों और हिमालय में **वर्षा और बर्फबारी** होगी , जिससे नदियों और भूजल का स्तर बढ़ेगा।

मौसम चक्र:

- अपने साथ **बादल छाए रहते हैं** , **रातें गर्म होती हैं** , **दिन ठंडे होते हैं** और कभी-कभी **कोहरा या शीत लहरें भी** आती हैं।

आपदाएँ:

- मजबूत WDs के कारण **बाढ़, हिमस्खलन, भूस्खलन** और संवेदनशील क्षेत्रों में फसल क्षति हो सकती है।

वायु गुणवत्ता:

- इससे जुड़ी वर्षा और हवाएं प्रदूषकों को फैलाकर अस्थायी रूप से **वायु की गुणवत्ता में सुधार करती हैं।**

मानसून और मौसमी बदलावों में भूमिका

मानसून-पूर्व प्रभाव:

- **अप्रैल-मई** के दौरान , पश्चिमी विक्षोभ **मानसून-पूर्व वर्षा में योगदान करते हैं** , जिससे उत्तर भारत में गर्मी का स्तर कम होता है।

मानसून के साथ अंतर्क्रिया:

- **दक्षिण-पश्चिम मानसून** के साथ अंतःक्रिया होती है , जिसके परिणामस्वरूप **तीव्र वर्षा की घटनाएं होती हैं** (उदाहरण के लिए, 2013 उत्तराखंड बाढ़)।

मौसमी परिवर्तन:

- वसंत के अंत में पश्चिमी विक्षोभ की गतिविधि में कमी आने से बंगाल की खाड़ी से **दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन में सहायता मिलती है।**

निष्कर्ष

पश्चिमी विक्षोभ भारत की जलवायु प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। ये **कृषि, जल संसाधनों और मौसमी मौसम संतुलन को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इनकी परिवर्तनशीलता और तीव्रता बाढ़, भूस्खलन और फसल हानि** जैसे जोखिम भी पैदा करती है। उत्तर भारत में **खाद्य सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और शहरी मौसम नियोजन** के लिए पश्चिमी विक्षोभ को समझना और उनका पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है ।

भारतीय हॉकी के 100 वर्ष (1925-2025)

प्रसंग

भारत **भारतीय हॉकी की शताब्दी मना रहा है** , जिसके तहत राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों का समापन **7 नवंबर, 2025 को मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, नई दिल्ली** में एक भव्य समारोह के साथ होगा। यह मील का पत्थर भारत की **समृद्ध हॉकी विरासत** , रिकॉर्ड तोड़ ओलंपिक सफलताओं और इस खेल को आकार देने वाले दिग्गज खिलाड़ियों की स्मृति में मनाया जाता है ।

ऐतिहासिक यात्रा और उत्पत्ति

- **राष्ट्रीय प्रतीक:** हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, जो **टीम वर्क, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करता है** ।
- **वैश्विक उत्पत्ति:** इस खेल का इतिहास प्राचीन मिस्र में **4,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है, जो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आधुनिक हॉकी के रूप में विकसित हुआ** ।
- **भारत में परिचय: 1850 के दशक** में अंग्रेजों द्वारा लाई गई हॉकी ने अपनी सुगमता और न्यूनतम उपकरण आवश्यकताओं के कारण शीघ्र ही लोकप्रियता हासिल कर ली।
- **संगठित हॉकी:** पहला भारतीय हॉकी क्लब **1855 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था** ।
- **भारतीय हॉकी महासंघ (आईएचएफ) का गठन: अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच)** की स्थापना के तुरंत बाद **1925** में इसकी स्थापना की गई , जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की भागीदारी औपचारिक हो गई।

प्रमुख उपलब्धियां और विरासत

- **ओलंपिक प्रभुत्व:**
  - से **1956 तक** लगातार छह **ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर** विश्व रिकॉर्ड बनाया।
  - **1964 और 1980** में अतिरिक्त स्वर्ण पदक, कुल **8 ओलंपिक स्वर्ण** और **13 पोडियम फिनिश** ।
- **विश्व कप विजय:** भारत ने अपना एकमात्र **हॉकी विश्व कप 1975 में** कुआलालंपुर में जीता था।
- **दिग्गज खिलाड़ी: ध्यानचंद ("हॉकी के जादूगर")** , बलबीर सिंह सीनियर, धनराज पिल्लै और हरमनप्रीत सिंह शामिल हैं ।
- **महिला हॉकी:**
  - **2002 में** राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता ।
  - **2020 में चौथे स्थान** के साथ ओलंपिक पोडियम से चूक गए ।
  - हाल की सफलताओं में **टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक में पदक** और **एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक शामिल हैं** ।

भारत में हॉकी का महत्व

- **राष्ट्रीय पहचान: उत्तर-औपनिवेशिक गौरव का** प्रतीक है तथा विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में एकता को बढ़ावा देती है।
- **सांस्कृतिक विरासत:** भारतीय समाज में निहित **लचीलापन, टीमवर्क, अनुशासन और उत्कृष्टता** के मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है ।
- **महिला सशक्तिकरण: अस्मिता लीग** जैसी पहलों के माध्यम से महिला हॉकी का विकास, खेलों में **लैंगिक समावेशिता को** दर्शाता है ।

शताब्दी समारोह की मुख्य विशेषताएं (2025)

- **राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम: 550 जिलों** में 1,400 से अधिक **हॉकी मैच** , जिसमें लगभग **36,000 खिलाड़ी भाग लेंगे** ।
- **मुख्य समारोह: मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में मंत्री एकादश** और हॉकी इंडिया की **मिश्रित पुरुष एवं महिला टीम** के बीच प्रदर्शनी मैच, जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा।
- **दिग्गजों का सम्मान:** विभिन्न पीढ़ियों के हॉकी दिग्गजों का सम्मान।
- **स्मारक खंड: भारतीय हॉकी के 100 वर्षों** , इसकी उपलब्धियों और पुनरुद्धार का विवरण देने वाले प्रकाशन का शुभारंभ।
- **सरकारी सहायता: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS), टारगेट एशियन गेम्स ग्रुप (TAGG)** और **ASMITA हॉकी लीग जैसे जमीनी स्तर के कार्यक्रमों** के माध्यम से ।

निष्कर्ष

भारतीय हॉकी का शताब्दी वर्ष, **अद्वितीय उत्कृष्टता** , ऐतिहासिक उपलब्धियों और भारत में एक **एकीकृत शक्ति के रूप में इस खेल की भूमिका का जश्न मनाता है। निरंतर निवेश, विकास और समावेशी कार्यक्रमों के साथ** , भारत आने वाले दशकों में

पुरुष और महिला दोनों हॉकी पर समान ध्यान देते हुए, **अपने वैश्विक हॉकी प्रभुत्व को पुनः स्थापित करना चाहता है।**

ब्रिक्स पे

कज़ान (2024) में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, सदस्य देशों ने अमेरिका के नेतृत्व वाली स्विफ्ट प्रणाली पर निर्भरता कम करने और अधिक बहुध्रुवीय, समावेशी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स क्रॉस-बॉर्डर भुगतान पहल - ब्रिक्स पे - का शुभारंभ किया।

समाचार के बारे में

- **पश्चिमी प्रभुत्व:** 200 देशों के 11,000 संस्थानों को जोड़ने वाली SWIFT पर बड़े पैमाने पर अमेरिका और यूरोप का नियंत्रण है, जिससे उन्हें वैश्विक वित्तीय प्रभाव प्राप्त है।
- **प्रतिबंध का प्रभाव:** यूक्रेन युद्ध के बाद रूस द्वारा 2022 में स्विफ्ट पर लगाया गया प्रतिबंध यह दर्शाता है कि देश पश्चिमी प्रणालियों पर कितने निर्भर हैं।
- **ब्रिक्स प्रतिक्रिया:** सदस्यों और ईरान जैसे ब्रिक्स+ साझेदारों ने वित्तीय संप्रभुता की रक्षा के लिए स्वतंत्र तंत्र बनाना शुरू कर दिया।
- **संस्थागत जड़ें:** 2014 के फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन ने एनडीबी और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था के माध्यम से वित्तीय स्वायत्तता की शुरुआत की।
- **कज़ान घोषणा (2024):** ब्रिक्स पे के शुभारंभ को चिह्नित करते हुए, डिजिटल संप्रभुता और डॉलर पर निर्भरता को कम करने पर जोर दिया गया।

ब्रिक्स वेतन

अवधारणा:

ब्रिक्स और साझेदार देशों के बीच सुरक्षित, कम लागत वाले लेनदेन के लिए एक डिजिटल, अंतर-संचालनीय, विकेन्द्रीकृत भुगतान मंच।

प्रमुख विशेषताऐं:

- **अंतर-संचालनीयता:** राष्ट्रीय प्रणालियों को जोड़ता है - भारत का यूपीआई, चीन का सीआईपीएस, रूस का एसपीएफएस, ब्राजील का पिक्स।
- **विकेंद्रीकरण:** कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं, प्रणालीगत जोखिम कम करना।
- **बहु-मुद्रा उपयोग:** स्थानीय मुद्रा व्यापार को सक्षम बनाता है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होती है।
- **समान शासन:** सदस्यों के बीच साझा निर्णय लेना।
- **विनियामक मानक:** वैश्विक केवाईसी और एएमएल मानदंडों का पालन करता है।

उद्देश्य:

- वित्तीय संप्रभुता और समावेशन को बढ़ावा देना।
- एसएमई के लिए लेनदेन लागत में कटौती।
- नवाचार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करना।
- मौजूदा भुगतान प्रणालियों को पूरक बनाना।

पहलू	तीव्र	ब्रिक्स वेतन
नियंत्रण	जी10 केंद्रीय बैंक (मुख्यतः अमेरिका और यूरोपीय संघ)	ब्रिक्स व्यापार परिषद (विकेंद्रीकृत)
वास्तुकला	केंद्रीकृत	विकेन्द्रीकृत
मुद्रा आधार	डॉलर बहुल	बहु-मुद्रा, स्थानीय बस्तियाँ
समावेशिता	पश्चिमी प्रणालियों की ओर उन्मुख	वैश्विक दक्षिण समावेशन के लिए डिज़ाइन किया गया
दृष्टिकोण	एकाधिकार-चालित	सहकारी और बहुध्रुवीय

चुनौतियां

- **विविध हित:** प्रतिद्वंद्वी प्रणालियाँ (UPI बनाम CIPS) अपनाने की गति धीमी कर सकती हैं।
- **तकनीकी बाधाएँ:** साइबर सुरक्षा और प्लेटफ़ॉर्म संगतता सुनिश्चित करना।
- **भू-राजनीतिक मुद्दे:** भारत-चीन तनाव सहयोग को प्रभावित कर सकता है।
- **विनियामक जटिलता:** एएमएल और डेटा कानूनों को संरेखित करना कठिन है।
- **पश्चिमी प्रतिरोध:** अमेरिका-यूरोपीय संघ का विरोध पहुंच को सीमित कर सकता है।
- **सीमित विस्तार:** आसियान, अफ्रीकी संघ के साथ सहभागिता की आवश्यकता।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **चरणबद्ध कार्यान्वयन:** द्विपक्षीय समझौतों से शुरुआत करें, धीरे-धीरे विस्तार करें।
- **संस्थागत संबंध:** तरलता सहायता के लिए ब्रिक्स पे को एनडीबी से जोड़ें।
- **फिनटेक चार्टर:** नियमों और तकनीकी मानदंडों का मानकीकरण।
- **तकनीकी एकीकरण:** सुरक्षित निगरानी के लिए ब्लॉकचेन और एआई का उपयोग करें।
- **समावेशी विकास:** अधिकाधिक ब्रिक्स+ साझेदारों को शामिल करना।
- **संतुलित सहभागिता:** स्थिरता के लिए पश्चिमी प्रणालियों के साथ सहयोग करें।

निष्कर्ष

ब्रिक्स पे एक विकेन्द्रीकृत और समावेशी वित्तीय प्रणाली की ओर एक बड़ा कदम है। स्वायत्तता, नवाचार और समानता को बढ़ावा

देकर, यह वैश्विक भुगतानों का लोकतंत्रीकरण और साझा विकास एवं पारदर्शिता पर आधारित एक लचीली, बहुध्रुवीय वित्तीय व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है।

फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का पहला निर्यात

संदर्भ

नवंबर 2025 में, एपीडा ने छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका को 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) का भारत का पहला निर्यात सक्षम किया, जो खाद्य सुदृढ़ीकरण, कृषि नवाचार और पोषण-आधारित निर्यात में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करता है।

समाचार के बारे में

फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) क्या है?

FRK पोषक तत्वों से भरपूर चावल है जो चावल के आटे को आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। एक्सट्रूज़न तकनीक का इस्तेमाल करके, यह प्राकृतिक चावल के रंग-रूप और स्वाद को बरकरार रखते हुए पोषण मूल्य को बढ़ाता है।

प्रमुख विशेषताऐं:

- **सूक्ष्म पोषक तत्व संवर्धन:** एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने में मदद करता है।
- **मिश्रण अनुपात:** समान सुदृढ़ीकरण के लिए 1:100 अनुपात में सामान्य चावल के साथ मिलाया जाता है।
- **तकनीकी नवाचार:** उन्नत एक्सट्रूज़न और ब्लेंडिंग प्रणालियों का उपयोग करके बनाया गया।
- **वैश्विक अनुपालन:** सुचारू निर्यात प्रमाणन के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करता है।

एपीडा के बारे में

अवलोकन:

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) भारत के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात को बढ़ावा देता है और उसका विनियमन करता है।

स्थापना:

एपीडा अधिनियम, 1985 के तहत बनाया गया और 13 फरवरी, 1986 से प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद (पीएफईपीसी) का स्थान लेता है।

अधिदेश और उद्देश्य

- निर्यातोन्मुखी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना।
- वैश्विक मानदंडों को पूरा करने के लिए गुणवत्ता और प्रमाणन को मजबूत करना।
- नवाचार और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से विविधीकरण को प्रोत्साहित करें।
- टिकाऊ और मूल्यवर्धित उत्पादन के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना।

एपीडा के प्रमुख कार्य

- **विकास एवं सहायता:** निर्यातकों को वित्तीय एवं अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करता है।
- **निर्यातक पंजीकरण:** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए निर्यातकों को पंजीकृत और प्रमाणित करता है।
- **गुणवत्ता नियंत्रण:** निर्यात उत्पादों की स्वच्छता और सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करता है।
- **पैकेजिंग एवं विपणन:** ब्रांडिंग और पैकेजिंग दक्षता को बढ़ाता है।
- **डेटा एवं प्रशिक्षण:** निर्यात सांख्यिकी और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करता है।
- **मूल्य संवर्धन:** फोर्टिफाइड, जैविक और जीआई-टैग वाले खाद्य निर्यात को बढ़ावा देता है।

महत्व

- **वैश्विक मान्यता:** भारत को फोर्टिफाइड, उच्च गुणवत्ता वाले अनाज के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में स्थापित करता है।
- **पोषण संबंधी प्रभाव:** भारत के राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्यों का समर्थन करता है।
- **क्षेत्रीय विकास:** भारत के कृषि-निर्यात विस्तार में छत्तीसगढ़ की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग:** लैटिन अमेरिकी साझेदारों के साथ व्यापार को बढ़ावा देता है।
- **स्थायित्व:** यह समावेशी और पोषण-संवेदनशील कृषि-व्यापार पर भारत के फोकस को दर्शाता है।

निष्कर्ष

एपीडा के तहत फोर्टिफाइड राइस कर्नेल का निर्यात भारत की खाद्य निर्यात यात्रा में एक मील का पत्थर है, जिसमें प्रौद्योगिकी, पोषण और व्यापार का समन्वय है। यह फोर्टिफाइड खाद्य निर्यात में अग्रणी के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा एवं सतत कृषि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।

विजयनगर साम्राज्य

संदर्भ

नवंबर 2025 में, पुरातत्वविदों ने तमिलनाडु के कोविलूर में एक उत्तर चोल-कालीन शिव मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान विजयनगर साम्राज्य (14वीं-16वीं शताब्दी ई.) के 103 सोने के सिक्कों की खोज की, जो चोल और विजयनगर परंपराओं के बीच संबंधों पर प्रकाश डालते हैं।

खोज विवरण

- मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान गर्भगृह के पास ये सिक्के मिले।
- तमिलनाडु राज्य पुरातत्व एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भारतीय खजाना अधिनियम, 1878 के तहत इस खोज को सुरक्षित कर लिया।
- प्रारंभिक अध्ययनों से पता चलता है कि ये सिक्के हरिहर द्वितीय या कृष्णदेवराय के शासनकाल के हैं, जो संभवतः मंदिर में चढ़ावे के रूप में दिए गए थे।

सिक्कों की विशेषताएँ

- **संरचना:** उच्च शुद्धता वाले सोने से बने छिद्रित सिक्के (लगभग 5 मिमी), जो उत्कृष्ट धातुकर्म कौशल को दर्शाते हैं।
- **शाही प्रतीक:** विजयनगर साम्राज्य का शाही प्रतीक चिन्ह, वराह (वराह) जो दैवीय संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करता है।
- **प्रतिमा-विज्ञान: इसमें** उमा-महेश्वर, विष्णु-लक्ष्मी और बालकृष्ण जैसे देवताओं को दर्शाया गया है, जो धार्मिक समावेशिता का प्रतीक हैं।
- **शिलालेख:** इनमें देवनागरी, कन्नड़ या तमिल में "श्री प्रताप कृष्ण राय" जैसे शीर्षकों के साथ किंवदंतियाँ शामिल हैं।
- **कलात्मकता:** बारीक विवरण और डाई-कास्टिंग उन्नत ढलाई और कलात्मक परिशुद्धता को दर्शाते हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ

हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम द्वारा स्थापित विजयनगर साम्राज्य (1336-1646 ई.), दक्षिण भारत का अंतिम महान हिंदू साम्राज्य था जिसकी राजधानी हम्पी थी। इसने उत्तरी आक्रमणों का प्रतिरोध किया और व्यापार, कला और स्थापत्य कला का एक प्रमुख केंद्र बन गया। कृष्णदेवराय (1509-1529 ई.) के शासनकाल में, यह अपने सांस्कृतिक और आर्थिक शिखर पर पहुँच गया।

आर्थिक महत्व

- **मौद्रिक प्रणाली:** इसमें व्यापार और कराधान के लिए सोने के पगोडा, चांदी के टारा और तांबे के जिटल शामिल थे।
- **सोने के सिक्के का उपयोग:** मंदिर के चढ़ावे, शाही दान और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किया जाता था।
- **व्यापार नेटवर्क:** दक्षिण भारत, श्रीलंका और हिंद महासागर मार्गों में फैला हुआ था, जो साम्राज्य की समुद्री पहुंच को प्रमाणित करता था।

पुरातात्विक और सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि

- यह मंदिर की धार्मिक और आर्थिक केंद्र के रूप में दोहरी भूमिका को दर्शाता है।
- पवित्र भूगोल में चोल से विजयनगर काल तक की निरंतरता पर प्रकाश डाला गया है।
- विजयनगर प्रभाव की दक्षिणी सीमा के भीतर तिरुवन्नमलाई के स्थान को सुदृढ़ करता है।

महत्व

- विजयनगर की मौद्रिक नीति और धार्मिक अर्थव्यवस्था का ठोस प्रमाण प्रदान करता है।
- उन्नत धातु विज्ञान और कलात्मक सिक्का डिजाइन का प्रदर्शन।
- मंदिर संरक्षण और अनुष्ठानिक दान की समझ को गहरा करता है।
- तमिलनाडु की पुरातात्विक संपदा के संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष

कोविलूर स्वर्ण मुद्रा की खोज विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि, भक्ति और कलात्मक निपुणता का प्रतीक है। चोल और विजयनगर की विरासतों को जोड़ते हुए, यह दक्षिण भारत की सांस्कृतिक निरंतरता की हमारी समझ को समृद्ध करता है और भारत की जीवंत ऐतिहासिक परतों को उजागर करने में मंदिर जीर्णोद्धार के महत्व को रेखांकित करता है।

ब्लैक होल के टुकड़े

संदर्भ:

"ब्लैक होल मोर्सल्स" सैद्धांतिक रूप से सूक्ष्म ब्लैक होल हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे विशाल ब्लैक होल के टकराव से बनते हैं। अपने छोटे आकार के बावजूद, ये अत्यधिक ऊर्जावान और अल्पकालिक होते हैं, जो क्वांटम गुरुत्वाकर्षण परिघटना की एक संभावित झलक प्रदान करते हैं।

ब्लैक होल के टुकड़े क्या हैं?

ये अतिविशाल ब्लैक होल के हिंसक विलय के दौरान उत्पन्न सूक्ष्म ब्लैक होल हैं।

प्रत्येक कण का द्रव्यमान किसी क्षुद्रग्रह के समान हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान और हॉकिंग तापमान के व्युत्क्रमानुपाती संबंध के कारण यह अत्यधिक गर्म होता है।

ये हॉकिंग विकिरण के माध्यम से तेज़ी से वाष्पित हो जाते हैं, जिससे गामा किरणों के संक्षिप्त, शक्तिशाली विस्फोट निकलते हैं।

विकिरण विशेषताएँ

- **हॉकिंग विकिरण:**
  वाष्पीकरण, कण के द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जैसा कि घुमावदार स्पेसटाइम में क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी की गई है।
- **उत्सर्जन पैटर्न:**
  विकिरण समदैशिक है, जो बीम्ड गामा-रे बर्स्ट (जीआरबी) के विपरीत, सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है।
- **पता लगाने योग्यता:**
  गामा-किरण उत्सर्जन फर्मी और इंटीग्रल जैसी वेधशालाओं की संवेदनशीलता के अंतर्गत आ सकता है।

वैज्ञानिक महत्व

- **क्वांटम ग्रेविटी जांच:**
  क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता को जोड़ सकता है, तथा दो मौलिक सिद्धांतों को जोड़ सकता है।
- **मानक मॉडल से परे:**
  यह नई भौतिकी या स्ट्रिंग सिद्धांत द्वारा सुझाए गए अतिरिक्त आयामों का संकेत हो सकता है।
- **ब्रह्माण्ड संबंधी अंतर्दृष्टि:**
  आकाशगंगा विलय के बाद ब्लैक होल ऊष्मागतिकी और ऊर्जा प्रवाह के बारे में सुराग प्रदान करता है।

वर्तमान स्थिति

- **सैद्धांतिक आधार:**
  अभी तक कोई प्रत्यक्ष पता नहीं चला है; यह विचार सिमुलेशन और क्वांटम गुरुत्व मॉडल से उत्पन्न हुआ है।

- **अवलोकनात्मक खोज:**
  वैज्ञानिक संभावित वाष्पीकरण घटनाओं से उत्पन्न होने वाले अद्वितीय, गैर-बीम्ड गामा-किरण संकेतों की निगरानी कर रहे हैं।
- **व्यवहार्यता:**
  अध्ययनों से पता चलता है कि वर्तमान और आगामी गामा-किरण उपकरणों का उपयोग करके पता लगाना संभव है।

निष्कर्ष

ब्लैक होल के अवशेष क्वांटम गुरुत्व और स्पेसटाइम की संरचना को समझने के लिए एक सैद्धांतिक लेकिन आशाजनक कुंजी बने हुए हैं।

उनकी अंतिम खोज खगोल भौतिकी और क्वांटम सिद्धांत की अंतर्दृष्टि को एकीकृत करके आधुनिक भौतिकी को बदल सकती है, और यह बता सकती है कि ब्रह्मांड अपने सबसे चरम पैमानों पर कैसे व्यवहार करता है।

न्यायालय की अवमानना

संदर्भ:

यह लेख सोशल मीडिया पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध अपमानजनक और अपमानजनक टिप्पणियों में वृद्धि पर प्रकाश डालता है, जो न्यायिक गरिमा को कम करती हैं और न्यायालय के कामकाज में बाधा डालती हैं। न्यायालय की अवमानना का अर्थ है ऐसे कार्य जो न्यायपालिका के अधिकार का अनादर या ह्रास करते हैं।

संवैधानिक आधार और शक्तियाँ

- अनुच्छेद 19(2): न्यायालय की अवमानना सहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध निर्दिष्ट करता है, तथा न्यायपालिका को बदनाम करने वाले भाषण पर रोक लगाता है।
- अनुच्छेद 129: सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 215: न्यायिक प्राधिकार को कायम रखने के लिए उच्च न्यायालयों को समान अवमानना शक्तियां प्रदान करता है।

वैधानिक परिभाषा (न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971)

- सिविल अवमानना: न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा, जैसे, स्थगन आदेश का उल्लंघन करना।
- आपराधिक अवमानना: न्यायपालिका के अधिकार को कम करने या बदनाम करने वाले कार्य, जैसे, मानहानिकारक टिप्पणी या न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रयास।

अवमानना मामलों की शुरुआत

- स्वप्रेरणा: न्यायालय अपनी गरिमा की रक्षा के लिए स्वयं अवमानना कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।
- याचिका: व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा दायर शिकायतों के आधार पर।

भेद: आलोचना बनाम अवमानना

- निष्पक्ष आलोचना: रचनात्मक प्रतिक्रिया और निर्णयों के विश्लेषण की अनुमति है।
- अवमानना: न्यायाधीशों के विरुद्ध अपमानजनक भाषा, व्यक्तिगत हमले या निराधार आरोप निष्पक्ष आलोचना से परे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय

- अश्विनी कुमार घोष बनाम अरविंद बोस (1952): निष्पक्ष आलोचना की अनुमति है लेकिन सीमाएं नहीं लांघी जानी चाहिए।
- अनिल रतन सरकार बनाम हीराका घोष (2002): अवमानना शक्तियों का विवेकपूर्ण और संयम से उपयोग किया जाना चाहिए।
- एम.वी. जयराजन बनाम केरल उच्च न्यायालय (2015): न्यायालयों के विरुद्ध अपमानजनक भाषा आपराधिक अवमानना के समान है।
- लक्ष्मी नारायण बनाम मद्रास उच्च न्यायालय (2025): अवमानना कानून न्यायपालिका के कामकाज की रक्षा करता है, न कि न्यायाधीशों की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की।

आवश्यकता और प्रस्तावित सुधार

- उद्देश्य: जनता का विश्वास बनाए रखना और न्यायपालिका को राजनीतिक हमलों से बचाना।
- चिंताएं: अवमानना शक्तियों का दुरुपयोग स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर अंकुश लगा सकता है या चुनिंदा रूप से न्यायिक अहंकार की रक्षा कर सकता है।
- आवश्यक सुधार: आपराधिक अवमानना की स्पष्ट परिभाषा, आलोचना के प्रति अधिक सहिष्णुता, न्यायिक गरिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संतुलित संरक्षण।

यह संपादकीय न्यायपालिका के अधिकार की रक्षा और अभिव्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

लाल बौने तारे पर कोरोनाल मास इजेक्शन (सीएमई)

संदर्भ

सूर्य से परे किसी तारे पर पहली बार देखा गया सीएमई, लाल बौने की गतिविधि और निकटवर्ती ग्रहों पर इसके प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करता है।

डिस्कवरी के बारे में

- **घटना विवरण:**
  पृथ्वी से लगभग 133 प्रकाश वर्ष दूर, रेड ड्वार्फ STK M111262 पर एक शक्तिशाली CME का पता चला।
- **प्रयुक्त उपकरण:**
  यूरोप के LOFAR रेडियो दूरबीन नेटवर्क का उपयोग करके रिकॉर्ड किया गया, जो अपनी उच्च परिशुद्धता

रेडियो निगरानी क्षमताओं के लिए जाना जाता है; एक मिनट की यह घटना 16 मई, 2016 को घटित हुई।

कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) को समझना

परिभाषा:

सीएमई एक तारे के कोरोना से चुंबकीय प्लाज्मा का विस्फोटक उत्सर्जन है, जो सूर्य के मामले में मिनटों से लेकर घंटों तक रहता है।

पृथ्वी पर प्रभाव (सौर सीएमई):

- उपग्रहों, जी.पी.एस., संचार को बाधित करें।
- बिजली और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को बाधित करना।
- ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट अरोरा उत्पन्न करें।

तारकीय सीएमई का महत्व

- **तीव्रता और पैमाना:**
  यह सीएमई सामान्य सौर सीएमई की तुलना में लगभग 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली था, तथा इसमें अत्यधिक लाल बौने जैसी अस्थिरता दिखी।
- **तारकीय व्यवहार:**
  यह पुष्टि करता है कि लाल बौने अक्सर शक्तिशाली ऊर्जावान विस्फोटों के साथ फटते हैं।
- **बाह्यग्रहों पर प्रभाव:**
  निकट परिक्रमा करने वाले ग्रहों का वायुमंडल, जलवाष्प और ओजोन नष्ट हो सकता है, जिससे वहां रहने की संभावना कम हो सकती है।
- **वैज्ञानिक महत्व:**
  ठंडे तारों के आसपास के बाह्यग्रहों के वातावरण का अध्ययन करने में एक प्रमुख कदम।

आगे बढ़ने का रास्ता

- उन्नत दूरबीनों का उपयोग करके लाल बौने की निगरानी जारी रखी गई।
- तारकीय सीएमई घटनाओं के लिए बेहतर पूर्वानुमान मॉडल।
- बाह्यग्रहों की आवास योग्यता के मूल्यांकन में सीएमई डेटा का उपयोग करना।

निष्कर्ष

यह खोज लाल बौनों के बारे में हमारी समझ को नया रूप देती है, तथा उनकी हिंसक गतिविधि और निकटवर्ती ग्रहों के वायुमंडल को नष्ट करने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालती है, जो आकाशगंगा में अन्यत्र जीवन-सहायक स्थितियों का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है।

नियोडिमियम (दुर्लभ पृथ्वी तत्व)

संदर्भ

भारत ने दुर्लभ पृथ्वी संसाधनों में रणनीतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए 2027 तक नियोडिमियम उत्पादन में नौ गुना वृद्धि की योजना बनाई है।

वर्गीकरण

- नियोडिमियम (Nd) एक दुर्लभ मृदा तत्व (REE) है।
- आरईई में 17 तत्व शामिल हैं: 15 लैंथेनाइड्स, साथ ही स्कैंडियम और यिट्रियम।

खोज

- इसकी खोज जर्मन रसायनशास्त्री कार्ल ऑयर ने की थी।
- यह नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है "नया जुड़वां।"

सूत्रों का कहना है

- मोनाजाइट और बास्टनासाइट जैसे अयस्कों में पाया जाता है।
- प्रमुख भंडार: भारत, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया।

प्रमुख उपयोग

- उच्च शक्ति वाले स्थायी चुम्बकों के लिए महत्वपूर्ण।
- अनुप्रयोग:
  - **ईवी मोटर्स**
  - **पवन टरबाइन जनरेटर**
  - **इलेक्ट्रॉनिक्स** (ऑडियो डिवाइस, भंडारण प्रणालियाँ)
  - **रक्षा** (लेज़र, रडार, मिसाइल, विमान तकनीक)

सामरिक महत्व

- भारत चीन से नियोडिमियम का भारी आयात करता है, जो वैश्विक REE प्रसंस्करण के 80-90% को नियंत्रित करता है।
- लक्ष्य: **2027 तक 500 टन घरेलू उत्पादन** , आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा में सुधार और निर्भरता में कमी।

बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती

संदर्भ

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को उनकी 150वीं जयंती पर सम्मानित किया, जिसे देश भर में *जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया*।

बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के बारे में

वह कौन थे?

बिरसा मुंडा (1875-1900) एक सम्मानित आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और मुंडा समुदाय के नेता थे। आदिवासी भूमि, जंगल और पहचान की रक्षा के लिए उन्हें *भगवान* और *धरती आबा के नाम से जाना जाता था।*

जन्म और क्षेत्र

छोटानागपुर पठार के उलिहातू, वर्तमान खूंटी (झारखंड) में जन्म। चल्कड और कुरुंबदा में रहते थे; साल्गा और बाद में चाईबासा में पढ़ाई की.

मुंडा आंदोलन (उलगुलान) में योगदान

- ब्रिटिश शोषण, भूमि अलगाव, जबरन श्रम और मिशनरी हस्तक्षेप के खिलाफ *उलगुलान का* नेतृत्व किया ।
- *मुंडारी खुंटकट्टी* भूमि व्यवस्था और शोषक *ठिकादारों* के विनाश का विरोध किया ।

- भूमि अधिकार और स्वशासन के लिए मुंडा, उरांव और खारिया जनजातियों को एकजुट किया।
- सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया: शराब विरोधी, स्वच्छता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान।
- नारा दिया: **"अबुआ राज सेतार जाना, महारानी राज टुडू जाना।"**
- औपनिवेशिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध गुरिल्ला रणनीति अपनाई गई।

बिरसा मुंडा के बारे में अनोखे तथ्य

- अस्थायी रूप से ईसाई धर्म अपनाने के बाद परिवार का नाम *दाऊद मुंडा* पड़ा ।
- सामाजिक-धार्मिक संप्रदाय *बिरसाइत की स्थापना की* और आध्यात्मिक अनुयायी प्राप्त किये।
- *अखरा* परंपराओं में सक्रिय ।
- रांची जेल में 25 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई; उलगुलान के फलस्वरूप **1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ** , जिससे जनजातीय भूमि की रक्षा हुई।
- पुस्तकों, फिल्मों, लोकगीतों से प्रेरित होकर झारखंड में 150 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियम, 2025

संदर्भ

डीपीडीपी नियम, 2025, डीपीडीपी अधिनियम, 2023 को क्रियान्वित करते हैं, जो नवाचार का समर्थन करते हुए गोपनीयता को मजबूत करने के लिए डीपीबीआई के माध्यम से सहमति, प्रसंस्करण, अनुपालन और डिजिटल निरीक्षण के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करते हैं।

नियमों के बारे में

पृष्ठभूमि

नियम व्यक्तिगत डेटा के संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण और साझाकरण को निर्दिष्ट करते हैं, नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करते हैं, तथा पूर्वानुमानित गोपनीयता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए डेटा फिड्युशरीज़ के लिए दायित्व निर्धारित करते हैं।

प्रमुख प्रावधान

- **कार्यान्वयन समय-सीमा:**
  विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए सुचारू अनुपालन हेतु 18 महीने का चरणबद्ध रोलआउट।
- **सहमति ढांचा:**
  सूचित उपयोगकर्ता अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट, उद्देश्य-संबद्ध सहमति नोटिस।
- **डेटा उल्लंघन प्रोटोकॉल:**
  प्रभावित व्यक्तियों के लिए त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई के साथ अनिवार्य उल्लंघन सूचनाएं।
- **बच्चों एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए संरक्षण:**
  माता-पिता/अभिभावक की सहमति आवश्यक; केवल शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए सीमित छूट।
- **अनुपालन एवं जवाबदेही:**
  अनिवार्य डीपीओ, अनुपालन अधिकारी, ऑडिट और डीपीआईए, विशेष रूप से महत्वपूर्ण डेटा फिड्युशरीज़ के लिए।
- **डेटा प्रिंसिपल के अधिकार:**
  पहुंच, सुधार, मिटाने, सहमति वापस लेने और नामांकित व्यक्ति नियुक्त करने का अधिकार; 90 दिनों के भीतर जवाब।
- **डिजिटल-प्रथम निरीक्षण:**
  डीपीबीआई शिकायतों का ऑनलाइन निपटारा करता है; अपीलें टीडीसैट को भेजी जाती हैं। यह ढाँचा सरल सिद्धांत का पालन करता है।

कानूनी और नियामक ढांचा

डीपीडीपी अधिनियम, 2023:

व्यक्तिगत डेटा अधिकारों को परिभाषित करने और डीपीबीआई को सशक्त बनाने वाला मूल कानून।

संस्थागत तंत्र - डीपीबीआई:

पूछताछ, दंड और शिकायत निवारण के लिए पूरी तरह से डिजिटल निकाय।

चुनौतियां

- छोटी संस्थाओं के लिए उच्च अनुपालन बोझ।
- कुशल डीपीओ और लेखा परीक्षकों की कमी।
- एआई, आईओटी और वैश्विक डेटा प्रवाह के साथ अद्यतन की आवश्यकता।
- डिजिटल नवाचार के साथ मजबूत गोपनीयता को संतुलित करना।

आगे बढ़ने का रास्ता

- हितधारक सहभागिता के माध्यम से क्षेत्र-विशिष्ट मार्गदर्शन।
- राष्ट्रीय जागरूकता और क्षमता निर्माण पहल।
- गोपनीयता-द्वारा-डिज़ाइन, स्वचालित सहमति उपकरण और उल्लंघन-पहचान प्रणालियों को अपनाना।
- डीपीबीआई द्वारा समय पर, पारदर्शी विनियामक निरीक्षण।

निष्कर्ष

डीपीडीपी नियम, 2025 मजबूत सुरक्षा उपायों और तकनीक-तटस्थ प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत के डेटा-सुरक्षा ढांचे को मजबूत करते हैं, उपयोगकर्ता विश्वास, नवाचार और एक लचीली डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं।

तुर्काना झील

संदर्भ:

नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स के एक नए अध्ययन में तुर्काना झील के जल स्तर में 6,000 वर्षों की गिरावट को पूर्वी अफ्रीकी दरार में बढ़ती भूकंपीय गतिविधि से जोड़ा गया है।

तुर्काना झील के बारे में

यह क्या है?

यह विश्व की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी झील है तथा ग्रेट रिफ्ट घाटी में चौथी सबसे बड़ी झील है, जो अपने जेड-हरे जल और टेक्टोनिक गतिविधि के लिए जानी जाती है।

जगह

यह मुख्य रूप से उत्तरी केन्या में स्थित है, तथा पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली की पूर्वी शाखा के भीतर इथियोपिया तक थोड़ा फैला हुआ है।

भूवैज्ञानिक विशेषताएं

- पूर्वी और दक्षिणी किनारों पर ज्वालामुखीय उभारों के साथ विवर्तनिक दरारों द्वारा निर्मित।
- लगभग 248 किमी लंबा, 16-32 किमी चौड़ा और ~73 मीटर गहरा।
- एक बंद बेसिन वाली खारी झील जो मुख्यतः ओमो नदी से पोषित होती है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण जल-स्तर में भारी परिवर्तन होता है।
- इसमें तीन ज्वालामुखी द्वीप हैं - उत्तर, मध्य और दक्षिण द्वीप।
- अचानक, तीव्र रेगिस्तानी-बेसिन तूफानों के लिए जाना जाता है।

महत्व

- **भूकंपीय एवं ज्वालामुखी अनुसंधान**
  यह पुस्तक दरार, महाद्वीपीय विखंडन, भ्रंश और मैग्मा गतिशीलता के बारे में प्रमुख जानकारी प्रदान करती है।
- **जैव विविधता**
  मगरमच्छ, दरियाई घोड़े, नील पर्च, तिलापिया और समृद्ध पक्षी जीवन का समर्थन करता है।
- **मानव विकास**
  कूबी फोरा और आस-पास के स्थलों से 200 से अधिक प्रारंभिक होमिनिन जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, जो मानव-उत्पत्ति अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण हैं।

हालिया निष्कर्ष: जल-स्तर में गिरावट और भूकंप

- 6,000 वर्षों में जल स्तर 100-150 मीटर तक गिर गया।
- कम जल दबाव के कारण दरार में भ्रंश खिसकने और भूकंपीय गतिविधि में तेजी आई।
- गिरावट के कारण निकटवर्ती ज्वालामुखियों के नीचे मैग्मा की गतिशीलता भी बढ़ गई।
- यह दर्शाता है कि जलवायु-संचालित जलविज्ञानीय परिवर्तन किस प्रकार लम्बे समय तक टेक्टोनिक्स को प्रभावित करता है।

निष्कर्ष

तुर्काना झील जलवायु, सतही जल विज्ञान और टेक्टोनिक गतिविधि के बीच शक्तिशाली संबंध को दर्शाती है, तथा इस बात पर बल देती है कि किस प्रकार दीर्घकालिक जल-स्तर परिवर्तन पूर्वी अफ्रीकी दरार में भ्रंश और ज्वालामुखी प्रक्रियाओं को आकार दे सकता है।

भारत की अधीनस्थ न्यायपालिका

संदर्भ:

भारत की निचली न्यायपालिका, जो अधिकांश मामलों के निपटारे के लिए ज़िम्मेदार है, गंभीर लंबित मामलों, क्षमता की कमी और प्रक्रियात्मक अक्षमताओं से जूझ रही है। एक पेशेवर वकील द्वारा हाल ही में लिखे गए संपादकीय में उन व्यवस्थागत चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है जिन्हें व्यापक न्यायिक सुधारों में अनदेखा किया जाता रहा है।

मुद्दे के बारे में

पृष्ठभूमि

अधीनस्थ न्यायपालिका (ज़िला और तालुका अदालतें) भारत में लगभग 90% मुकदमों का निपटारा करती हैं, फिर भी न्यायिक प्रशासन में सबसे कमज़ोर कड़ी बनी हुई हैं। मुकदमों में गतिरोध, प्रशिक्षित न्यायाधीशों की कमी और प्रक्रियात्मक बोझ जैसी संरचनात्मक समस्याओं ने इस संकट को और गहरा कर दिया है।

प्रमुख चिंताएँ

- **भारी संख्या में लंबित मामले:** करोड़ों मामले निपटान की प्रतीक्षा में हैं।
- **धीमा निपटान:** विलंब आम बात हो गई है, जिससे नागरिकों की समय पर न्याय तक पहुंच प्रभावित हो रही है।
- **प्रशिक्षण में कमी:** नवनियुक्त न्यायाधीशों को अक्सर पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव का अभाव होता है, जिससे न्यायालय की कार्यकुशलता प्रभावित होती है।

लंबित मामलों पर डेटा

- राष्ट्रीय **न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)** के अनुसार जिला न्यायालयों में
  4.69 करोड़ मामले लंबित हैं ।
- **7 फरवरी 2025** तक , अदालतों में कुल लंबित मामले:
  - **सर्वोच्च न्यायालय:** 81,573 मामले
  - **उच्च न्यायालय:** 62,35,242 मामले
  - **अधीनस्थ न्यायालय:** 4,00,57,424 मामले
- इनमें से काफी मामले **10 वर्षों से भी अधिक समय से अनसुलझे पड़े हैं** , जो कि एक गहरे प्रणालीगत लंबित मामले को दर्शाता है।

न्यायिक विलंब के कारण

1. न्यायिक क्षमता और प्रशिक्षण

नये न्यायाधीश प्रायः पर्याप्त न्यायालयीन और प्रक्रियात्मक अनुभव के बिना ही सेवा में प्रवेश करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मामलों का निपटान धीमा होता है और प्रशासनिक त्रुटियां अक्सर होती हैं।

2. प्रक्रिया-भारी अदालती प्रक्रियाएं

न्यायाधीशों को सी.पी.सी. जैसे प्रक्रियात्मक कानूनों के तहत प्रशासनिक कार्यों के एक बड़े हिस्से का प्रबंधन करना होता है, जिसमें सम्मन जारी करना, फाइलिंग (वकालतनामा) स्वीकार करना, पक्षों को बुलाना, वास्तविक सुनवाई के लिए सीमित समय छोड़ना शामिल है।

3. अनुभवहीन नियुक्तियाँ

पहले, न्यायिक भूमिकाओं के लिए पर्याप्त अभ्यास (10+ वर्ष) की आवश्यकता होती थी। आजकल, नए स्नातकों की सीधी भर्ती आम बात है, जिससे आदेश लिखने, कार्यभार प्रबंधन और अदालती आचरण में कठिनाइयाँ आती हैं।

चुनौतियां

संरचनात्मक मुद्दे

- सीमित मानव संसाधनों के साथ **उच्च कार्यभार ।**
- **मैन्युअल प्रशासनिक प्रक्रियाएं** न्यायाधीशों का समय लेती हैं।
- छोटे या अपर्याप्त प्रेरण कार्यक्रमों के कारण **प्रशिक्षण में कमी ।**

प्रभाव

- बढ़ती लंबितता
- निर्णयों की निम्न गुणवत्ता
- निचली अदालतों में जनता का विश्वास कम हुआ

सुझाए गए सुधार

1. विशेष प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना

- प्रत्येक जिले में एक **समर्पित प्रशासनिक न्यायालय बनाएं।**
- निचले स्तर का न्यायिक अधिकारी **सुनवाई से एक दिन पहले सभी सुनवाई-पूर्व कार्यों जैसे सम्मन, फाइलिंग, केस लिस्टिंग आदि को संभालता है** ।
- परीक्षण न्यायाधीश सुबह से ही अपना काम शुरू कर देते हैं, जिससे दैनिक उत्पादकता में सुधार होता है।

2. मजबूत प्रशिक्षण मॉड्यूल

- उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीशों के लिए अनिवार्य **विस्तारित प्रशिक्षण ।**
- वास्तविक न्यायालय की कार्यप्रणाली, निर्णय लेखन और केस प्रबंधन प्रथाओं का अनुभव।
- क्षमता का निर्माण होता है और प्रक्रियागत त्रुटियों में कमी आती है।

आधुनिक कानून देरी को बढ़ा रहे हैं

कुछ समकालीन क़ानून अनजाने में अतिरिक्त प्रक्रियात्मक परतें जोड़कर लंबित मामलों की संख्या बढ़ा देते हैं:

- **वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम:** अनिवार्य मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता अक्सर औपचारिकता बन जाती है, जिससे अनावश्यक विलंब होता है।
- **पारिवारिक/तलाक मामले:** अनिवार्य **छह महीने की शांत अवधि** समाधान को धीमा कर देती है और पक्षों को नियम को दरकिनार करने के लिए भ्रामक बयान प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी:** प्रशासनिक कर्तव्यों को न्यायिक कार्यों से अलग करना।
- **क्षमता निर्माण:** व्यावसायिक प्रशिक्षण, मामला प्रबंधन प्रणाली और मार्गदर्शन।
- **प्रौद्योगिकी अपनाना:** ई-फाइलिंग, डिजिटल समन, वर्चुअल सुनवाई और डेटा-संचालित निगरानी।
- **नीति समीक्षा:** आधुनिक कानूनों में प्रक्रियागत आवश्यकताओं की पुनः जांच करें जो मुकदमेबाजी की समयसीमा को बढ़ा देती हैं।

निष्कर्ष

एक मज़बूत न्याय प्रणाली प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती अगर अधीनस्थ न्यायपालिका की नींव पर अत्यधिक बोझ और संसाधनों की कमी बनी रहे। नागरिकों को समय पर, सुलभ और कुशल न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण को मज़बूत बनाना, प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना और प्रशासनिक सहायता को संस्थागत बनाना ज़रूरी है।

प्रेसिजन बायोथेरेप्यूटिक्स

प्रसंग

नवंबर 2025 में, जीनोमिक्स, CRISPR प्रौद्योगिकी और व्यक्तिगत चिकित्सा में प्रगति ने भारत को आनुवंशिक, चयापचय और कैंसर संबंधी विकारों के उपचार के उद्देश्य से अगली पीढ़ी के सटीक जैव-चिकित्सा विकसित करने की स्थिति में पहुंचा दिया है।

प्रिसिजन बायोथेरेप्यूटिक्स के बारे में

प्रिसिजन बायोथेरेप्यूटिक्स क्या हैं?

परिशुद्ध जैव-चिकित्सा, चिकित्सा उपचारों की एक नई पीढ़ी को संदर्भित करती है - औषधियां, जैविक चिकित्सा या जीन थेरेपी - जो एक समान उपचार विधियों का उपयोग करने के बजाय किसी व्यक्ति की आनुवंशिक, आणविक या कोशिकीय प्रोफ़ाइल के अनुसार अनुकूलित होती हैं।

प्रमुख विशेषताऐं

- जीनोमिक और आणविक प्रोफाइलिंग पर आधारित अनुकूलित चिकित्सा।
- इसमें CRISPR जीन संपादन, mRNA आधारित चिकित्सा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और CAR-T थेरेपी का उपयोग किया जाता है।
- केवल लक्षणों को कम करने के बजाय अंतर्निहित कारणों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- सटीक दवा डिजाइन और पूर्वानुमानित प्रतिक्रिया विश्लेषण के लिए एआई और बिग-डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करता है।

सटीक जैव-चिकित्सा कैसे काम करती है

1. जीनोमिक प्रोफाइलिंग: डीएनए या आरएनए अनुक्रमण रोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख उत्परिवर्तन या बायोमार्कर की पहचान करता है।
2. आणविक लक्ष्यीकरण: उन्नत आणविक जीव विज्ञान तकनीकों के माध्यम से दोषपूर्ण जीन या प्रोटीन का पता लगाया जाता है।
3. चिकित्सीय डिजाइन: जीन संपादन या जैविक उपकरणों का उपयोग खराब जीन या मार्गों की मरम्मत, अवरोधन या संशोधन के लिए किया जाता है।
4. व्यक्तिगत वितरण: एआई-संचालित खुराक और वितरण अनुकूलन सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है।

5. फीडबैक तंत्र: निरंतर नैदानिक और जीनोमिक निगरानी वास्तविक समय में चिकित्सा को परिष्कृत और अनुकूलित करती है।

अनुप्रयोग

- कैंसर: अनुकूलित इम्यूनोथेरेपी और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रमुख दुष्प्रभावों के बिना प्रभावकारिता में सुधार करते हैं।
- आनुवंशिक विकार: CRISPR और जीन-प्रतिस्थापन प्रौद्योगिकियां थैलेसीमिया और SMA जैसी वंशानुगत बीमारियों के लिए लगभग उपचारात्मक समाधान प्रदान करती हैं।
- कार्डियोमेटाबोलिक स्थितियां: आरएनए-आधारित दवाएं मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल और उच्च रक्तचाप के लिए चिकित्सा को व्यक्तिगत बनाती हैं।
- दुर्लभ रोग: जीन और एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा से अति-दुर्लभ विकारों के लिए उपचार की पहुंच का विस्तार होता है।
- संक्रामक रोग: mRNA वैक्सीन प्रौद्योगिकी उभरते वायरल वेरिएंट के लिए त्वरित प्रतिक्रिया सक्षम बनाती है।

चुनौतियां

- नियामक अनिश्चितता: जीन, कोशिका और आरएनए-आधारित उपचारों के लिए कोई एकीकृत नियामक संरचना नहीं होने से अनुमोदन और अनुसंधान में देरी होती है।
- उच्च विकास लागत: जटिल उत्पादन प्रक्रियाएं उपचार को महंगा बना देती हैं तथा कई रोगियों के लिए यह पहुंच से बाहर हो जाता है।
- सीमित विनिर्माण अवसंरचना: अपर्याप्त जीएमपी-प्रमाणित जैव-विनिर्माण सुविधाएं आयात पर निर्भरता पैदा करती हैं।
- डेटा गोपनीयता जोखिम: मजबूत गोपनीयता ढांचे के अभाव में जीनोमिक डेटा का दुरुपयोग होने की संभावना रहती है।
- प्रतिबंधित क्लिनिकल परीक्षण पारिस्थितिकी तंत्र: कुछ उन्नत परीक्षण सटीक उपचारों में मापनीयता और नवाचार में बाधा डालते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- समर्पित विनियामक मार्ग: जीन, कोशिका और mRNA चिकित्सा विज्ञान के मूल्यांकन के लिए CDSCO के नेतृत्व में एक विशेष ढांचा स्थापित करना।
- जीनोमिक डेटा शासन: जीनोमिक डेटा संरक्षण कानून और नैतिक बायोबैंकिंग मानकों का निर्माण करना।
- जैव विनिर्माण विस्तार: स्वदेशी उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन केन्द्रों को विकसित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ एकीकरण: सामर्थ्य और पहुंच को बढ़ाने के लिए आयुष्मान भारत के अंतर्गत सटीक चिकित्सा कवरेज को शामिल करना।
- जैवनैतिकता निरीक्षण: नैतिक अनुपालन, रोगी की सहमति और सुरक्षा मानदंडों का मार्गदर्शन करने के लिए एक राष्ट्रीय जैवनैतिकता आयोग का गठन करें।

निष्कर्ष

सटीक जैव-चिकित्सा, आनुवंशिकी और डेटा-आधारित अंतर्दृष्टि पर आधारित, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की ओर एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के लिए, यह दृष्टिकोण बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और किफायती जैव-प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्व की संभावनाएँ प्रदान करता है। एक सुविनियमित, नैतिक रूप से निर्देशित और निवेश-समर्थित ढाँचा सभी नागरिकों के लिए इन उन्नत चिकित्सा पद्धतियों को लोकतांत्रिक बनाने में मदद कर सकता है।

ई-जागृति प्लेटफॉर्म

प्रसंग

वर्ष 2025 में उपभोक्ता मामले विभाग के ई-जागृति प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं की संख्या 2.75 लाख को पार कर गई, जिसमें 1,388 एनआरआई शामिल हैं, जो डिजिटल शिकायत निवारण और कागज रहित उपभोक्ता न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है।

प्लेटफ़ॉर्म के बारे में

यह क्या है?

ई-जागृति एक एकीकृत, एआई-संचालित ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है जो सभी उपभोक्ता विवाद समाधान प्लेटफार्मों को एक डिजिटल इंटरफ़ेस के अंतर्गत एकीकृत करती है। यह भारत और विदेशों में नागरिकों को पारदर्शी और कुशलतापूर्वक उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने, उनकी निगरानी करने और उनका समाधान करने में सक्षम बनाती है।

शामिल संगठन

उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा विकसित एवं अनुरक्षित।

उद्देश्य

आभासी प्रक्रियाओं और वास्तविक समय निगरानी के माध्यम से नागरिकों, एमएसएमई और एनआरआई के लिए त्वरित, कागज रहित और सुलभ उपभोक्ता विवाद समाधान सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- एकीकृत डिजिटल पोर्टल: ओसीएमएस, ई-दाखिल, एनसीडीआरसी सीएमएस और कॉनफोनेट जैसी विरासत प्रणालियों को एक सहज मंच में जोड़ता है।
- आभासी उपभोक्ता न्यायालय: न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और वादियों के लिए भूमिका-आधारित डैशबोर्ड के साथ ई-फाइलिंग, डिजिटल जांच, आभासी सुनवाई और ऑनलाइन दस्तावेज़ विनिमय को सक्षम बनाता है।
- एनआरआई के लिए वैश्विक पहुंच: यह सुविधा विदेश में रहने वाले उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित ओटीपी-आधारित लॉगिन, एन्क्रिप्टेड डेटा ट्रांसफर और डिजिटल भुगतान गेटवे का उपयोग करके सुनवाई में भाग लेने और फाइल करने की अनुमति देती है।

- एआई-संचालित बहुभाषी इंटरफ़ेस: इसमें चैटबॉट मार्गदर्शन, वॉयस-टू-टेक्स्ट सुविधाएं, स्मार्ट केस रूटिंग और बुजुर्ग एवं दिव्यांग उपयोगकर्ताओं के लिए सुगम्यता समर्थन शामिल है।
- एकीकृत संचार प्रणाली: नोटिस, समय सीमा और सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए स्वचालित एसएमएस और ईमेल अपडेट (2 लाख से अधिक एसएमएस और 12 लाख ईमेल) भेजती है।
- उच्च मामला निपटान दक्षता: कई राज्यों में निपटान दर दाखिल करने की दर से अधिक रही (उदाहरण के लिए, जुलाई-अगस्त 2025 में 27,080 मामलों की तुलना में 27,545 मामलों का निपटारा किया गया), जिससे गति में सुधार और लंबित मामलों में कमी देखी गई।
- सुरक्षित शुल्क संग्रह: पता लगाने योग्य, सुरक्षित और कागज रहित भुगतान के लिए PayGov और भारत कोष के साथ एकीकृत।

महत्व

- उपभोक्ता न्याय का लोकतंत्रीकरण: भौगोलिक बाधाओं और कागजी कार्रवाई को समाप्त करना, ग्रामीण नागरिकों और अनिवासी भारतीयों के लिए समान पहुंच को बढ़ावा देना।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: वास्तविक समय स्थिति ट्रैकिंग और डिजिटल संचार प्रक्रियागत स्पष्टता और उपयोगकर्ता विश्वास को बढ़ाता है।
- मामलों के निपटान में दक्षता: स्वचालित कार्यप्रवाह लंबित मामलों को कम करता है और मामलों के निपटान में तेजी लाता है।
- समावेशन और पहुंच: बहुभाषी, आवाज समर्थित इंटरफ़ेस वरिष्ठ नागरिकों, कम साक्षरता वाले उपयोगकर्ताओं और विकलांग व्यक्तियों को समायोजित करता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- सभी स्तरों पर उपभोक्ता विवाद आयोगों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण का विस्तार करें।
- उपयोगकर्ताओं को परिचित कराने के लिए जागरूकता अभियान को प्रोत्साहित करें, विशेष रूप से ग्रामीण और एनआरआई समुदायों में।
- निर्बाध अंतर-संचालन के लिए डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत उभरती डिजिटल न्याय पहलों के साथ एकीकरण करना।
- साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और प्रक्रियात्मक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट।

निष्कर्ष

ई-जागृति पहल, उपभोक्ता न्याय को एक कागज़रहित, समावेशी और विश्वव्यापी रूप से सुलभ प्रणाली में परिवर्तित करके नागरिक-केंद्रित, प्रौद्योगिकी-संचालित शासन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसकी सफलता भारत के तेज़, पारदर्शी और समतापूर्ण डिजिटल शासन की ओर बढ़ते कदम को दर्शाती है।

जलवायु परिवर्तन और व्यापार पर एकीकृत मंच (आईएफसीसीटी)

प्रसंग

IFCCT को औपचारिक रूप से 15 नवंबर, 2025 को ब्राजील के बेलेम में COP30 में लॉन्च किया गया, जो जलवायु नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ढांचे के बीच बढ़ते तनाव को दूर करने के लिए दुनिया का पहला स्थायी मंच है।

IFCCT के बारे में

यह क्या है?

एक राजनीतिक रूप से समर्थित, गैर-वार्ताकारी अंतर्राष्ट्रीय मंच जो जलवायु कार्रवाई और वैश्विक व्यापार नीतियों के बीच विकसित और जटिल अंतर्संबंध पर राष्ट्रों के बीच संरचित संवाद को सुविधाजनक बनाता है।

द्वारा लॉन्च किया गया

ब्राजील की COP30 अध्यक्षता, प्रमुख UNFCCC और WTO अभिनेताओं के आधिकारिक समर्थन के साथ।

उद्देश्य

देशों को जलवायु से जुड़े व्यापार उपायों पर बहस और समन्वय के लिए एक सतत, समावेशी स्थान प्रदान करना - जिसमें कार्बन सीमा समायोजन, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, सब्सिडी और औद्योगिक नीतियां शामिल हैं - बिना किसी बाध्यकारी वार्ता या प्रतिबद्धता के।

प्रमुख विशेषताएं

- गैर-बातचीत वार्ता: औपचारिक समझौतों या कानूनी दायित्वों के दबाव के बिना खुली, स्पष्ट नीतिगत चर्चा को सक्षम बनाती है।
- परामर्शात्मक दृष्टिकोण: देश 2025-26 के दौरान खुले परामर्श के माध्यम से एजेंडा और प्राथमिकताओं को आकार देंगे।
- जलवायु-व्यापार पर सामंजस्य: एकतरफा व्यापार उपायों, डीकार्बोनाइजेशन मार्गों और विकासशील देशों की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
- उच्च स्तरीय भागीदारी: मंत्रीगण, विश्व व्यापार संगठन/यूएनएफसीसीसी नेतृत्व, जलवायु विशेषज्ञ और उद्योग प्रतिनिधि भाग लेते हैं।
- जिनेवा आधारित परामर्श: वैश्विक व्यापार प्रशासन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत लेकिन संस्थागत रूप से स्वतंत्र।
- विशेषज्ञ पैनल सहायता: अग्रणी विशेषज्ञों से प्राप्त तकनीकी इनपुट मजबूत, संतुलित संवाद सुनिश्चित करता है।

महत्व

- नीतिगत अंतरालों को पाटना: सहयोग और संवाद को बढ़ावा देकर जलवायु और व्यापार के बीच विखंडन को दूर करना।

- विकासशील देशों को सशक्त बनाना: विकासशील देशों की नए जलवायु-संबंधी व्यापार मानदंडों को अपनाने और प्रभावित करने की क्षमता को मजबूत करता है।
- व्यापार घर्षण को कम करता है: एकतरफा उपायों (जैसे, यूरोपीय संघ सीबीएएम, हरित सब्सिडी) के प्रसार के बीच अंतर-संचालन और पूर्वानुमानशीलता को प्रोत्साहित करता है।
- समावेशी वैश्विक शासन को बढ़ावा देता है: व्यापार और जलवायु के चौराहे पर बहुपक्षीय सहयोग और ज्ञान साझा करने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष

आईएफसीसीटी वैश्विक जलवायु कार्रवाई को व्यापार नीति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देशों को विवादों से सहयोगात्मक रूप से निपटने और कम कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य के लिए तैयार, समावेशी ढांचे को डिजाइन करने में सक्षम बनाता है।

16वां वित्त आयोग और स्थानीय निकाय

प्रसंग

अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, 16वां वित्त आयोग केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफ़ारिश करता है। यह सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं के वित्त को मज़बूत करने की भी सलाह देता है।

स्थानीय निकायों की भूमिका

- आवश्यक सेवाएं प्रदान करें: पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सड़क और अपशिष्ट प्रबंधन।
- **73वें और 74वें संशोधन** के माध्यम से संवैधानिक प्राधिकार , लेकिन सीमित कर लगाने की शक्तियां राज्य निधि पर निर्भरता पैदा करती हैं।
- वित्तीय बाधाओं के कारण सेवा वितरण में लगातार अंतराल बना रहता है।

16वां वित्त आयोग

- **संविधान:** 16वें वित्त आयोग का गठन दिसंबर 2023 में राष्ट्रपति द्वारा किया गया था।
- **अध्यक्ष:** नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया आयोग का नेतृत्व करते हैं।
- **सदस्य:** अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राजाध्यक्ष, सौम्य कांति घोष शामिल हैं।
- **सचिव:** श्री ऋत्विक रंजन पांडे आयोग के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
- **कार्यकाल एवं रिपोर्ट:** 1 अप्रैल, 2026 से पांच वर्ष तक, रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2025 तक प्रस्तुत की जानी है।
- **प्रमुख जिम्मेदारियां:** कर साझाकरण, अनुदान सहायता, राज्य निधि वृद्धि और आपदा प्रबंधन वित्तपोषण की सिफारिश करना।

16वें वित्त आयोग से प्रमुख अपेक्षाएँ

- **फार्मूला-आधारित वित्तपोषण:** राज्य के राजस्व का निश्चित प्रतिशत सीधे स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाता है।
- **राजकोषीय अंतराल को संबोधित करना:** जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने के लिए पूर्वानुमानित वित्तीय हस्तांतरण।
- **एसएफसी रिपोर्ट का कार्यान्वयन:** 100 से अधिक राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का बेहतर अनुपालन।
- **राजस्व सुधार समर्थन:** स्थानीय राजस्व बढ़ाने के लिए संपत्ति कर संग्रह और अन्य सुधारों में सुधार।

प्रत्याशित प्रभाव

- **2026-2031** के लिए सिफारिशों का उद्देश्य **2.7 लाख पंचायतों** और **5,000 से अधिक नगर पालिकाओं** के लिए वित्तीय स्वायत्तता बहाल करना है ।
- पूर्वानुमानित वित्तपोषण से स्थानीय निकायों को संवैधानिक जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने और विकेन्द्रीकृत शासन में सुधार करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

16वां वित्त आयोग राजकोषीय अंतराल को पाटने, स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने और विकेन्द्रीकृत, टिकाऊ शासन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को मजबूती मिलेगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए),

प्रसंग

81 करोड़ लोगों के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न प्रदान करता है । असम में एएसएफ से संबंधित सुअर आंदोलन पर प्रतिबंध जैसी हालिया घटनाओं ने **जन कल्याणकारी योजनाओं में डिजिटल निगरानी** की आवश्यकता को उजागर किया है ।

एनएफएसए के बारे में

कवरेज

- **75% ग्रामीण** और **50% शहरी आबादी को** लाभ मिलेगा ।
- वार्षिक सब्सिडी व्यय: ~ 2 लाख करोड़ रुपये।

मुख्य घटक

- **पीएचएच:** प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज।
- **AAY:** सबसे गरीब लोगों के लिए 35 किलोग्राम प्रति माह (20 किलोग्राम गेहूं, 15 किलोग्राम चावल)।
- **पीएमजीकेएवाई (2023 से):** प्रति व्यक्ति मासिक अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त अनाज।

लाभार्थियों को हटाना

निकाले जाने का कारण

- ऑडिट में गैर-गरीब व्यक्तियों (वाहन मालिक, उच्च आय वाले पेशेवर) को लाभ प्राप्त होते पाए जाने के बाद **लगभग 2.25 करोड़ व्यक्तियों को हटा दिया गया।**

क्रियाविधि

- डिजिटल डेटा स्रोत: आय, वाहन स्वामित्व, कंपनी रिकॉर्ड, आधार।
- राज्य सरकारें हटाने से पहले जमीनी स्तर पर सत्यापन करती हैं।

महत्व

- यह सुनिश्चित करता है कि संसाधन वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचें।
- इससे सार्वजनिक धन की बचत होगी और **सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता में सुधार होगा** ।
- बचत से पोषण कार्यक्रमों और विविध सहायता को समर्थन दिया जा सकता है।

चुनौतियां

- यदि दस्तावेज गायब हो तो गलत तरीके से हटाए जाने का जोखिम।
- पुराना/गलत डेटा बहिष्करण त्रुटियों का कारण बन सकता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में एआई एकीकरण

पीडीएस चुनौतियाँ

- रिसाव, धीमी रसद, मैनुअल रिकॉर्ड, अनाज का डायवर्जन, और सीमित शिकायत निवारण।
- एआई **वास्तविक समय निगरानी, ट्रैकिंग और जवाबदेही को सक्षम बनाता है** ।

प्रमुख AI प्लेटफ़ॉर्म

आशा (अन्न सहायता समग्र एआई समाधान):

- लाभार्थियों की प्रतिक्रिया एकत्रित करना, राशन वितरण और गुणवत्ता की निगरानी करना।
- पीएम गति शक्ति से जुड़े, मासिक रूप से ~20 लाख लाभार्थियों तक पहुंच।

भंडारन 360:

- केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा ईआरपी प्रणाली।
- पारदर्शिता के लिए मानव संसाधन, वित्त, भंडारण और परियोजना निगरानी का प्रबंधन करता है।

अन्नदर्पण:

- डिपो ऑनलाइन सिस्टम की जगह माइक्रोसर्विस प्लेटफॉर्म।
- एफसीआई और डीएफडीपी डेटा को एकीकृत करते हुए खरीद, भंडारण, मूल्य निर्धारण, संचलन और अनुबंधों को केंद्रीकृत करता है।

निष्कर्ष

लाभार्थी ऑडिट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों द्वारा सुदृढ़ एनएफएसए यह सुनिश्चित करता है कि सब्सिडी वाला अनाज ज़रूरतमंदों तक पहुँचे, बर्बादी कम हो और पारदर्शिता बढ़े। **आशा, भंडारन 360 और अन्नदर्पण जैसे प्लेटफॉर्म** भारत के सार्वजनिक वितरण प्रणाल

भारतीय निचली न्यायपालिका

प्रसंग

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने हाल ही में अधीनस्थ न्यायपालिका में गतिरोध को देरी का एक प्रमुख कारण बताया है। ज़िला अदालतों में अब **4.69 करोड़ मामलों का भारी-भरकम लंबित बोझ है** , जिससे समय पर न्याय मिलने में बाधा आ रही है।

भारतीय निचली न्यायपालिका के बारे में

शासन संरचना

- **संवैधानिक आधार:**
  अनुच्छेद 233-237 उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों द्वारा निचली न्यायपालिका में संयुक्त भर्ती, नियुक्ति और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करते हैं, जिससे संघीय संतुलन सुनिश्चित होता है।
- **त्रि-स्तरीय अधीनस्थ न्यायालय**
  - **जिला एवं सत्र न्यायालय:**
    जिलों में सर्वोच्च न्यायालय, जो प्रमुख सिविल और आपराधिक मामलों को संभालते हैं और अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण करते हैं।
  - **वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय:**
    मध्यम स्तर के सिविल विवादों और गंभीर आपराधिक मुकदमों से निपटते हैं।
  - **सिविल जज (जूनियर डिवीजन) / जेएमएफसी:**
    नियमित सिविल मुकदमों और छोटे आपराधिक मामलों को संभालना, सार्वजनिक संपर्क का पहला बिंदु बनाना।

प्रशासनिक नियंत्रण

- **उच्च न्यायालय:**
  एकसमान मानक बनाए रखने के लिए निरीक्षण, पोस्टिंग, पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों की देखरेख करना।
- **राज्य सरकारें:**
  बुनियादी ढांचा, वित्त उपलब्ध कराएं तथा लोक सेवा आयोगों के माध्यम से न्यायिक सेवा परीक्षाएं आयोजित करें।

भर्ती मार्ग

- **निम्न न्यायिक सेवा:**
  नए स्नातक सिविल न्यायाधीश के रूप में प्रवेश करते हैं और विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से आगे बढ़ते हैं।
- **उच्चतर न्यायिक सेवा:**
  उच्चतर न्यायालयों को सुदृढ़ करने के लिए 7+ वर्ष के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को सीधे जिला न्यायाधीश के रूप में भर्ती किया जाता है।

निचली न्यायपालिका में रुझान और चुनौतियाँ

- **भारी लंबितता**
  अधीनस्थ न्यायालय **भारत के कुल मामलों का लगभग 90% निपटाते हैं** , जिनमें से 4.69 करोड़ लंबित हैं। रिक्तियाँ लगभग 3% हैं, जहाँ स्वीकृत **25,843 न्यायाधीशों के स्थान पर 21,122 न्यायाधीश हैं** । भारत में **प्रति दस लाख जनसंख्या पर 21 न्यायाधीश हैं** , जो अनुशंसित 50 से काफी कम है।

जिला न्यायाधीशों को **प्रति वर्ष 1,000-1,500 नए मामलों का सामना करना पड़ता है** , जिससे लंबित मामलों का दबाव बढ़ता जा रहा है।

- **डिजिटल और प्रक्रियात्मक मुद्दे**
  प्रगति, **500 करोड़ से ज़्यादा पृष्ठों के डिजिटलीकरण** और **65 करोड़ वर्चुअल सुनवाई के बावजूद,** 17 राज्यों में केवल **21 वर्चुअल कोर्ट ही कार्यरत हैं।** दीवानी मामले अक्सर **5-10 साल** , ज़मीन विवाद **20-30 साल** और आपराधिक मुकदमों में **42% स्थगन का सामना करना पड़ता है** ।
- **मानव संसाधन और बुनियादी ढांचा**
  लगातार रिक्तियाँ, आशुलिपिकों की कमी, पुराने रिकॉर्ड और कमज़ोर कनेक्टिविटी सुचारू कामकाज में बाधा डालते हैं।
  नए न्यायाधीशों का अक्सर अदालती अनुभव सीमित होता है, जिससे उनके फैसले कमज़ोर होते हैं।
  सीपीसी जैसे प्रक्रियात्मक कानून देरी पैदा करते हैं और उनके दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ जाती है।

पहल और सुधार

- **न्याय प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मिशन:** प्रक्रियागत सुधारों और जवाबदेही के माध्यम से निपटान में तेजी लाना।
- **न्यायिक अवसंरचना:** ₹12,101 करोड़ की लागत से **22,000** से अधिक न्यायालय हॉल और **20,000 आवासीय इकाइयां निर्मित की गईं।**
- **ई-कोर्ट चरण III:** एआई उपकरण और ई-सेवा केंद्रों सहित **18,700 से अधिक न्यायालयों** में डिजिटल प्रणालियों को बढ़ाया जाएगा ।
- **फास्ट ट्रैक एवं विशेष न्यायालय: 865 फास्ट ट्रैक कोर्ट** और **725 पोक्सो कोर्ट** संवेदनशील मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **विधायी सुधार:** एनआई अधिनियम, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, मध्यस्थता अधिनियम और मध्यस्थता अधिनियम में संशोधन से विवाद समाधान में तेजी आएगी।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **मंत्रिस्तरीय न्यायालयों की** स्थापना की जाए तथा मुख्य न्यायनिर्णयन के लिए मुक्त परीक्षण न्यायालयों की स्थापना की जाए।
- नये न्यायाधीशों के लिए उच्च न्यायालयों में **6-12 महीने की न्यायिक प्रशिक्षुता** शुरू की जाए ।
- डिजिटलीकरण और परिसंपत्ति प्रकटीकरण अधिदेशों का उपयोग करके निष्पादन प्रक्रियाओं में सुधार करना।
- **केस ट्राइएज** , स्वचालित लिस्टिंग और स्थगन निगरानी के लिए एआई तैनात करें ।
- बुनियादी मानदंडों को पूरा करने के लिए **10,000 से अधिक अतिरिक्त न्यायाधीशों की** भर्ती करें ।
- मुकदमेबाजी को कम करने के लिए कानूनों को सरल बनाएं और मध्यस्थता को प्रोत्साहित करें।

निष्कर्ष

विलंब, रिक्तियों और पुरानी प्रक्रियाओं के बोझ तले दबी निचली न्यायपालिका में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। समय पर न्याय सुनिश्चित करने और जनता का विश्वास बहाल करने के लिए डिजिटल प्रणालियों को मजबूत करना, प्रशिक्षण में निवेश करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और मानव संसाधन का विस्तार करना अत्यंत आवश्यक है।

भारत-अफ्रीका संबंध

प्रसंग

भारत-अफ्रीका संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश-विरोधी एकजुटता और व्यापार, विकास, सुरक्षा एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग पर आधारित एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं। भारत द्वारा समर्थित, अफ्रीका की 2023 G20 स्थायी सदस्यता, नए सिरे से वैश्विक सहयोग को रेखांकित करती है।

साझेदारी के बारे में

पृष्ठभूमि

- सदियों से चले आ रहे हिंद महासागर व्यापार ने मजबूत सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंध स्थापित किए हैं।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र कूटनीति में सहयोग ने शीत युद्ध के दौरान संबंधों को मजबूत किया।
- 1990 के दशक के बाद, भारत ने निवेश, प्रशिक्षण कार्यक्रमों (आईटीईसी, आईसीसीआर) और अफ्रीका के वैश्विक प्रतिनिधित्व की वकालत पर अपना ध्यान केंद्रित किया।

समकालीन सगाई थीम

भारत विकास परियोजनाओं, डिजिटल सहयोग, समुद्री सुरक्षा और जन-केंद्रित क्षमता निर्माण को प्राथमिकता देता है।

आर्थिक और व्यापार सहयोग

व्यापार और निवेश

- भारत-अफ्रीका व्यापार **100 बिलियन डॉलर से अधिक** ; भारत अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा साझेदार है।
- **75 बिलियन डॉलर** का एफडीआई दूरसंचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे और डिजिटल क्षेत्रों में फैला हुआ है।
- शुल्क-मुक्त टैरिफ वरीयता (डीएफटीपी) 38 एलडीसी को **98% टैरिफ-मुक्त पहुंच प्रदान करती है** , जिससे वस्त्र, खनिज और कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलता है।

विकास वित्तपोषण

- भारत ने 42 देशों में 189 परियोजनाओं के लिए **10 बिलियन डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की** , जिनमें बिजली, रेलवे, सिंचाई और पेयजल शामिल हैं।
- **ई-वीबीएबी** जैसी डिजिटल पहल टेली-शिक्षा और टेलीमेडिसिन प्रदान करती है।

क्षमता निर्माण

- भारतीय कार्यक्रमों के माध्यम से **40,000** से अधिक अफ्रीकी पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया।
- भारत का पहला विदेशी **आईआईटी** एआई और डेटा विज्ञान पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

समुद्री और सुरक्षा सहयोग

- **AI-KEYME 2025** नौसैनिक अभ्यास ने समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया को बढ़ाया।
- भारत कांगो और सूडान में **संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में योगदान देता है।**

डिजिटल और फिनटेक साझेदारी

- अफ्रीकी देश वित्तीय समावेशन के लिए यूपीआई, आधार जैसी आईडी और ई-गवर्नेंस को अपनाने पर विचार कर रहे हैं।

ऊर्जा और जलवायु सहयोग

- **सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और ईवी** में साझेदारी सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करती है।

चुनौतियां

- चीन का व्यापार प्रभुत्व (**280 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष**) भारत पर भारी पड़ता है।
- नौकरशाही की देरी से भारतीय परियोजनाओं का क्रियान्वयन धीमा हो रहा है।
- भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन 2015 के बाद से नहीं हुआ है।
- क्षेत्रीय सुरक्षा अस्थिरता निवेश के लिए खतरा है।
- सीमित हवाई और समुद्री संपर्क व्यापार और गतिशीलता को प्रतिबंधित करता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **संस्थाओं को मजबूत करना:** फोरम शिखर सम्मेलन को नियमित करना तथा एक स्थायी सचिवालय स्थापित करना।
- **डिजिटल कॉरिडोर:** यूपीआई, डिजीलॉकर और आईडी सिस्टम को अफ्रीकी प्लेटफॉर्म से जोड़ें।
- **रणनीतिक सह-निवेश:** हरित हाइड्रोजन, ईवी खनिज, अर्धचालक और एआई स्टार्टअप में सहयोग करें।
- **तीव्र परियोजना वितरण:** ऋण परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए स्थानीय टीमों को सशक्त बनाना।
- **समुद्री सहयोग:** समुद्री सुरक्षा के लिए वार्षिक नौसैनिक अभ्यास और रसद समझौते।
- **लोगों से लोगों के बीच संबंध:** छात्रवृत्ति, शैक्षिक आदान-प्रदान और भारतीय शैक्षिक संस्थानों का विस्तार करना।

निष्कर्ष

भारत-अफ्रीका संबंध परिवर्तनकारी दौर में हैं। मज़बूत संस्थाएँ, डिजिटल साझेदारियाँ और संयुक्त सतत विकास इस रणनीतिक साझेदारी को वैश्विक दक्षिण के साझा विकास के एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में स्थापित कर सकते हैं।

अफ़्रीकी स्वाइन फीवर (ASF)

प्रसंग

अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) के मामलों में तेज़ी से वृद्धि के बाद जीवित सूअरों की अंतर-ज़िला आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है और सात ज़िलों में सूअर के मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है। इस प्रकोप से सूअरों की आबादी और किसानों की आजीविका को ख़तरा है।

अफ़्रीकी स्वाइन बुखार के बारे में

- **यह क्या है?**
  • एएसएफ एक **अत्यधिक संक्रामक वायरल रक्तस्रावी रोग है** जो घरेलू और जंगली सूअरों को प्रभावित करता है, जो **अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस (एएसएफवी) के कारण होता है, जो** *एस्फारविरिडे* परिवार
  का एक बड़ा डबल-स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है । • यह रोग **मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता है लेकिन संक्रमित सूअरों को 100%** तक मार सकता है , जिससे यह सूअर पालन के लिए विनाशकारी है।
- **वेक्टर और ट्रांसमिशन**
  • **सॉफ्ट टिक्स (*ऑर्निथोडोरोस* एसपीपी)** जैविक वाहक के रूप में कार्य करते हैं, जो वायरस को प्रकृति में बनाए रखते हैं।
  • प्रसार **संक्रमित सूअरों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से** या परोक्ष रूप से दूषित कपड़े, जूते, वाहन, चारा, बिस्तर, वध अपशिष्ट और अप्रसंस्कृत पोर्क उत्पादों के माध्यम से होता है।
  • वायरस पर्यावरण में और हैम, सॉसेज और बेकन जैसे पोर्क उत्पादों में **लंबे समय तक जीवित रहता है** , जिससे मानव-मध्यस्थ आंदोलन इसके प्रसार का एक प्रमुख कारक बन जाता है।
- **लक्षण**
  • **अति-तीव्र मामले** : 1-3 दिनों के भीतर अचानक मृत्यु, अत्यधिक तेज़ बुखार (106-108°F)।
  • **तीव्र मामले** : सुस्ती, भूख न लगना, सांस लेने में तकलीफ, कान/पेट/पैरों का नीला-बैंगनी रंग होना, नाक/मुँह से खूनी झाग, खूनी दस्त, गर्भपात।
  • **मृत्यु दर** : 90-100%।
- **प्रमुख विशेषताएं**
  • **सूचना योग्य रोग** : प्रकोप की सूचना अधिकारियों को दी जानी चाहिए।
  • **अत्यधिक स्थिर वायरस** : सतहों, चारे, मिट्टी, उपकरणों और मांस उत्पादों पर जीवित रह सकता है।
  • **स्थानिक चक्र** : जंगली सूअरों, वॉर्थोग, बुशपिग और टिक्स के बीच बना रहता है।
  • **भारत में पहली बार पता चला** : अरुणाचल प्रदेश और असम, 2020।

उपचार और नियंत्रण

• वर्तमान में विश्व स्तर पर **कोई टीका या इलाज** उपलब्ध नहीं है।
• रोकथाम **सख्त जैव सुरक्षा, बड़े पैमाने पर वध और आवाजाही प्रतिबंधों पर निर्भर करती है** ।

अनुशंसित उपाय

• नए सूअरों को 30-45 दिनों के लिए **अलग रखें ।**
• प्रभावित क्षेत्रों से सूअरों और वाहनों की **आवाजाही प्रतिबंधित करें ।**
• 2% सोडियम हाइपोक्लोराइट या पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करके **फार्म को कीटाणुरहित करें ।**
• फैलाव को रोकने के लिए स्वस्थ और बीमार जानवरों को **अलग करें ।**

निष्कर्ष

अफ़्रीकी स्वाइन फीवर सूअरों के लिए एक बेहद घातक बीमारी है जिसके गंभीर आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। बड़े पैमाने पर होने वाले प्रकोप को रोकने के लिए शुरुआती पहचान, सख्त जैव सुरक्षा और समन्वित नियंत्रण उपाय ही एकमात्र प्रभावी रणनीतियाँ हैं।

अमेरिका के साथ भारत का पहला बड़ा एलपीजी आयात सौदा

प्रसंग

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने **पहले संरचित एलपीजी आयात अनुबंध को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके तहत वर्ष 2026 के लिए 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए)** यानी वार्षिक एलपीजी आयात का लगभग 10% हासिल किया गया है। इस कदम का उद्देश्य आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाना और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है।

सौदे के बारे में

सौदा क्या है?

• भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के रिफाइनरों के लिए 2026 में **अमेरिकी खाड़ी तट** से **2 एमटीपीए एलपीजी आयात करने हेतु एक वर्षीय संरचित अनुबंध। • यह** अमेरिका के साथ भारत का **पहला औपचारिक दीर्घकालिक एलपीजी सोर्सिंग समझौता है।**

शामिल राष्ट्र और संस्थाएँ

• **भारत** : इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल)
• **संयुक्त राज्य अमेरिका** : शेवरॉन, फिलिप्स 66 और टोटलएनर्जीज ट्रेडिंग सहित खाड़ी तट के एलपीजी उत्पादक

उद्देश्य

पश्चिम एशियाई आपूर्तिकर्ताओं से परे एलपीजी सोर्सिंग में विविधता लाना ।
• **भारत-अमेरिका ऊर्जा साझेदारी** और व्यापार संबंधों को मजबूत करना।
• **ऊर्जा सुरक्षा में** सुधार और आपूर्ति जोखिम को कम करना।

भारत का एलपीजी आयात प्रोफ़ाइल

अपनी एलपीजी मांग का लगभग 60% आयात करता है , जो 2024 में लगभग **21 मिलियन टन होगा।**
• **90% आयात** पारंपरिक रूप से पश्चिम एशिया (यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत) से आता है।
• भारत **सबसे तेजी से बढ़ते एलपीजी बाजारों** में से एक है , जो **उज्ज्वला** जैसी योजनाओं से प्रेरित है ।

समझौते की मुख्य विशेषताएं

• **मात्रा** : 2.2 MTPA (वार्षिक LPG आयात का लगभग 10%)।
• **बेंचमार्क मूल्य निर्धारण** : अमेरिका के मॉन्ट बेल्वियू LPG मूल्य।
• **आपूर्तिकर्ता** : शेवरॉन, फिलिप्स 66, और टोटलएनर्जीज़ ट्रेडिंग।
• **अनुबंध अवधि** : वर्ष 2026।

महत्व

भारत और अमेरिका के बीच एक **नया ऊर्जा व्यापार गलियारा स्थापित करता है। • पश्चिम एशियाई एलपीजी आपूर्तिकर्ताओं** पर अत्यधिक निर्भरता कम करता है ।
• टैरिफ़ वार्ताओं सहित **रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों को समर्थन देता है।** • भू-राजनीतिक जोखिमों और संभावित आपूर्ति झटकों के विरुद्ध **ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है।**

निष्कर्ष

अमेरिका के साथ भारत का पहला बड़ा एलपीजी आयात समझौता **ऊर्जा विविधीकरण** और रणनीतिक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करता है, क्षेत्रीय निर्भरता को कम करता है और तेज़ी से बढ़ते घरेलू बाज़ार के लिए स्थिर एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर

संदर्भ

"चिकन नेक" के नाम से मशहूर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक पतला रास्ता है जो मेनलैंड इंडिया को उसके नॉर्थ-ईस्ट राज्यों (सेवन सिस्टर्स और सिक्किम) से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई एवरेज सिर्फ़ 20 से 22 किलोमीटर है, जो इसे कनेक्टिविटी के लिए एक ज़रूरी लेकिन नाज़ुक लिंक बनाता है।

क्षेत्र के बारे में

महत्व

- सिलीगुड़ी कॉरिडोर वह मुख्य रास्ता है जिसके ज़रिए भारत पूरे उत्तर पूर्वी इलाके में आर्थिक, मिलिट्री और सिविलियन पहुंच बनाए रखता है।
- इसका तंग होना सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है, जिससे यह देश का सबसे कमज़ोर ज़मीनी गलियारा बन जाता है।

सुरक्षा चुनौतियाँ

- अपनी लोकेशन की वजह से, इस कॉरिडोर पर चीन, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों की तरफ से ब्लॉकेड का खतरा है, जिससे भारत का नॉर्थ ईस्ट देश के बाकी हिस्सों से अलग हो सकता है।

सुरक्षा पहल

- स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी चिंताओं को देखते हुए, इंडियन आर्मी ने कॉरिडोर की सिक्योरिटी को मज़बूत करने के लिए तीन नए परमानेंट मिलिट्री स्टेशन (गैरिसन) बनाए हैं:
  - लाचित बोरफुकन स्टेशन, धुबरी, असम
  - बिहार के किशनगंज में एक फॉरवर्ड बेस
  - पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में एक फॉरवर्ड बेस
- ये इंस्टॉलेशन इलाके में हो रहे बदलावों की वजह से हुए, जिसमें बांग्लादेश में बड़े राजनीतिक बदलाव, भारत के खिलाफ बढ़ती बातें, और पड़ोसी देशों में चीन का बढ़ता असर और इन्वेस्टमेंट शामिल हैं।

अवैध आव्रजन और जनसांख्यिकी

- इस इलाके में बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा गैर-कानूनी माइग्रेशन होता है, जिससे डेमोग्राफिक और सिक्योरिटी से जुड़ी मुश्किलें पैदा होती हैं, खासकर नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों के लिए।
- नए मिलिट्री स्टेशन बॉर्डर पार मूवमेंट को मॉनिटर और कंट्रोल करने और इन चुनौतियों को कम करने में भी मदद करेंगे।

समन्वय और निगरानी

- सेना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के साथ मिलकर निगरानी को मज़बूत करने, बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर बनाने और कॉरिडोर में सुरक्षित रास्ता पक्का करने के लिए काम कर रही है।
- बेहतर तालमेल का मकसद बिना इजाज़त एंट्री को रोकना और ज़रूरत के हिसाब से मिलिट्री और सिविलियन मूवमेंट को तेज़ी से करना है।

नव गतिविधि

- इंडियन एयर फ़ोर्स ने ऑपरेशनल तैयारी दिखाने के लिए असम में एक बड़ा एरियल डिस्प्ले किया।
- सेना ने अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) के पास 'प्रचंड प्रहार' नाम की एक्सरसाइज़ की, जिससे बड़े इलाके की सुरक्षा के लिए उसका कमिटमेंट दिखाया गया।

निष्कर्ष

सिलीगुड़ी कॉरिडोर का स्ट्रेटेजिक महत्व और नाजुक कमजोरी भारत की डिफेंस और सिक्योरिटी प्रायोरिटीज़ को लगातार आकार दे रही है। इस ज़रूरी कनेक्शन को सुरक्षित रखने और नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों की सिक्योरिटी और डेवलपमेंट में मदद करने के लिए चल रहे मिलिट्री एनहांसमेंट, सर्विलांस की कोशिशें और इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी हैं।

केंद्र सरकार ने चार नए लेबर कोड नोटिफाई किए

प्रसंग

भारत के लेबर गवर्नेंस फ्रेमवर्क को आसान बनाने की कोशिश में, केंद्र सरकार ने मौजूदा लेबर कानूनों को मज़बूत और मॉडर्न बनाने के मकसद से चार बड़े लेबर कोड नोटिफ़ाई किए हैं। इन सुधारों का मकसद रेगुलेटरी माहौल को आसान बनाना, मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा करना और बिज़नेस करने में आसानी बढ़ाना है।

पृष्ठभूमि

पहले के सिस्टम में 1930 और 1950 के बीच बनाए गए लगभग 29 अलग-अलग कानून थे, जिससे डुप्लीकेशन, कन्फ्यूजन और लागू करने में एक जैसा न होना होता था। इस एक जैसी संख्या को ठीक करने के लिए, सरकार ने एक बड़ा कोडिफिकेशन किया, जिसमें इन कानूनों को मिलाकर चार एक कोड बना दिए गए।

उद्देश्य और तर्क

- कम्प्लायंस को बेहतर बनाने के लिए लेबर कानूनों को आसान और सही बनाना।
- गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन को मज़बूत करें।
- वेतन, सुरक्षा और रोज़गार की स्थितियों के लिए एक जैसे स्टैंडर्ड तय करें।
- वर्कफोर्स को फॉर्मल बनाने को बढ़ावा दें और आसान रेगुलेशन के ज़रिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें।

चार श्रम संहिताएँ

1. **वेतन संहिता, 2019 –** राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन मानदंड स्थापित करता है और संगठित और असंगठित क्षेत्रों में वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है।
2. **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 –** नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच संबंधों, विवाद समाधान प्रक्रियाओं और ट्रेड यूनियन मान्यता को नियंत्रित करता है।
3. **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 –** यह गिग, प्लेटफॉर्म और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करता है।
4. **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता (OSHWC), 2020 –** विभिन्न रोज़गार क्षेत्रों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य वातावरण से संबंधित प्रावधानों को समेकित करता है।

प्रमुख प्रावधान और विशेषताएं

वेतन संहिता:

- देश भर में सभी कैटेगरी के कर्मचारियों को कानूनी तौर पर कम से कम मज़दूरी की गारंटी देता है।
- शोषण रोकने के लिए समय पर वेतन देना ज़रूरी है।

औद्योगिक संबंध संहिता (आईआरसी):

- फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट (FTE) शुरू किया गया है, जिससे यह पक्का होगा कि शॉर्ट-टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी परमानेंट कर्मचारियों के बराबर फायदे मिलेंगे।
- झगड़ों के तेज़ी से समाधान के लिए दो सदस्यों वाले इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाए गए।

सामाजिक सुरक्षा पर कोड:

- गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को फॉर्मल लेबर इकोसिस्टम का हिस्सा मानता है।
- टेम्परारी कर्मचारियों को पेंशन, इंश्योरेंस, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस (ESI), और मैटरनिटी असिस्टेंस जैसे फायदे देता है।

OSHWC कोड:

- महिलाओं को सुरक्षित काम करने के हालात में नाइट शिफ्ट में काम करने की सुविधा देता है।
- खासकर 40 साल से ज़्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए सालाना फ्री हेल्थ चेक-अप ज़रूरी है।
- माइग्रेंट और प्लांटेशन वर्कर्स के लिए सुरक्षा के उपाय और वेलफेयर सुविधाएं पक्का करता है।

मुद्दे और चुनौतियाँ

- ट्रेड यूनियन की चिंताएँ: यूनियनों का तर्क है कि सुधार मालिकों की तरफ झुकते हैं, जिससे मोलभाव करने की ताकत कम होती है और नौकरी की सुरक्षा कम होती है।
- जॉब सिक्योरिटी का डर: आलोचक चेतावनी देते हैं कि IRC के तहत छंटनी के नियमों में ढील देने से आर्थिक तनाव के दौरान छंटनी बढ़ सकती है।
- "मालिक-सेवक" आलोचना: श्रम संघों का दावा है कि सुधार स्वतंत्रता-पूर्व प्रथाओं की याद दिलाते हुए पदानुक्रमिक रोजगार संबंधों को पुनर्जीवित करते हैं।
- इंडस्ट्री का नज़रिया: कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (CII) समेत बिज़नेस बॉडीज़ ने इस कोडिफ़ाई को रेगुलेटरी क्लैरिटी और इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- राज्य-स्तर पर तालमेल और कैपेसिटी-बिल्डिंग के ज़रिए असरदार तरीके से लागू करना पक्का करें।
- लेबर वेलफेयर और इंडस्ट्रियल फ्लेक्सिबिलिटी के बीच बैलेंस बनाए रखें।
- इनफॉर्मल वर्कर्स की शिकायत दूर करने और रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएं।
- अधिकारों, फ़ायदों और पालन की ज़िम्मेदारियों पर जागरूकता कैंपेन चलाएं।

निष्कर्ष

चार लेबर कोड का लागू होना भारत के लेबर फ्रेमवर्क को एक करने और मॉडर्न बनाने की एक बड़ी कोशिश है। हालांकि, इनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन्हें सही तरीके से लागू किया जाए, जिससे काम करने वालों की सुरक्षा हो और काम या इन्वेस्टमेंट में रुकावट न आए। इन्हें लागू करने के लिए एक पार्टिसिपेटरी, सलाह-मशविरा वाला तरीका आर्थिक कुशलता और सामाजिक न्याय दोनों पाने में मदद कर सकता है।

भारत-अफ्रीका संबंध

प्रसंग

अफ्रीका एक बड़ा महाद्वीप है जिसमें 54 जाने-माने देश हैं, जो फॉस्फेट, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, बॉक्साइट और रूटाइल जैसे कीमती मिनरल्स से भरपूर हैं। ये रिसोर्स दुनिया भर की इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें बैटरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शामिल हैं।

व्यापार और आर्थिक महत्व

- **अफ्रीका में मिनरल का काफी भंडार है** : मोरक्को के पास दुनिया के 70% फॉस्फेट का कंट्रोल है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो के पास दुनिया का 50% कोबाल्ट है, मोज़ाम्बिक और तंजानिया दुनिया के 13% ग्रेफाइट का हिस्सा हैं, गिनी के पास दुनिया के 23% बॉक्साइट और 31% रूटाइल का भंडार है।
- चीन का अफ्रीकी व्यापार पर दबदबा है, दोनों देशों के बीच $200 बिलियन से ज़्यादा का लेन-देन है, जो कच्चे मिनरल निकालने, घरेलू प्रोसेसिंग और तैयार माल के एक्सपोर्ट पर फोकस करता है, जिससे उसे कॉम्पिटिटिव बढ़त मिलती है।
- फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अफ्रीका के साथ भारत का ट्रेड $100 बिलियन से ज़्यादा के माइलस्टोन पर पहुंच गया, जो 2019-20 के $56 बिलियन के मुकाबले लगभग दोगुना है। इससे भारत 1996 और 2024 के बीच $75 बिलियन से ज़्यादा के कुल इन्वेस्टमेंट के साथ अफ्रीका में टॉप पांच इन्वेस्टर्स में शामिल हो गया है।
- भारतीय एक्सपोर्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान, टेक्सटाइल और चावल शामिल हैं, और नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका और तंजानिया इसके मुख्य ट्रेडिंग पार्टनर हैं।
- तरक्की के बावजूद, भारत का ट्रेड वॉल्यूम चीन के मुकाबले लगभग आधा है, और डेब्ट-ट्रैप डिप्लोमेसी जैसी चिंताओं की वजह से अफ्रीकी देशों में चीन पर बढ़ता भरोसा भारत के लिए अपना असर बढ़ाने के मौके खोल रहा है।

सामरिक और राजनयिक संबंध

- 2015 में हुई बड़ी इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट सभी अफ्रीकी देशों की आखिरी बड़ी मीटिंग थी; रिश्तों को मजबूत करने और सहयोग के एरिया पहचानने के लिए एक नई समिट ज़रूरी है।
- भारत ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और डिजिटल पेमेंट (UPI सिस्टम) जैसे उभरते सेक्टर में पार्टनरशिप बनाने पर फोकस कर रहा है।
- नौ अफ्रीकी नौसेनाओं के साथ AI KIMI जैसी एक्सरसाइज़ के ज़रिए नौसेना सहयोग बढ़ाना स्ट्रेटेजिक समुद्री सहयोग को दिखाता है।
- भारत $12 बिलियन से ज़्यादा के रियायती लोन और $700 मिलियन की ग्रांट मदद भी दे रहा है, साथ ही स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चला रहा है, जिसके तहत अफ्रीकी युवाओं को 50,000 स्कॉलरशिप दी जा रही हैं (जिनमें से 42,000 से ज़्यादा का इस्तेमाल हो चुका है)।

भविष्य की दिशाएँ और सिफारिशें

- लोगों के बीच कनेक्शन और ट्रेड को आसान बनाने के लिए लाइन ऑफ़ क्रेडिट और डिजिटल कॉरिडोर बनाकर आर्थिक संबंधों को मज़बूत करना।
- कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए

इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी पर सहयोग को गहरा करना।

- भारत को ट्रेड एग्रीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बेहतर बनाने और नौकरी के मौके और सस्टेनेबल ग्रोथ बनाने के लिए अफ्रीकी SMEs को सपोर्ट करने के लिए काम करना चाहिए।
- डिप्लोमैटिक गुडविल का फ़ायदा उठाकर और क्वालिटी स्टैंडर्ड और मार्केट एक्सेस जैसी रुकावटों को दूर करके भारत को अफ्रीका में चीन के साथ बेहतर मुकाबला करने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष

भारत-अफ्रीका के रिश्ते ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी से पहचाने जाते हैं, जिसमें भरोसे, साझा डेवलपमेंट लक्ष्यों और टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी में आपसी फ़ायदे वाले सहयोग पर ध्यान देकर मौजूदा पार्टनरशिप से आगे निकलने की स्ट्रेटेजिक क्षमता है। अफ्रीका के आर्थिक भविष्य में एक अहम पार्टनर के तौर पर भारत की भूमिका के लिए एक नया डिप्लोमैटिक नज़रिया और बड़े समिट में शामिल होना बहुत ज़रूरी होगा।

अनुच्छेद 240 और चंडीगढ़ विवाद

प्रसंग

केंद्र सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल (131st अमेंडमेंट) बिल, 2025 के ज़रिए चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के तहत लाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे इसका एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क बदल जाएगा, जबकि यह पंजाब और हरियाणा की शेयर्ड कैपिटल बना रहेगा।

चंडीगढ़ की वर्तमान स्थिति

- पंजाब के बंटवारे के बाद चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी के तौर पर बनाया गया था, जिसकी ज़्यादातर ज़मीन पंजाब के गांवों से ली गई थी।
- 1966 में हरियाणा बनने के बाद, यह एक शेयर्ड कैपिटल बन गया, जिसे शुरू में दस साल के लिए प्लान किया गया था।
- प्रॉपर्टी में पंजाब का हिस्सा लगभग 60% और हरियाणा का 40% है।
- पंजाब के गवर्नर का एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करना पंजाब के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और सिंबॉलिक जुड़ाव दिखाता है।

अनुच्छेद 240 के प्रावधान और प्रभाव

- आर्टिकल 240 प्रेसिडेंट को बिना लेजिस्लेचर वाले यूनियन टेरिटरी के लिए रेगुलेशन बनाने का अधिकार देता है।
- चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के तहत शामिल करने से एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, जिससे पंजाब के गवर्नर के साथ इसका जुड़ाव खत्म हो जाएगा।
- राष्ट्रपति के नियम, संसद के दखल के बिना, मौजूदा कानूनों को ओवरराइड या रिप्लेस कर सकते हैं।
- केंद्र को UT में गवर्नेंस और कानूनी फ्रेमवर्क पर ज़्यादा अधिकार मिलेंगे।

राजनीतिक और प्रशासनिक चिंताएँ

- पंजाब और हरियाणा को चंडीगढ़ पर कमज़ोर रिप्रेजेंटेशन और घटते दावों का डर है।
- पंजाब का ऐतिहासिक और भावनात्मक जुड़ाव कम हो सकता है।
- आलोचक सेंट्रलाइज़ेशन के बजाय लोकल गवर्नेंस को मज़बूत बनाना पसंद करते हैं।
- सपोर्टर्स का मानना है कि इससे ओवरसाइट बेहतर होगी और भविष्य में इंस्टीट्यूशनल अपग्रेड हो सकेंगे।

सरकार की स्थिति और भविष्य के कदम

- गृह मंत्रालय का कहना है कि अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है और पारंपरिक व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
- स्टेकहोल्डर्स के साथ कंसल्टेशन का भरोसा दिया गया है।
- तनाव जारी है क्योंकि पंजाब इस कदम को स्थापित अधिकारों को कमज़ोर करने वाला मानता है।

निष्कर्ष

चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के तहत लाना एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव का संकेत है, जिससे सेंट्रल कंट्रोल बढ़ेगा और ऐतिहासिक दावों और पॉलिटिकल अधिकारों से जुड़ी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। इसे लागू करना बातचीत, आम सहमति बनाने और क्षेत्रीय चिंताओं के साथ एफिशिएंसी को बैलेंस करने पर निर्भर करेगा।

भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग

परिभाषा और लाभ

इनलैंड वॉटरवेज़ नदियाँ और इनलैंड वॉटर बॉडीज़ हैं जिनका इस्तेमाल सामान और यात्रियों के ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। वे कम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, कम एमिशन देते हैं, और माल ढुलाई को रोड ट्रांसपोर्ट से वॉटरवेज़ पर शिफ्ट करके रोड कंजेशन को कम करते हैं।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई)

- **स्थापना:** 27 अक्टूबर, 1986, IWAI एक्ट, 1985 के तहत
- **मुख्यालय:** नोएडा, उत्तर प्रदेश

भूमिका: IWAI नेशनल वॉटरवेज़ एक्ट, 2016 के तहत नोटिफ़ाई किए गए नेशनल वॉटरवेज़ को डेवलप, रेगुलेट और मेंटेन करता है।

फ़ंक्शन में शामिल हैं:

- टर्मिनल, नेविगेशनल सुविधाएं और फेयरवे विकसित करना
- हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और गहराई के लिए ड्रेजिंग करना

- सुरक्षित और लगातार मूवमेंट के लिए नेविगेशन में मदद देना
- रेल और सड़क नेटवर्क के साथ IWT का समन्वय
- क्षेत्र विकास पर केंद्र और राज्यों को सलाह देना
- व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करना और नए जलमार्गों का प्रस्ताव करना
- हाइब्रिड और हाइड्रोजन वेसल जैसे क्लीनर प्रोपल्शन को बढ़ावा देना

उल्लेखनीय राष्ट्रीय जलमार्ग

- **NW 1:** गंगा (इलाहाबाद से हल्दिया)
- **NW 2:** ब्रह्मपुत्र (धुबरी से सदिया)
- **NW 16:** बराक नदी

निष्कर्ष

IWAI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर, नेविगेबिलिटी पक्का करके और साफ-सुथरी लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देकर इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट को मजबूत करता है। वॉटरवेज़ के बढ़ने से ट्रेड एफिशिएंसी, रीजनल लिंकेज और एनवायरनमेंटल फायदे बढ़ते हैं, साथ ही रोड और रेल सिस्टम भी बेहतर होते हैं।

माउंट सेमेरू

स्थान और महत्व

- माउंट सेमेरू **इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है,** जिसे अक्सर महामेरू कहा जाता है, जिसका संस्कृत में मतलब है "महान पर्वत"।
- यह एक स्ट्रेटोवोलकैनो है जो एक ज्वालामुखी के दक्षिणी छोर पर है जो उत्तर में टेंगर काल्डेरा तक फैला हुआ है।

हाल की घटनाएं

- दिसंबर 2021 में एक बड़े विस्फोट के कारण पाइरोक्लास्टिक फ्लो हुआ और राख के बादल आस-पास के इलाकों में फैल गए, जिससे लोगों को निकालना पड़ा।
- नवंबर 2025 में, एक और बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें राख का गुबार 6,500 फीट से ज़्यादा ऊपर तक पहुंच गया और इंडोनेशियाई सरकार को लेवल 4 (सबसे ऊंचा) अलर्ट जारी करना पड़ा।

भूवैज्ञानिक विशेषताएँ

- ज्वालामुखी के ऊपर की जगह पर बदलते क्रेटर और लावा डोम हैं, और इसके फटने वाले प्रोडक्ट ज़्यादातर एंडेसिटिक हैं।
- यह अजेक-अजेक और जाम्बांगन नाम के ओवरलैपिंग काल्डेरा के दक्षिण में है, और इसकी चोटी पर मार्स में क्रेटर झीलें बनी हैं।

जी20 शिखर सम्मेलन 2025

संदर्भ

2025 G20 समिट जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ था, यह अफ्रीकी धरती पर आयोजित पहला G20 समिट था। यूनाइटेड स्टेट्स के बॉयकॉट के बावजूद, समिट मल्टीलेटरलिज़्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल इक्विटी पर फोकस करने वाले एक बड़े लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाने के साथ खत्म हुआ।

जी20 के बारे में

- ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी (G20) इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए लीडिंग फोरम है, जो ग्लोबल GDP का 85%, वर्ल्ड ट्रेड का 75% और दुनिया की दो-तिहाई आबादी को रिप्रेजेंट करता है।
- इसमें 19 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल हैं।
- G20 की स्थापना 1999 में एशियाई फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुई थी और 2008-09 में इसे लीडर्स समिट लेवल पर अपग्रेड किया गया, जिससे इसका एजेंडा ट्रेड, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों तक बढ़ गया।

शिखर सम्मेलन का विषय और प्राथमिकताएँ

- दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता का विषय था **" सद्भाव , समानता, स्थिरता" ("एकजुटता, समानता, स्थिरता")।**
- प्राथमिकताओं में आपदा से निपटने की क्षमता, कम आय वाले देशों के लिए कर्ज़ की स्थिरता, एनर्जी ट्रांज़िशन फाइनेंस, ज़रूरी मिनरल्स का विकास, सबको साथ लेकर चलने वाला आर्थिक विकास, फूड सिक्योरिटी, और सस्टेनेबल विकास के लिए AI का इस्तेमाल शामिल था।

मुख्य परिणाम

- लीडर्स डिक्लेरेशन में मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, क्लाइमेट एक्शन, कर्ज़ में राहत और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ज़ोर दिया गया, जिसे US के बॉयकॉट के बावजूद अपनाया गया।
- क्लाइमेट रेजिलिएंस, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने और क्लाइमेट से होने वाली आपदाओं का सामना कर रहे कमजोर देशों को सपोर्ट देने के लिए मजबूत वादे किए गए।
- घोषणा में ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सुधार पर फोकस किया गया ताकि ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बेहतर तरीके से शामिल किया जा सके और असमानता को कम किया जा सके।
- इसमें खास तौर पर ज़रूरी मिनरल्स में इनक्लूसिव इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, अफ्रीका में वैल्यू एडिशन और ग्लोबल शांति और स्टेबिलिटी पर ज़ोर दिया गया।
- डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, AI इनोवेशन, और ड्रग-टेरर नेक्सस से निपटने पर ज़ोर दिया गया।
- भारत ने ज़रूरी टेक्नोलॉजी, AI, सप्लाई चेन और क्लीन एनर्जी पर सहयोग करने के लिए तीन-तरफ़ा ACIT। पार्टनरशिप (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत) शुरू की।

चुनौतियां

- US का बॉयकॉट जियोपॉलिटिकल टेंशन से जुड़ा था, खासकर क्लाइमेट एजेंडा और साउथ अफ्रीका के होस्टिंग प्रोटोकॉल पर असहमति से।
- फॉसिल फ्यूल को धीरे-धीरे खत्म करने के वादे और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बंटवारे पर मतभेद की वजह से आम सहमति पर असर पड़ा।
- कर्ज़, उधार और रिप्रेजेंटेशन में असमानता को दूर करने के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में सुधार की मांग की गई।

आगे बढ़ने का रास्ता

- मल्टीलेटरल सहमति बनाने को मज़बूत करना और G20 को बड़ी ताकतों की पॉलिटिक्स से अलग रखना बहुत ज़रूरी है।
- क्लाइमेट फाइनेंस को चालू करना, कर्ज़ में राहत देना, और क्लाइमेट चेंज के असर के हिसाब से ढलना, खासकर ग्लोबल साउथ के लिए प्राथमिकताएं बनी हुई हैं।
- G20 में अफ्रीकी यूनियन की परमानेंट मेंबरशिप के ज़रिए अफ्रीका की आवाज़ को इंस्टीट्यूशनल बनाना, सबको साथ लेकर चलने के लिए ज़रूरी है।
- सही फाइनेंसिंग और ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सुधार करना एक बड़ी मांग है।

निष्कर्ष

जोहान्सबर्ग G20 समिट ने दिखाया कि जियोपॉलिटिकल मतभेद के बावजूद कमिटेड मल्टीलेटरल एक्शन मुमकिन है। क्लाइमेट जस्टिस, बराबर ग्रोथ और गरीब देशों की डेवलपमेंट प्रायोरिटी पर ज़ोर देते हुए, समिट की सफलता कोऑपरेशन, डायलॉग और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को मज़बूत करने पर निर्भर करती है ताकि G20 की भूमिका को सबसे बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के तौर पर पक्का किया जा सके।

भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश

संदर्भ

जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें चीफ जस्टिस (CJI) के तौर पर शपथ ली। वे CJI बीआर गवई की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा, जिससे यह किसी CJI का हाल का सबसे लंबा कार्यकाल बन जाएगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय

- CJI भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख और भारत के सुप्रीम कोर्ट के पीठासीन न्यायाधीश हैं।
- यह पद संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 124(1) के तहत स्थापित है, जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से युक्त सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है।

संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 124(1): भारत के सर्वोच्च न्यायालय और CJI के कार्यालय की स्थापना करता है।
- अनुच्छेद 124(2): मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के बाद वारंट के जरिए की जाती है।
- आर्टिकल 126: ज़रूरत पड़ने पर एक्टिंग CJI की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
- आर्टिकल 127: सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजों की नियुक्ति की अनुमति देता है।
- आर्टिकल 128: सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर बैठने और काम करने की इजाज़त देता है।

नियुक्ति प्रक्रिया

- परंपरा और सीनियरिटी के सिद्धांत के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज (टेन्योर के हिसाब से) को CJI के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए माना जाता है, अगर वह फिट पाए जाते हैं।
- मौजूदा CJI के रिटायरमेंट से करीब एक महीने पहले, वह यूनियन लॉ मिनिस्टर को उनके उत्तराधिकारी का नाम रिकमेंड करते हैं।
- कानून मंत्री सिफारिश प्रधानमंत्री को भेजते हैं, जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।
- राष्ट्रपति अनुच्छेद 124(2) के तहत नियुक्ति वारंट जारी करता है।
- इसके बाद CJI राष्ट्रपति के सामने पद की शपथ लेते हैं।
- मनमानी कम करने और न्यायिक स्वतंत्रता को मज़बूत करने के लिए अपॉइंटमेंट सिस्टम को मेमोरेंडम ऑफ़ प्रोसीजर (MoP) 1999 के ज़रिए औपचारिक बनाया गया है।

प्रमुख विशेषताऐं

- सीनियरिटी-बेस्ड और कन्वेंशन-ड्रिवन, यह सिस्टम पॉलिटिकल समझ को लिमिट करता है और ज्यूडिशियल ऑटोनॉमी को बढ़ाता है।
- हालांकि औपचारिक रूप से एग्जीक्यूटिव (राष्ट्रपति) द्वारा नियुक्त, न्यायपालिका—खासकर जाने वाले CJI—एक निर्णायक सलाहकार की भूमिका निभाते हैं।
- CJI का पद कॉलेजियम सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिसके ज़रिए CJI हायर ज्यूडिशियरी में जजों की नियुक्तियों पर असर डालता है।

CJI की भूमिका का महत्व

- CJI ज्यूडिशियल हेड और रोस्टर के मास्टर के तौर पर काम करते हैं, और केस की प्रायोरिटी और बेंच की बनावट तय करते हैं।
- कॉलेजियम के हेड के तौर पर, CJI की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर में अहम भूमिका होती है।
- CJI उन बेंचों को लीड करते हैं जो फ़ेडरल विवादों, मौलिक अधिकारों, चुनावी मुद्दों और शक्तियों के बंटवारे जैसे ज़रूरी संवैधानिक मामलों पर फ़ैसला करते हैं।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) विधेयक 2025

प्रसंग

केंद्र सरकार हायर एजुकेशन के लिए एक यूनिफाइड रेगुलेटर बनाने के लिए HECI बिल लाने वाली है, जो NEP 2020 में सोचे गए UGC, AICTE और NCTE की अलग-अलग निगरानी की जगह लेगा।

विधेयक के बारे में

पृष्ठभूमि:

- भारत का हायर एजुकेशन लैंडस्केप अभी कई रेगुलेटर के अंडर काम करता है, जैसे जनरल एजुकेशन के लिए UGC, टेक्निकल एजुकेशन के लिए AICTE, और टीचर ट्रेनिंग के लिए NCTE—जिससे डुप्लीकेशन और देरी होती है।
- NEP 2020 ने एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने, क्वालिटी पक्का करने और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलैप को कम करने के लिए एक सिंगल, इंटीग्रेटेड रेगुलेटर की सिफारिश की।

संरचनात्मक डिजाइन:

- HECI **चार खास वर्टिकल्स के ज़रिए काम करेगा** :
  - **नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल (NHERC):** रेगुलेटरी कम्प्लायंस और इंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्ड्स को संभालता है।
  - **नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल (NAC):** एक्रेडिटेशन और क्वालिटी बेंचमार्किंग की देखरेख करती है।
  - **जनरल एजुकेशन काउंसिल (GEC):** यह लर्निंग आउटकम, करिकुलम गाइडलाइन और एकेडमिक उम्मीदें तय करती है।
  - **हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल (HEGC):** फंडिंग से जुड़े कामों पर फोकस करती है, हालांकि ग्रांट्स का आखिरी कंट्रोल मिनिस्ट्री के पास ही रह सकता है।
- **बाहर रखा गया:** मेडिकल और कानूनी शिक्षा को HECI के दायरे से बाहर रखा गया है।
- **इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस:** हर वर्टिकल ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए एक इंडिपेंडेंट, एक्सपर्ट-ड्रिवन एंटिटी के तौर पर काम करेगा।

नियामक ढांचा

नवाचार:

- कई रेगुलेटरी बॉडीज़ को एक सिस्टम में जोड़ता है, और ओवरलैपिंग मैंडेट्स को हटाता है।
- करिकुलम, फैकल्टी क्वालिफिकेशन, डिग्री नॉर्म्स और असेसमेंट सिस्टम के लिए एक जैसे स्टैंडर्ड तय करता है।
- ऑटोनॉमी पक्का करने के लिए एक्रेडिटेशन ज़रूरी हो जाता है, जो इंस्टीट्यूशनल आज़ादी को दिखने वाली क्वालिटी से जोड़ता है।
- यह बिल **UGC एक्ट, 1956 को रद्द करता है** , और पहले के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को औपचारिक रूप से खत्म कर देता है।
- इसमें फीस की निगरानी और नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों को बंद करने के नियम शामिल हैं।

महत्व

- ब्यूरोक्रेटिक मुश्किलों को कम करता है और इंस्टीट्यूशनल फैसले लेने की प्रक्रिया को तेज़ करता है।
- मज़बूत एक्रेडिटेशन नियमों के ज़रिए जवाबदेही पक्का करते हुए ज़्यादा ऑटोनॉमी को बढ़ावा देता है।
- NEP 2020 के फ्लेक्सिबल, कम दखल वाले रेगुलेटरी माहौल के विज़न को सपोर्ट करता है।
- इसका मकसद हायर एजुकेशन सेक्टर में कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी देकर गवर्नेंस क्वालिटी को बेहतर बनाना है।
- सफलता डीसेंट्रलाइज़ेशन, राज्यों को शामिल करने और इंस्टीट्यूशनल आज़ादी की सुरक्षा पर निर्भर करती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

कार्यान्वयन प्राथमिकताएँ:

- हर वर्टिकल के लिए सही स्टेकहोल्डर सलाह के साथ काम करने के ट्रांसपेरेंट नियम बनाएं।
- पक्का करें कि राज्य सरकारों, अल्पसंख्यक संस्थाओं और पिछड़े ग्रुप्स को फैसले लेने में रिप्रेजेंटेशन मिले।
- बेहतर एक्रेडिटेशन और गवर्नेंस स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूशन में कैपेसिटी बनाएं।

प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता:

- अप्रूवल, एक्रेडिटेशन और कम्प्लायंस रिपोर्टिंग के लिए डिजिटल गवर्नेंस टूल्स अपनाएं।
- स्टूडेंट्स को जानकारी के साथ चुनाव करने में मदद करने के लिए, सबके लिए उपलब्ध क्वालिटी मेट्रिक्स बनाए रखें।

विनियामक स्थिरता:

- ओवर-रेगुलेशन से बचने और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को बचाने के लिए साफ़ गाइडलाइंस दें।
- बदलाव के दौरान एडवाइज़री सिस्टम, कैपेसिटी-बिल्डिंग और फेज़्ड इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए इंस्टीट्यूशन्स को सपोर्ट करें।

निष्कर्ष

HECI बिल 2025 का मकसद भारत के हायर एजुकेशन रेगुलेशन में बड़े बदलाव करना है। इसके लिए एक यूनिफाइड, ट्रांसपेरेंट और क्वालिटी पर आधारित सिस्टम बनाया जाएगा, जिसे असरदार तरीके से लागू किया जाएगा और इसकी लंबे समय तक चलने वाली सफलता के लिए बैलेंस्ड ऑटोनॉमी ज़रूरी है।

माउंट सेमेरू ज्वालामुखी (इंडोनेशिया)

स्थान और महत्व

- माउंट सेमेरू इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित है।

- यह जावा द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3,676 मीटर (12,060 फीट) है।
- इंडोनेशिया इक्वेटर पर है और इंडो-पैसिफिक रीजन का हिस्सा है, जिसके पश्चिम में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है।
- यह ज्वालामुखी पैसिफिक "रिंग ऑफ फायर" या सर्कम-पैसिफिक बेल्ट का हिस्सा है, जो तेज़ भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि के लिए जाना जाता है।
- सेमेरू को महामेरू के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है "महान पर्वत" या "महान पर्वत।"

गतिविधि और हाल के विस्फोट

- माउंट सेमेरू इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें 1967 से लगातार विस्फोट हो रहे हैं।
- नवंबर 2025 में इसमें एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे तेज़ पाइरोक्लास्टिक फ्लो हुआ जो इसकी ढलानों से 7-8.5 km नीचे तक गया, और साथ में राख के गुबार 2 km तक एटमॉस्फियर में उठे।
- ज्वालामुखी के फटने से लुमाजांग रीजेंसी में 500 से ज़्यादा लोगों को निकालना पड़ा और फंसे हुए क्लाइंबर्स के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा।
- अधिकारियों ने अलर्ट लेवल को सबसे ज़्यादा (लेवल IV, आवास) तक बढ़ा दिया है और 8-13 km के दायरे में एक्सक्लूज़न ज़ोन बना दिए हैं, जिससे लाहर या ज्वालामुखी की मिट्टी के बहाव के खतरे के कारण नदी घाटियों के साथ डेंजर ज़ोन बढ़ गए हैं।
- ज्वालामुखी के फटने से अक्सर सेमी-एक्सप्लोसिव बर्स्ट, गैस और राख के बादल बनते हैं, और कभी-कभी लावा डोम गिर जाता है।
- इसका 2021 का विस्फोट जानलेवा था, जिससे 50 से ज़्यादा मौतें हुईं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ।

भूवैज्ञानिक और भौगोलिक संदर्भ

- सेमेरू जावा सागर के पास स्थित एक स्ट्रेटोवोलकैनो है।
- यह सिंगापुर के पास मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच, स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण मलक्का स्ट्रेट के पास है।
- ज्वालामुखी की एक्टिविटी रिंग ऑफ़ फायर के अंदर मुख्य टेक्टोनिक बाउंड्री पर इसकी लोकेशन से प्रभावित होती है, जहाँ इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे चली जाती है।
- ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा सतह के नीचे पिघला हुआ पत्थर होता है; जब यह फटता है, तो इसे लावा कहा जाता है।

सुरक्षा और प्रभाव

- हाल ही में हुए विस्फोटों से राख गिरने से घरों, स्कूलों, पुलों और खेतों को नुकसान पहुंचा है।
- लोगों को सलाह दी जाती है कि वे लाहर से प्रभावित नदी किनारे के इलाकों से बचें और राख को सांस के ज़रिए अंदर जाने से बचाने के लिए मास्क पहनें।
- यह इलाका हाई वोल्केनिक अलर्ट पर है, और लगातार सीस्मिक एक्टिविटी से आगे और विस्फोट होने का संकेत मिल रहा है।

बहुविवाह, बहुपतित्व और समान नागरिक संहिता (UCC)

विषय: राजनीति और समाज

प्रसंग

असम में एक से ज़्यादा शादी पर बैन लगाने के प्रस्ताव ने पर्सनल लॉ, जेंडर इक्वालिटी और UCC पर बहस फिर से शुरू कर दी है, साथ ही संविधान के तहत सुरक्षित आदिवासी रीति-रिवाजों को बचाने को लेकर चिंता भी बढ़ा दी है।

मुद्दे के बारे में

परिभाषाएँ और कानूनी स्थिति

बहुविवाह

- **बहुविवाह** : एक आदमी की कई पत्नियाँ होना।
- हिंदू, पारसी और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत बैन।
- मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शर्तों के साथ इजाज़त है।
- कुछ आदिवासी समुदायों में सुरक्षित पारंपरिक कानूनों के तहत इसका पालन किया जाता है।

बहुपतित्व

- **बहुपतित्व:** एक महिला के कई पति होना।
- कानूनी तौर पर इसे मान्यता नहीं मिली है, लेकिन कुछ आदिवासी इलाकों में यह पारंपरिक रिवाज के तौर पर जारी है।

जनजातीय क्षेत्रों में प्रथागत प्रथाएँ

- कई आदिवासी समुदाय एक से ज़्यादा शादी या एक से ज़्यादा पति होने की इजाज़त देने वाले आम कानूनों को मानते हैं।
- इन प्रथाओं को पांचवें और छठे शेड्यूल के ज़रिए सुरक्षा दी गई है, जो आदिवासी ऑटोनॉमी और कल्चरल सुरक्षा पक्का करते हैं।

असम की बहुविवाह विरोधी पहल

प्रमुख प्रावधान

- एक से ज़्यादा शादी को अपराध बनाना, जिसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।
- यह असम में एक से ज़्यादा शादी करने वाले नॉन-रेसिडेंट पर लागू होता है।
- छठी अनुसूची के आदिवासी इलाकों को सांस्कृतिक स्व-शासन बनाए रखने के लिए छूट दी गई है।

महत्व

- इसे राज्य लेवल पर UCC-स्टाइल सुधारों की शुरुआत माना जाता है।
- इसका मकसद पर्सनल लॉ को बराबरी के सिद्धांतों के साथ जोड़ना है, साथ ही आदिवासी परंपराओं की सुरक्षा भी बनाए रखना है।

समान नागरिक संहिता (यूसीसी)

अवधारणा

- UCC सभी समुदायों में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के लिए एक आम कानूनी ढांचा चाहता है, जो बराबरी और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे।

संवैधानिक ढांचा

- छठी अनुसूची के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नॉर्थईस्ट के कुछ हिस्सों में पर्सनल और कस्टमरी कानूनों को रेगुलेट करते हैं।
- पांचवीं अनुसूची के इलाके दूसरी जगहों पर आदिवासी प्रथाओं के लिए सुरक्षा उपाय देते हैं।
- इन सुरक्षा के लिए UCC सुधारों में सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय रीति-रिवाजों पर विचार करना ज़रूरी है।

चुनौतियां

- एक जैसा होना और आदिवासी ऑटोनॉमी में बैलेंस बनाना मुश्किल बना हुआ है।
- पॉलीगैमी या पॉलीएंड्री जैसी प्रथाओं के लिए सावधानी से, सलाह-मशविरा करके पॉलिसी बनाने की ज़रूरत होती है।
- असम की पहल जैसे राज्य-स्तर के कदम, धीरे-धीरे पूरे देश में सुधारों को गाइड कर सकते हैं।

निष्कर्ष

पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री और UCC पर बहस जेंडर इक्वालिटी को कल्चरल प्लूरलिज़्म के साथ मिलाने की भारत की कोशिश को दिखाती है। असम की पहल संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अंदर ट्राइबल ऑटोनॉमी का सम्मान करते हुए एक धीरे-धीरे सुधार का रास्ता दिखाती है।

भारत में हिरासत में टॉर्चर और पुलिस सुधार

विषय: आंतरिक सुरक्षा और राजनीति

प्रसंग

राजस्थान में हाल ही में हुई एक घटना समेत, हिरासत में बार-बार होने वाली मौतें, भारत के पुलिसिंग सिस्टम में जवाबदेही और निगरानी में सिस्टम की नाकामियों को दिखाती हैं। इससे स्ट्रक्चरल सुधारों और हिरासत में टॉर्चर के खिलाफ़ मज़बूत सुरक्षा उपायों की तुरंत ज़रूरत पर ज़ोर पड़ता है।

मुद्दे के बारे में

न्यायिक हस्तक्षेप और वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश (2020)

- सुप्रीम कोर्ट ने गलत इस्तेमाल को रोकने और ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए सभी पुलिस स्टेशनों और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में CCTV लगाना ज़रूरी कर दिया है।
- इस निर्देश में हिरासत में हिंसा के मामलों में टेक्नोलॉजिकल मॉनिटरिंग और भरोसेमंद सबूत की मांग की गई थी।

कार्यान्वयन अंतराल

- कम्प्लायंस अभी भी एक जैसा नहीं है; सिर्फ़ कुछ ही राज्यों ने अच्छी तरक्की की है।
- कमज़ोर एग्ज़िक्यूशन और असंवेदनशील सरकारी बयान, कस्टोडियल टॉर्चर के प्रति इंस्टीट्यूशनल सीरियसनेस की कमी दिखाते हैं।

कानूनी और संरचनात्मक बाधाएं

किसी खास एंटी-टॉर्चर कानून का न होना

- कस्टोडियल टॉर्चर को क्रिमिनल बनाने के लिए कोई अलग कानून नहीं है।
- IPC की धाराएं 330–331 विकल्प के तौर पर काम करती हैं, जिससे अस्पष्टता, कमजोर प्रवर्तन और कम सज़ा दर होती है।

न्यायिक और संस्थागत सीमाएँ

- अक्सर एक ही पुलिस यूनिट द्वारा की गई जांच से हितों का टकराव होता है।
- पीड़ितों को डराने-धमकाने, लंबी प्रक्रिया और गवाहों की अपर्याप्त सुरक्षा का सामना करना पड़ता है।

मानवीय और जवाबदेह पुलिसिंग के लिए प्रस्तावित उपाय

1. टेक्नोलॉजी-ड्रिवन ट्रांसपेरेंसी

- पुलिस स्टेशनों में पूरी CCTV कवरेज और काम करने की क्षमता पक्का करें।
- गिरफ्तारी और सर्च ऑपरेशन के लिए बॉडी-वॉर्न कैमरे लगाएं।
- सुरक्षित, अलग से एक्सेस किया जा सकने वाला डेटा स्टोरेज बनाए रखें।

2. प्रोफेशनलाइज़ेशन और ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग

- एथिकल पुलिसिंग और बिना दबाव वाली पूछताछ में ट्रेनिंग को मज़बूत करें।
- ह्यूमन राइट्स कम्प्लायंस को प्रमोशन और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से जोड़ें।

3. पुलिसिंग में संरचनात्मक सुधार

- प्रोफेशनलिज़्म को बेहतर बनाने के लिए जांच को कानून-व्यवस्था के कामों से अलग रखें।
- पुलिस संस्थानों में सिविलियन निगरानी, जवाबदेही और प्रोसीजरल फेयरनेस को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष

हिरासत में टॉर्चर पुलिसिंग में सिस्टम की कमज़ोरियों को सामने लाता है। हिरासत में लिए गए लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और एक ट्रांसपेरेंट, इंसानी और जवाबदेह पुलिस सिस्टम बनाने के लिए मज़बूत निगरानी, एक खास एंटी-टॉर्चर कानून, बेहतर ट्रेनिंग और स्ट्रक्चरल सुधार ज़रूरी हैं।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न: POSH अधिनियम, 2013

विषय: सामाजिक न्याय और शासन

प्रसंग

POSH एक्ट के बावजूद, काम की जगह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट ठीक से लागू न होने, जागरूकता की कमी और प्रोसेस में रुकावटों की वजह से जारी है। ये चुनौतियाँ जेंडर इक्वालिटी में

रुकावट डालती हैं और मज़बूत इंस्टीट्यूशनल सिस्टम और सर्वाइवर-सेंट्रिक सुधारों की ज़रूरत को दिखाती हैं।

कानून के बारे में

पृष्ठभूमि

- सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइडलाइंस (1997) के आधार पर 2013 में लागू किया गया।
- गाइडलाइंस में सेक्सुअल हैरेसमेंट को आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन माना गया।
- इस एक्ट ने ज़रूरी कमेटियों और प्रोसेस के ज़रिए इन सुरक्षाओं को औपचारिक बनाया।

अनिवार्य शिकायत तंत्र

आंतरिक समिति (आईसी)

- 10+ कर्मचारियों वाली जगहों पर यह ज़रूरी है।
- शिकायतों, पूछताछ और कार्रवाई के लिए सुझावों को संभालता है।

स्थानीय समिति (एलसी)

- 10 से कम एम्प्लॉई वाले वर्कप्लेस के लिए या जब रेस्पोंडेंट एम्प्लॉयर हो।
- एक्सेसिबिलिटी पक्का करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है।

प्रमुख चुनौतियाँ और कमियाँ

1. सबूत का बोझ

- शिकायत करने वालों को आपसी, और अक्सर निजी गलत काम को साबित करने में मुश्किल होती है।
- इसका नतीजा यह होता है कि रिपोर्टिंग कम होती है और बदले की कार्रवाई का डर रहता है।

2. परिभाषाओं में अस्पष्टता

- *अनचाहा व्यवहार* या *खराब माहौल* जैसे शब्दों में प्रैक्टिकल क्लैरिटी की कमी होती है, जिससे असेसमेंट में अंतर होता है।

3. पैटर्न-आधारित उत्पीड़न

- हैरेसमेंट अक्सर बार-बार होने वाला व्यवहार होता है, लेकिन कानून अलग-अलग घटनाओं पर फोकस करता है, जिससे असरदार पहचान कम हो जाती है।

4. इमोशनल हैरेसमेंट और ज़बरदस्ती सहमति

- इमोशनल मैनिपुलेशन, ज़बरदस्ती, और धोखाधड़ी वाली सहमति को साफ़ तौर पर कवर नहीं किया गया है, जबकि ये गलत इस्तेमाल के आम तरीके हैं।

5. अंतर-संस्थागत कदाचार

- विज़िटिंग फ़ैकल्टी, कंसल्टेंट, या अलग-अलग संस्थानों में काम करने वाले लोगों के गलत कामों से निपटने के लिए कोई साफ़ फ्रेमवर्क नहीं है।

शिकायतों के लिए प्रक्रियात्मक विंडो

- घटना के तीन महीने के अंदर शिकायत दर्ज करनी होगी।
- सही कारणों से छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है।
- सर्वाइवर्स को अक्सर ट्रॉमा से जुड़ी देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे टाइमलाइन बहुत सख्त हो जाती है।

निष्कर्ष

POSH एक्ट एक मज़बूत बुनियाद देता है, लेकिन इसमें प्रोसेस में कमियां, परिभाषा में साफ़ न होना और सर्वाइवर प्रोटेक्शन की कमी है। काम की जगहों को सुरक्षित बनाने के लिए साफ़ स्टैंडर्ड, बेहतर निगरानी और ज़बरदस्ती और बार-बार होने वाले व्यवहार की बड़े पैमाने पर पहचान बहुत ज़रूरी है।

अमेरिका-सऊदी अरब संबंध और भारत

1945 से चले आ रहे US-सऊदी रिश्तों को **"Oil for Security" अरेंजमेंट** से आकार मिला है : सऊदी अरब ने ग्लोबल मार्केट को स्टेबल एनर्जी सप्लाई पक्की की, जबकि US ने किंगडम को सिक्योरिटी गारंटी, मिलिट्री इक्विपमेंट और स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्शन दिया।

हालिया विकास: सऊदी अरब एक प्रमुख गैर-NATO सहयोगी (MNNA) के रूप में

नवंबर 2025 में , अमेरिका ने सऊदी अरब को **मेजर नॉन-NATO सहयोगी (MNNA) बनाया** । यह एक ऐसा कदम है जो NATO जैसे कलेक्टिव डिफेंस कमिटमेंट दिए बिना मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक सहयोग को काफी बेहतर बनाता है।

एमएनएनए स्टेटस की मुख्य विशेषताएं

- **एडवांस्ड US मिलिट्री टेक्नोलॉजी** तक पहुंच ।
- **मिलिट्री इक्विपमेंट डिलीवरी** में प्रायोरिटी ।
- जॉइंट **रिसर्च, डेवलपमेंट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग**।
- सऊदी ज़मीन पर **US मिलिट्री हार्डवेयर जमा करने** की एलिजिबिलिटी ।
- **इंटेलिजेंस-शेयरिंग, ट्रेनिंग और ऑपरेशनल सहयोग** का विस्तार ।

प्रमुख संबद्ध समझौते

- **F-35 फाइटर जेट** और लगभग **300 मॉडर्न US टैंकों** से जुड़ी एक बड़ी हथियार डील ।
- **AI, डिफेंस R&D, मिसाइल सिस्टम और सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स** में सहयोग ।
- **यूएस-सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क** के तहत को-प्रोडक्शन के लिए लॉन्ग-टर्म प्लान ।

यह डेवलपमेंट खाड़ी में **चीन के बढ़ते असर का मुकाबला करने की US की कोशिशों को दिखाता है, खासकर तब जब चीन ने सऊदी-ईरान मेल-मिलाप में मध्यस्थता की थी** , और ऐसे समय में जब चीन सऊदी अरब का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है।

भारत के लिए निहितार्थ

1. सुरक्षा संबंधी चिंताएँ

- **सऊदी-पाकिस्तान के** बीच गहरी डिफेंस पार्टनरशिप से यह चिंता बढ़ गई है कि सऊदी अरब को सप्लाई किए गए US-ओरिजिनल, हाई-एंड हथियार इनडायरेक्टली पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं।

- इससे मौजूदा क्षेत्रीय तनाव के बीच भारत की सुरक्षा गणना मुश्किल हो जाती है।

2. ऊर्जा और आर्थिक चिंताएँ

- भारत का **डिस्काउंटेड रूसी तेल का बड़ा इम्पोर्ट** , उसे सऊदी अरब और US दोनों की स्ट्रेटेजिक एनर्जी पसंद के मुकाबले खड़ा करता है।
- सऊदी अरब भारत में मार्केट शेयर वापस पाने की कोशिश कर सकता है, जबकि US रूसी क्रूड पर भारत की लगातार निर्भरता को लेकर सावधान है।
- इससे भारत के लिए एक नाजुक डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग एक्ट बनता है।

निष्कर्ष

US द्वारा सऊदी अरब को **मेजर नॉन-NATO सहयोगी बनाना** , खाड़ी की जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, जिसका **सीधा असर भारत के सिक्योरिटी माहौल, एनर्जी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी पर पड़ेगा** । जैसे-जैसे ग्लोबल पावर कॉम्पिटिशन तेज़ हो रहा है, भारत को सोच-समझकर डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट के साथ इन बदलावों को समझना होगा।

हैमर प्रिसिजन वेपन सिस्टम

विषय: रक्षा

प्रसंग

BEL और फ्रांस की सफ्रान ने भारत में मिलकर HAMMER प्रिसिजन म्यूनिशन बनाने के लिए पार्टनरशिप की है, जिसका मकसद डिफेंस को स्वदेशी बनाना और फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट के लिए हाई-एक्यूरेसी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाना है।

समाचार के बारे में

पृष्ठभूमि

सफ्रान का बनाया हुआ हैमर (हाइली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज) अब BEL-सफ्रान पार्टनरशिप के ज़रिए भारत में असेंबल, इंटीग्रेट और टेस्ट किया जाएगा, जिससे प्रिसिजन-गाइडेड हथियारों की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग मज़बूत होगी।

प्रमुख घटनाक्रम

यह सहयोग भारत के डिफेंस-इंडिजिनाइजेशन लक्ष्यों से मेल खाता है।

यह राफेल और LCA तेजस एयरक्राफ्ट को ज़्यादा खतरे वाले माहौल में तेज़ और सटीक स्ट्राइक के लिए तैयार करेगा।

यह हथियार भारत की मज़बूत या टाइम-सेंसिटिव टारगेट को सटीकता से हिट करने की क्षमता को बढ़ाता है।

हैमर हथियार प्रणाली के बारे में

यह क्या है

हैमर एक सटीक निशाना लगाने वाला, हवा से ज़मीन पर मार करने वाला हथियार है जिसे सुरक्षित या स्ट्रेटेजिक रूप से ज़रूरी टारगेट पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मॉडर्न एयरक्राफ्ट के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है और मुश्किल, पहाड़ी या ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में असरदार है।

तकनीकी विशेषताओं

मॉड्यूलर वास्तुकला

स्टैंडर्ड बमों को गाइडेंस और ऑप्शनल रेंज-एक्सटेंशन किट से बेहतर बनाया गया है, जिससे कॉमन बेस हथियारों के ज़रिए मिशन में आसानी और अच्छी लॉजिस्टिक्स हो पाती है।

सटीक मार्गदर्शन

कई गाइडेंस ऑप्शन—GPS/INS, इंफ्रारेड, और लेज़र—हाई एक्यूरेसी पक्का करते हैं और कोलेटरल डैमेज को कम करते हैं। यह सिस्टम बंकर, एयरफील्ड, शेल्टर और दूसरी मज़बूत चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ कर सकता है।

स्टैंड-ऑफ क्षमता और चपलता

लगभग 70 km की रेंज के साथ, HAMMER एयरक्राफ्ट को दुश्मन की एयर-डिफेंस पहुंच से बाहर से हमला करने में मदद करता है। इसकी फुर्ती मुश्किल इलाकों में, खासकर भारत की उत्तरी सीमाओं पर ऑपरेशन में मदद करती है।

प्लेटफ़ॉर्म एकीकरण

राफेल के साथ पहले से ही इंटीग्रेटेड, HAMMER को LCA तेजस के लिए तैयार किया जा रहा है। क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल से इंडियन एयर फ़ोर्स और नेवी के एसेट्स में एक जैसी सटीक-स्ट्राइक क्षमता मज़बूत होती है।

संयुक्त विनिर्माण और स्वदेशीकरण

स्थानीयकरण प्रयास

BEL-सफ्रान प्रोजेक्ट का टारगेट लगभग 60% लोकलाइज़ेशन है। BEL फ़ाइनल असेंबली, टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज करेगा, और गाइडेंस और वेपन टेक्नोलॉजी में घरेलू एक्सपर्टाइज़ में योगदान देगा।

रणनीतिक लाभ

लोकलाइज़्ड प्रोडक्शन से इम्पोर्ट पर निर्भरता कम होती है और लंबे समय तक भरोसेमंद सप्लाई चेन पक्की होती है। इससे भविष्य में भारत के लिए खास अपग्रेड भी मुमकिन होते हैं और ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी बेहतर होती है।

महत्व

'मेक इन इंडिया' को मजबूत करना

घरेलू प्रोडक्शन भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस इकोसिस्टम के लक्ष्य को सपोर्ट करता है और इससे प्रिसिजन-गाइडेड हथियारों के लिए एक्सपोर्ट की संभावनाएं बन सकती हैं।

उन्नत परिचालन क्षमता और निरोध

हैमर मज़बूत, ज़्यादा कीमत वाले टारगेट पर सटीक, सीधे हमला करने के ऑप्शन देता है, जिससे सेंसिटिव इलाकों में रोकथाम और ऑपरेशनल तैयारी बेहतर होती है।

लागत और आपूर्ति श्रृंखला लाभ

स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग से इमरजेंसी इम्पोर्ट में होने वाली देरी कम होती है और विदेशी खरीद पर निर्भर रहने की तुलना में यह समय के साथ कॉस्ट-इफेक्टिव भी है।

निष्कर्ष

BEL–सफ्रान हैमर वेंचर भारत की सटीक हमला करने की क्षमता और रक्षा में आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। यह सप्लाई चेन को मजबूत करता है, स्वदेशीकरण को सपोर्ट करता है, और भविष्य की ऑपरेशनल ज़रूरतों के लिए तैयारी को बढ़ाता है।

फुजिवारा प्रभाव

विषय: भूगोल

प्रसंग

बंगाल की खाड़ी में बनने वाले दो साइक्लोन फुजिवारा इफ़ेक्ट से गुज़र सकते हैं, जिसमें आस-पास के तूफ़ान आपस में मिलते हैं और एक ही सेंटर के चारों ओर घूमते हैं, जिससे उनके रास्ते, स्पीड और इंटेंसिटी बदल जाती है।

फुजिवारा प्रभाव क्या है?

- 1921 में साकुहेई फुजिवारा ने इसकी पहचान की थी। इसमें बताया गया है कि कैसे लगभग 1,400 km के अंदर दो साइक्लोनिक सिस्टम एक ही पिवट पर चक्कर लगाना शुरू करते हैं, जब उनके सर्कुलेशन आपस में मिलते हैं।
- उत्तरी गोलार्ध में, वे इस कॉमन सेंटर के चारों ओर एंटी-क्लॉकवाइज़ घूमते हैं, और नॉर्मल रास्ते से भटक जाते हैं।
- ताकत के आधार पर, एक तूफ़ान ज़्यादा मज़बूत सिस्टम में खिंचकर सोख सकता है, दोनों मिलकर एक बड़ा साइक्लोन बन सकते हैं, या वे एक-दूसरे को अलग-अलग रास्तों पर धकेल सकते हैं, जिससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है।

प्रमुख विशेषताऐं

- एक ही सेंटर के चारों ओर आपसी रोटेशन, जिसमें मोशन और स्पीड में बदलाव होता है।
- एनर्जी या नमी का ट्रांसफर हो सकता है, जिसमें मज़बूत सिस्टम कमज़ोर सिस्टम पर असर डालेंगे।
- ट्रैक और इंटेंसिटी के अनुमान में ज़्यादा अनिश्चितता, जिससे तैयारी पर असर पड़ रहा है।
- एक बड़े, ज़्यादा विनाशकारी तूफ़ान में मिलने की संभावना।
- साइक्लोन धीमे हो सकते हैं या रुक सकते हैं, जिससे बारिश का समय और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है।

गठन कारक

- चक्रवात ~1,400 km के अंदर होना चाहिए।
- एक ही रोटेशनल दिशा (नॉर्दर्न हेमिस्फ़ेयर में काउंटर-क्लॉकवाइज़)।
- समुद्र की सतह का तापमान 26°C से ज़्यादा गर्म रहता है और हवा का कम बहाव होता है, जिससे तूफ़ान का स्ट्रक्चर बना रहता है।

आशय

- हवा के रुख में रुकावट के कारण अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है।
- तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, श्रीलंका और म्यांमार में तेज़ और लंबे समय तक बारिश की संभावना है।
- अगर सिस्टम आपस में मिल जाते हैं या मजबूत हो जाते हैं, तो तूफानी लहरें, तेज़ हवाएं और तटीय नुकसान की संभावना ज़्यादा होती है।

निष्कर्ष

फुजिवारा इफ़ेक्ट साइक्लोन के डायनामिक्स की मुश्किलों को दिखाता है, जिससे तटीय इलाकों के लिए भविष्यवाणी करने में मुश्किलें और रिस्क का लेवल बढ़ जाता है। साइक्लोन की घटनाओं के दौरान कमज़ोर समुदायों की सुरक्षा के लिए लगातार मॉनिटरिंग और समय पर अलर्ट देना ज़रूरी है।

हेली गुब्बी ज्वालामुखी

विषय: भूगोल

प्रसंग

इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी लगभग 10,000-12,000 साल तक शांत रहने के बाद 23 नवंबर 2025 को फटा, जिससे ऊंचाई पर राख का गुबार भारत की ओर बह रहा है, जिससे एविएशन सेफ्टी और सीमित एटमोस्फेरिक असर को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

मुख्य विवरण

- **ज्वालामुखी का प्रकार:** इथियोपिया के अफ़ार क्षेत्र में टेक्टोनिक रूप से सक्रिय अफ़ार डिप्रेशन और एर्टा एले ज्वालामुखी रेंज के भीतर एक शील्ड ज्वालामुखी।
- **विस्फोट:** एक सब-प्लिनियन विस्फोट से 45,000 फीट के पास राख का एक स्तंभ बना, जो कमर्शियल फ़्लाइट की ऊंचाई पर पहुंच गया।
- **बनावट:** एमिशन में ज्वालामुखी की राख, सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2), और 15,000–45,000 फीट के बीच ले जाए गए बारीक कांच जैसे कण शामिल थे।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** यह 10,000-12,000 सालों में हेली गुब्बी का पहला ज्ञात विस्फोट है, जो इसे हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका के लिए एक दुर्लभ और उल्लेखनीय भूवैज्ञानिक घटना बनाता है।

संविधान दिवस, भारत

विषय: राजनीति और शासन

प्रसंग

26 नवंबर को मनाया जाने वाला संविधान दिवस, 1949 में भारत के संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। 2015 से ऑफिशियली मनाया जाने वाला यह दिन, संवैधानिक मूल्यों और भारत के डेमोक्रेटिक विकास के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।

दिन के बारे में

पृष्ठभूमि

- संविधान सभा ने लगभग तीन साल की सोच-विचार के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया।
- यह 1930 के पूर्ण स्वराज घोषणा के सम्मान में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
- यह दिन भारत के एक सॉवरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में बदलाव को दिखाता है।

मुख्य उद्देश्य

- संवैधानिक सिद्धांतों, अधिकारों, कर्तव्यों और संस्थाओं की समझ को बढ़ावा देना।
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर और दूसरे संविधान बनाने वालों की भूमिका को पहचानें।
- नागरिकों और संस्थाओं को संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करें।

महत्व

- संविधान दिवस प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देता है।
- यह आज़ादी, बराबरी, न्याय और भाईचारे के आदर्शों को मज़बूत करता है जो भारत के डेमोक्रेटिक माहौल को बनाते हैं।

निष्कर्ष

संविधान दिवस भारत के बुनियादी कानूनी दस्तावेज़ को अपनाने का सम्मान करता है और इसके लोकतांत्रिक आदर्शों का जश्न मनाता है। यह नागरिकों को भारत के रिपब्लिकन ढांचे के लिए ज़रूरी अधिकारों, कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों को समझने और बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।

एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना

प्रसंग

2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुई इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज़ (ICDS) स्कीम, बच्चों और माँओं की हेल्थ को बेहतर बनाने के मकसद से भारत के सबसे ज़रूरी वेलफेयर प्रोग्राम में से एक है, जो पाँच दशकों से है। इतने सालों में, यह बचपन की देखभाल के लिए दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिटी-बेस्ड इंटरवेंशन में से एक बन गया है।

योजना के बारे में

स्थिति

- **केंद्र प्रायोजित योजना**

प्रशासनिक मंत्रालय

- **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी)**

लक्षित लाभार्थी

- **6 वर्ष से कम आयु के** बच्चे
- प्रेग्नेंट औरत
- स्तनपान कराने वाली माताएँ
- किशोरियां

उद्देश्य

- बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाएँ
- कुपोषण और स्कूल छोड़ने की दर कम करें
- बचपन के शुरुआती मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना
- मातृ स्वास्थ्य और जागरूकता में सुधार

सेवा वितरण तंत्र

आंगनवाड़ी सेंटर (AWCs) के ज़रिए लागू किया जाता है । ये सेंटर मांओं और बच्चों को न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशन से जुड़ी सर्विस देने के लिए सेंटर के तौर पर काम करते हैं।

आईसीडीएस के अंतर्गत छह मुख्य सेवाएँ

1. **पूरक पोषण**
2. **स्वास्थ्य और पोषण जांच**
3. **प्रतिरक्षा** *(स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर)*
4. **अनौपचारिक पूर्व-विद्यालय शिक्षा**
5. **पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा**
6. **रेफरल सेवाएँ**

ये सर्विसेज़ बचपन के शुरुआती विकास के कई पहलुओं पर ध्यान देती हैं, जिसमें शारीरिक विकास, सोचने-समझने की क्षमता और सामाजिक व्यवहार शामिल हैं।

महत्व और प्रभाव

- ICDS **दुनिया भर में सबसे बड़े बचपन और माँ के स्वास्थ्य प्रोग्राम में से एक है** ।
- यह इन समस्याओं से निपटने में अहम भूमिका निभाता है:
  - कुपोषण
  - टीकाकरण अंतराल
  - जन्म के समय कम वजन
  - प्रारंभिक बचपन की शिक्षा का अभाव
- यह प्रोग्राम **पब्लिक हेल्थ सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है** , जिसमें ASHAs, ANMs, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ और कम्युनिटी नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है।
- **UNICEF** , **वर्ल्ड बैंक** और दूसरे डेवलपमेंट पार्टनर्स से मिले सपोर्ट से कैपेसिटी-बिल्डिंग, मॉनिटरिंग और सर्विस क्वालिटी मजबूत हुई है।

कवरेज

- छह साल से कम उम्र के **3.9 करोड़ से ज़्यादा बच्चों** तक पहुँच
- **80 लाख से ज़्यादा गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को** फ़ायदा
- देश भर में **आंगनवाड़ी सेंटर्स** के बड़े नेटवर्क के ज़रिए लागू किया गया

परणाम

ICDS ने इसमें योगदान दिया है:

- प्रारंभिक बचपन में बेहतर पोषण
- उच्च टीकाकरण दरें
- औसत जन्म वजन में वृद्धि
- बेहतर सीखने की तैयारी
- बढ़ी हुई लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण

निष्कर्ष

ICDS स्कीम भारत के सोशल वेलफेयर सिस्टम का एक अहम हिस्सा है, जो छोटे बच्चों के पूरे विकास और माँ की सेहत को मज़बूत करने में मदद करती है। जैसे-जैसे यह अपने 50वें साल में पहुँच रही है, सभी इलाकों में असरदार, समय पर और सबको साथ लेकर चलने वाली सर्विस देने के लिए यूनिवर्सल कवरेज की दिशा में चल रहे सुधार और कोशिशें ज़रूरी हैं।

भारत का तेल आयात और मुद्रा अवमूल्यन

प्रसंग

रुपये का ₹83–90 प्रति USD की ओर बढ़ना भारत के इम्पोर्ट-हैवी स्ट्रक्चर, खासकर कच्चे तेल पर निर्भरता की वजह से बढ़ती डॉलर की डिमांड को दिखाता है, जो ग्लोबल ट्रेड में करेंसी पर लगातार दबाव डालता है।

मूल्यह्रास का तंत्र: मांग-आपूर्ति गतिशीलता

डॉलर-प्रधान व्यापार

- ग्लोबल ट्रेड ज़्यादातर डॉलर-इनवॉइस्ड है।
- भारतीय इंपोर्टर इंपोर्ट के पेमेंट के लिए डॉलर खरीदते हैं, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपये की सप्लाई होती है, जिससे करेंसी कमजोर होती है।

उच्च आयात बिलों का प्रभाव

- कच्चे तेल के भारी इम्पोर्ट से डॉलर की मांग बढ़ी।
- कमजोर रुपया इम्पोर्ट को महंगा बनाता है, जिससे बिल और बढ़ जाता है और फीडबैक लूप में डेप्रिसिएशन बढ़ जाता है।

भारत के इम्पोर्ट बिल को बढ़ाने वाले मुख्य इम्पोर्ट

1. कच्चा तेल (मुख्य कारण)

- भारत के इम्पोर्ट बिल का एक बड़ा हिस्सा इसी का है।
- दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमतों से रुपये पर दबाव बढ़ गया है।

2. अन्य प्रमुख आयात

- सोना
- इलेक्ट्रानिक्स
- उर्वरकों
- डिफेंस इक्विपमेंट

ये बाहरी पेमेंट में जुड़ते हैं, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है।

मूल्यह्रास बनाम अवमूल्यन

मूल्यह्रास

- मुद्रा मूल्य में बाज़ार-प्रेरित गिरावट
- फॉरेक्स डिमांड-सप्लाई में बदलाव से पैदा होता है

अवमूल्यन

- फिक्स्ड/पेग्ड व्यवस्थाओं के तहत नीतिगत निर्णय
- आधिकारिक तौर पर मुद्रा मूल्य में कमी

समाधान और हस्तक्षेप

1. इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करना

- कच्चे तेल पर कम निर्भरता स्थिरता के लिए ज़रूरी है।
- **20% इथेनॉल ब्लेंडिंग** जैसे उपायों से फ्यूल इंपोर्ट कम होता है और CAD का दबाव कम होता है।

2. RBI की भूमिका

- RBI उतार-चढ़ाव के दौरान रिज़र्व से डॉलर बेचता है, जिससे सप्लाई बढ़ती है और रुपये को सपोर्ट मिलता है।

3. विदेशी पूंजी आकर्षित करना

- ज़्यादा FDI और NRI इनफ्लो से रुपये की डिमांड बढ़ी।
- इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल मार्केट को टारगेट करते हैं।

4. निर्यात को बढ़ावा देना

- मैन्युफैक्चरिंग और कॉम्पिटिटिवनेस को मजबूत करने से स्टेबल फॉरेक्स इनफ्लो पक्का होता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फार्मा और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट लंबे समय तक करेंसी स्टेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं।

निष्कर्ष

कच्चे तेल की ज़्यादा कीमतें और ज़रूरी इंपोर्ट डॉलर की डिमांड बढ़ाकर रुपये को स्ट्रक्चरल तौर पर कमज़ोर करते हैं। इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना, एक्सपोर्ट बढ़ाना, विदेशी कैपिटल को आकर्षित करना, और RBI का समय पर दखल देना, ये सब मिलकर लंबे समय तक करेंसी की स्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी हैं।

एलसीए तेजस

संदर्भ:

नवंबर 2025 में दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान LCA तेजस क्रैश हो गया, जिससे इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) के पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल की मौत हो गई।

LCA तेजस के बारे में

LCA तेजस एक स्वदेशी 4.5-जेनरेशन, हर मौसम में काम करने वाला, मल्टी-रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो इंडियन एयर फ़ोर्स के फ़ाइटर फ़्लीट के मॉडर्नाइज़ेशन का एक अहम हिस्सा है। इसे एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) ने डिज़ाइन किया था और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने इसे बनाया था।

विकास और विशेषताएं:

- 1980 के दशक में MiG-21 की जगह लेने के लिए बनाए गए तेजस ने 2001 में अपनी पहली उड़ान भरी और 2016 में इसे IAF में शामिल किया गया।
- यह तेजस Mk-1 और Mk-1A जैसे बेहतर वेरिएंट में बदल गया है, जबकि ज़्यादा एडवांस्ड Mk-2 वर्शन पर काम चल रहा है।
- अपनी क्लास में सबसे हल्का और सबसे छोटा होने के लिए मशहूर तेजस में हाई मैन्यूवरेबिलिटी और कम वज़न के लिए कम्पोजिट एयरफ्रेम है।
- 4.5-जेनरेशन एवियोनिक्स से लैस, जिसमें AESA रडार, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सुइट्स, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल्स और ओपन आर्किटेक्चर मिशन कंप्यूटर शामिल हैं।
- इस एयरक्राफ्ट में क्वाड्रुप्लेक्स फ्लाई-बाय-वायर कंट्रोल्स हैं जो फुर्ती और पायलट की सेफ्टी पक्का करते हैं। यह एयर-टू-एयर और एयर-टू-ग्राउंड कॉम्बैट, विजुअल रेंज से परे मिसाइल फायरिंग, सटीक स्ट्राइक और समुद्री स्ट्राइक रोल्स सहित मल्टी-रोल ऑपरेशन्स में सक्षम है।
- इसमें इन-फ्लाइट रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है जो इसकी ऑपरेशनल रेंज को बढ़ाती है।

- सिंगल-सीट फाइटर, ट्विन-सीट ट्रेनर, और बेहतर सेंसर और सर्वाइवेबिलिटी के साथ Mk-1A में उपलब्ध है।

इस क्रैश पर बहुत दुख जताया जा रहा है, लेकिन इसे तेजस एयरक्राफ्ट की पूरी सेफ्टी या काबिलियत का इशारा नहीं माना जा रहा है। यह हाई-परफॉर्मेंस एरियल डिस्प्ले की चुनौतियों को दिखाता है और डेमोंस्ट्रेशन फ्लाइट्स के लिए कड़े सेफ्टी प्रोटोकॉल की अहमियत को दिखाता है। HAL और IAF तेजस प्रोग्राम की भरोसेमंदता और क्रेडिबिलिटी पक्का करने के लिए काम कर रहे हैं।

IMF भारत के फॉरेक्स फ्रेमवर्क के क्लासिफिकेशन में बदलाव करेगा

प्रसंग

IMF अपनी 2025 की आर्टिकल IV रिपोर्ट में, भारत के एक्सचेंज रेट सिस्टम को "क्रॉलिंग पेग" के तौर पर रीक्लासिफाई कर सकता है, जो ऑफिशियल पॉलिसी डिस्क्रिप्शन के बजाय रुपये के मूवमेंट और RBI के इंटरवेंशन पर आधारित होगा।

समाचार के बारे में

मुद्दे की प्रकृति

- IMF एक्सचेंज रेट सिस्टम का आकलन **असल में** करेंसी के व्यवहार के आधार पर करता है, न कि **कानूनी** लेबल के आधार पर।
- भारत के लिए:
  - रुपया **धीरे-धीरे, दिशा के हिसाब से बदलाव दिखा रहा है** ।
  - वोलैटिलिटी को कम करने के लिए RBI अक्सर दखल देता है।
- ये पैटर्न **रेंगने वाले पेग जैसे मैकेनिज्म जैसे दिखते हैं**।

आईएमएफ विनिमय दर वर्गीकरण का शासन

IMF की निगरानी की शक्ति उसके एग्रीमेंट के **आर्टिकल IV से आती है। व्यवस्थाओं को क्लासिफ़ाई करते समय, IMF जांच करता है:**

- वास्तविक विनिमय दर रुझान
- हस्तक्षेपों का पैमाना और नियमितता
- पॉलिसी के इरादे और मॉनेटरी इंडिपेंडेंस

इस तरह, क्लासिफिकेशन ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी के बजाय **देखे गए मार्केट डायनामिक्स को दिखाते हैं।**

भारत के लिए प्रासंगिक विनिमय दर व्यवस्थाओं के प्रकार

1. कोई अलग कानूनी निविदा नहीं

- देश दूसरे देश की करेंसी अपनाते हैं या मॉनेटरी यूनियन में शामिल होते हैं
- मौद्रिक प्राधिकरण देश के बाहर होता है

2. हार्ड पेग्स और कन्वेंशनल पेग्स

- सख्त समर्थन वाले करेंसी बोर्ड
- पारंपरिक खूंटे दखल देकर पतली पट्टियों को बनाए रखते हैं

3. हॉरिजॉन्टल बैंड के अंदर पेग्ड

- एक्सचेंज रेट सेंट्रल रेट के आस-पास घोषित ज़्यादा बड़ी लिमिट में रहता है

4. क्रॉलिंग पेग्स

- सेंट्रल रेट को समय-समय पर छोटे-छोटे स्टेप्स में एडजस्ट किया जाता है
- अक्सर महंगाई या कॉम्पिटिटिवनेस से जुड़ा होता है
- सीमित लचीलापन; मॉनेटरी पॉलिसी सीमित बनी हुई है

5. क्रॉलिंग बैंड

- बैंड एक धीमी सेंट्रल रेट के साथ चलते हैं
- लचीलापन बैंड की चौड़ाई पर निर्भर करता है

6. मैनेज्ड फ्लोट (कोई पहले से तय रास्ता नहीं)

- केंद्रीय बैंक चुनिंदा रूप से हस्तक्षेप करता है
- कोई तय टारगेट नहीं; वोलैटिलिटी कम करने और रिज़र्व बनाए रखने पर ध्यान

7. स्वतंत्र रूप से तैरना

- एक्सचेंज रेट मुख्य रूप से बाज़ारों द्वारा संचालित होता है
- अव्यवस्थित परिस्थितियों को छोड़कर न्यूनतम हस्तक्षेप

भारत की वर्तमान स्थिति

ऑफिशियली, भारत **मैनेज्ड फ्लोट को फॉलो करता है** ।

हालांकि, IMF स्टाफ ने नोट किया:

- रुपये का **स्थिर, दिशात्मक बहाव**
- तेज उतार-चढ़ाव के खिलाफ **RBI का लगातार हस्तक्षेप**
- एक पॉलिसी जो धीमी गति की अनुमति देती है लेकिन उतार-चढ़ाव से बचाती है

ये लक्षण **रेंगते हुए खूंटे जैसे हैं** , जिससे संभावित रीक्लासिफिकेशन हो सकता है।

निष्कर्ष

IMF का उम्मीद के मुताबिक रीक्लासिफिकेशन करेंसी मैनेजमेंट के लिए भारत के प्रैक्टिकल अप्रोच को दिखाता है। पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के बावजूद, रुपये का धीरे-धीरे नीचे आना और स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन क्रॉलिंग-पेग फीचर्स को दिखाते हैं, जो बाहरी स्टेबिलिटी को कंट्रोल्ड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बैलेंस करते हैं।

श्री गुरु तेग बहादुर

प्रसंग

2025 में, भारत ने लाल किले पर श्री गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत की सालगिरह मनाई, जिसमें उनकी शिक्षाओं, आध्यात्मिक विरासत और ज़मीर की आज़ादी की रक्षा के लिए उनके बलिदान का सम्मान किया गया।

श्री गुरु तेग बहादुर के बारे में

बैकग्राउंड: वह कौन था?

श्री गुरु तेग बहादुर (1621–1675), नौवें सिख गुरु, को आध्यात्मिक गहराई, नैतिक साहस और धार्मिक आज़ादी की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए याद किया जाता है।

अमृतसर में त्याग मल के रूप में जन्मे, वे गुरु हरगोबिंद के सबसे छोटे बेटे थे।

प्रारंभिक जीवन

- 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में जन्मे
- मार्शल आर्ट, धर्मग्रंथों और क्लासिकल भारतीय ग्रंथों में प्रशिक्षित
- **1634 में करतारपुर की लड़ाई** में बहादुरी के लिए "तेग बहादुर" की उपाधि मिली
- माता गुजरी से विवाह (1632)
- बकाला में लगभग 20 साल ध्यान और सेवा में बिताए

नौवें गुरु के रूप में स्थापना

- गुरु हर कृष्ण ने जाने से पहले "बाबा बकाले" का इशारा किया
- बकाला में कई दावेदार सामने आए
- माखन शाह लबाना ने तेग बहादुर को सच्चा गुरु माना
- अगस्त 1664 में एक सिख संगत द्वारा औपचारिक रूप से स्थापित किया गया

प्रमुख कार्य और योगदान

प्रचार और आउटरीच

उन्होंने गुरु नानक का संदेश फैलाने के लिए उत्तरी और पूर्वी भारत: पंजाब, UP, बंगाल, बिहार, असम और ढाका की यात्रा की। मुख्य पहल:

- सिख केंद्रों की स्थापना
- लंगर का आयोजन
- गरीब समुदायों का समर्थन
- कुएँ खोदना

आनंदपुर साहिब की स्थापना

1665-1672 के बीच, उन्होंने बिलासपुर की रानी चंपा से ज़मीन ली और आनंदपुर साहिब (पहले चक्क नानकी) बसाया, जो एक बड़ा सिख स्पिरिचुअल सेंटर बन गया।

सामाजिक सुधार

उन्होंने जातिवाद, धार्मिक असहिष्णुता, दमनकारी शासन और रीति-रिवाजों का विरोध किया। उनकी शिक्षाओं ने *निर्भयता* और *निर्वैर को बढ़ावा दिया*, जिससे सिख नैतिक मूल्यों को मज़बूती मिली।

आध्यात्मिक और साहित्यिक योगदान

- **15 रागों** में **59 शब्द** और **57 श्लोक** रचे
- भक्ति, वैराग्य और नैतिक शक्ति पर ज़ोर दिया
- गुरु गोबिंद सिंह ने इन भजनों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया

औरंगजेब के साथ संघर्ष और शहादत

ऐतिहासिक संदर्भ

औरंगजेब के राज में धार्मिक अत्याचार बढ़ गए। कश्मीरी पंडितों ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी।

सर्वोच्च बलिदान

उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शहादत को चुना।

- रोपड़ में गिरफ्तार
- सरहिंद और दिल्ली में कैद
- भाई मति दास, भाई सती दास और भाई दयाला की क्रूर फांसी देखी
- 11 नवंबर 1675 को चांदनी चौक में सिर कलम कर दिया गया
- रकाब गंज साहिब में गुप्त रूप से अंतिम संस्कार किया गया

कृषि परिवर्तन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

संदर्भ

नवंबर 2025 में, वर्ल्ड बैंक ने "एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल" नाम की एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया है कि कैसे AI टेक्नोलॉजी को कम और मध्यम आय वाले देशों (LMIC) पर खास ज़ोर देते हुए, खेती के सिस्टम में ज़िम्मेदारी से बढ़ाया जा सकता है।

मौजूदा

AI ट्रेंड्स:

- लोकल भाषा की सलाह और प्रेडिक्टिव इनसाइट्स के लिए टेक्स्ट, इमेज, सैटेलाइट डेटा और सेंसर इनपुट को मिलाकर जेनरेटिव AI और मल्टीमॉडल मॉडल पर शिफ्ट करें।
- अलग-अलग पायलट के अलावा, फसल की खोज, सलाहकार सेवाएं, बीमा, लॉजिस्टिक्स और मार्केट इंटेलिजेंस सहित खेती की वैल्यू चेन में AI को अपनाना।
- खेती में AI के साथ तेज़ी से मार्केट बढ़ेगा, जिसकी कीमत 2023 में लगभग US$1.5 बिलियन होगी और 2032 तक इसके लगभग US$10.2 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।
- अफ्रीका और एशिया में AI एक्सपेरिमेंट पर फोकस किया गया, जिससे छोटे किसानों के लिए हाइपरलोकल मौसम का अनुमान, पेस्ट डायग्नोस्टिक्स और ऑप्टिमाइज्ड इनपुट का इस्तेमाल किया जा सके।
- कम कनेक्टिविटी वाले किसानों के लिए बेसिक स्मार्टफोन या ऑफलाइन डिवाइस पर चलने वाले हल्के AI मॉडल का आना।

AI से मिलने वाले मौके:

- फसल की पैदावार बढ़ी और पानी और फर्टिलाइज़र जैसे इनपुट का सही इस्तेमाल हुआ, जिससे कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स में केमिकल का इस्तेमाल 95% तक कम हो गया।
- AI से क्लाइमेट-रेज़िलिएंट किस्मों की ब्रीडिंग और बेहतर क्लाइमेट रिस्क मॉडलिंग के ज़रिए क्लाइमेट रेजिलिएंस को बढ़ाना।
- किसानों की इनकम और मार्केट एक्सेस में सुधार, जिसका उदाहरण भारत में सागु बागू जैसी पहल और हेलो ट्रैक्टर जैसे मैकेनाइजेशन एक्सेस टूल्स हैं।
- AI-बेस्ड क्रेडिट स्कोरिंग, माइक्रो-इंश्योरेंस, और क्लाइमेट-इंडेक्स्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के ज़रिए

फाइनेंशियल इनक्लूजन और रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ाया गया।

- AI से चलने वाले अर्ली-वॉर्निंग सिस्टम, पैदावार और कीमत का अनुमान, और फ़ूड सिक्योरिटी प्लानिंग के लिए टारगेटेड सब्सिडी के साथ बेहतर पब्लिक पॉलिसी बनाना।

पहल और कार्यान्वयन:

- वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल AI रोडमैप, जिसमें 60 यूज़ केस हैं, LMICs को एप्लीकेशन, गवर्नेंस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस देता है।
- IRRI और CIMMYT जैसे रिसर्च संस्थान तेज़ फ़ीनोटाइपिंग और जीनबैंक स्क्रीनिंग के लिए AI और मशीन लर्निंग का फ़ायदा उठाते हैं।
- इथियोपिया के "Coalition of the Willing" और भारत के Agricultural Data Exchange (ADeX) जैसे डेटा-शेयरिंग गठबंधन का मकसद डेटा सॉवरेनिटी बनाए रखते हुए AI मॉडल्स की ट्रेनिंग के लिए शेयर्ड लोकल डेटा लेयर्स बनाना है।
- केन्या के एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म (AIEP) और बिहार में AI एडवाइजरी पायलट जैसे पब्लिक-प्राइवेट प्लेटफॉर्म, हज़ारों किसानों को कई लोकल भाषाओं में AI-बेस्ड सलाह देते हैं।

मुख्य चुनौतियाँ:

- बड़ा डिजिटल डिवाइड और गांवों में इंटरनेट और बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने से AI का इस्तेमाल कम हो जाता है।
- ज़्यादा इनकम वाले इलाकों से ज़्यादातर ट्रेनिंग डेटा होने की वजह से डेटा में बायस है, जिसमें लोकल फसलों, मिट्टी और देसी खेती के तरीकों को कम दिखाया गया है।
- किसानों, खासकर महिलाओं और बुज़ुर्गों में डिजिटल लिटरेसी की कमी और भरोसे की समस्या, और भाषा की दिक्कतों की वजह से और भी बढ़ गई है।
- डेटा ओनरशिप, एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी और AI अकाउंटेबिलिटी के आसपास बदलते गवर्नेंस और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी भी काफ़ी नहीं हैं।
- बाहर रखे जाने और एक जगह जमा होने का खतरा, जहाँ AI एक्सेस से छोटे किसानों के बजाय बड़े एग्रीबिज़नेस को फ़ायदा हो सकता है और वेंडर लॉक-इन हो सकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- देशों को नेशनल AI स्ट्रेटेजी में एग्रीकल्चर को अलग से शामिल करना चाहिए, जिसमें फ़ूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट और न्यूट्रिशन टारगेट से जुड़े साफ़ लक्ष्य और फंडिंग प्रायोरिटी हों।
- पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर AI टूल्स को चालू करने के लिए ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन डेटा सेंटर और इंटरऑपरेबल सिस्टम में बड़ा निवेश।
- इनक्लूसिव और FAIR (फाइंडेबल, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल, और रीयूज़ेबल) डेटा इकोसिस्टम का डेवलपमेंट जो यह पक्का करे कि लोकल डेटा AI मॉडल्स को जानकारी दे।
- किसानों, एक्सटेंशन वर्कर्स और एग्री-टेक स्टार्टअप्स के लिए पूरी स्किल-बिल्डिंग, जिसमें लोकल भाषाओं और मल्टीमॉडल ट्रेनिंग तरीकों से AI लिटरेसी पर फोकस किया जाएगा।
- मज़बूत गवर्नेंस, नैतिक गाइडलाइंस और कानूनी फ्रेमवर्क बनाना, जो डेटा राइट्स, ट्रांसपेरेंसी, एनवायरनमेंटल सेफ़गार्ड्स और अकाउंटेबिलिटी पक्का करे, सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करे और सबको साथ लेकर चलने वाली पॉलिसी बनाए।

निष्कर्ष

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, क्लाइमेट चेंज से लड़ने की ताकत बढ़ाने और एग्रीफूड सिस्टम में एफिशिएंसी को बेहतर बनाने की क्षमता है। इन फायदों को पाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करना, मजबूत डेटा इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, किसानों की क्षमता बढ़ाना और भरोसेमंद गवर्नेंस बनाना ज़रूरी है। जब ज़िम्मेदारी से और सबको साथ लेकर इस्तेमाल किया जाता है, तो AI बड़े एग्रीकल्चरल सुधारों को पूरा कर सकता है और दुनिया भर में सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी, इनकम ग्रोथ और एनवायरनमेंट को बचाने में मदद कर सकता है।

राष्ट्रीय न्यायिक नीति

प्रसंग

नवंबर 2025 में, CJI सूर्यकांत ने कोर्ट में अलग-अलग फैसलों को कम करने और भारत के जस्टिस सिस्टम में तालमेल, कुशलता और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए एक नेशनल ज्यूडिशियल पॉलिसी का प्रस्ताव रखा।

समाचार के बारे में

पृष्ठभूमि

एक नेशनल ज्यूडिशियल पॉलिसी का सुझाव दिया गया है ताकि बड़े कानूनी और संवैधानिक मुद्दों का एक जैसा मतलब निकाला जा सके, और अलग-अलग ज्यूडिशियल राय से होने वाले कन्फ्यूजन को कम किया जा सके।

प्रमुख चिंताएँ

- हाई कोर्ट के अलग-अलग फैसले नागरिकों, संस्थाओं और बिज़नेस के लिए अनिश्चितता पैदा करते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट बेंच के अलग-अलग ऑर्डर से अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है।
- 5.4 करोड़ का बैकलॉग सिस्टम की कमियों को दिखाता है।
- ज़्यादा लागत, भाषा की कमी, दूरी और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछड़े तबकों पर बोझ डालते हैं।
- एक जैसा फ्रेमवर्क, कानूनी कामकाज में तालमेल पक्का करते हुए संवैधानिक मूल्यों को बनाए रख सकता है।

पहले से किए गए उपाय

- मीडिएशन और स्ट्रक्चर्ड ज्यूडिशियल ट्रेनिंग को बढ़ावा देना।
- ई-फाइलिंग, वर्चुअल हियरिंग और ट्रांसलेशन सिस्टम जैसे डिजिटल टूल्स का विस्तार।
- आर्बिट्रेशन को मज़बूत करना और विवाद सुलझाने को ग्लोबल नियमों के हिसाब से बनाना।
- कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफिंग और मॉडर्नाइजेशन में सुधार।

संवैधानिक ढांचा

- आर्टिकल 225 और 226 हाई कोर्ट को प्रोसिजरल ऑटोनॉमी देते हैं।
- किसी भी नेशनल पॉलिसी को प्रोसीजरल अलाइनमेंट को मुमकिन बनाते हुए ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस को बनाए रखना चाहिए।

चुनौतियां

- **संघीय विविधता**
  भारत की भाषाई और एडमिनिस्ट्रेटिव विविधता एक जैसा प्रोसेस अपनाने को मुश्किल बनाती है।
- **न्यायिक स्वतंत्रता**
  सुधारों से हाई कोर्ट की संवैधानिक ऑटोनॉमी को कमज़ोर होने से बचना चाहिए।
- **बुनियादी ढांचे और क्षमता अंतराल**
  कोर्टरूम, स्टाफ और टेक्नोलॉजी की कमी से लगातार लागू करने में रुकावट आती है।
- **डिजिटल विभाजन**
  टेक-ड्रिवन सिस्टम ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर इलाकों को बाहर कर सकते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

प्रारूपण और परामर्श

- सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लॉ मिनिस्ट्री के बीच मिलकर पॉलिसी बनाना।
- केस लिस्टिंग, टाइमलाइन, डॉक्यूमेंटेशन और मिसाल लागू करने के लिए आम स्टैंडर्ड बनाएं।

न्याय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना

- जजों और सपोर्ट स्टाफ़ की संख्या बढ़ाएँ।
- ज्यूडिशियल ट्रेनिंग और मॉडर्न कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना।
- ज़्यादा पहुंच के लिए कई भाषाओं वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ाएं।

एडीआर और समन्वय को बढ़ावा देना

- मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और ADR सिस्टम को बढ़ाना।
- अलग-अलग फैसलों को कम करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच रेगुलर तालमेल बनाना।

निष्कर्ष

एक नेशनल ज्यूडिशियल पॉलिसी ज्यूडिशियल प्रैक्टिस को आसान बना सकती है, एक जैसा काम कर सकती है, देरी कम कर सकती है, और न्याय को ज़्यादा आसान बना सकती है, बशर्ते वह सुधार और कोर्ट की आज़ादी के बीच बैलेंस बनाए।

यूएन ईएससीएपी एशिया-प्रशांत आपदा रिपोर्ट 2025

प्रसंग

2025 की UN ESCAP रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट की वजह से एशिया के बड़े शहरों में 2–7°C ज़्यादा गर्मी पड़ सकती है, जिससे मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग का असर और भी खराब हो सकता है।

मुख्य निष्कर्ष

1. शहरी ऊष्मा द्वीप तीव्रता

- 1.5-2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग के साथ भी, शहरों में +7 डिग्री सेल्सियस तक अतिरिक्त गर्मी देखी जा सकती है।
- घना कंस्ट्रक्शन, कम हरियाली, कंक्रीट का दबदबा, और वेस्ट हीट से तापमान बढ़ता है।
- दक्षिण एशियाई शहरों में आस-पास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में गर्मी का तनाव कहीं ज़्यादा होगा।

2. दक्षिण एशिया में लगातार गर्मी की स्थिति

- भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में साल में 300+ दिन तक हीट इंडेक्स 35°C से ज़्यादा रह सकता है।
- कुछ इलाकों में 200+ दिनों तक हीट-इंडेक्स का लेवल 41°C से ज़्यादा रह सकता है, जिससे बाहर काम करने और आने-जाने पर असर पड़ सकता है।
- हीट इंडेक्स, गर्मी और नमी के मिलने से होने वाले तनाव को बेहतर ढंग से दिखाता है।

3. अत्यधिक गर्मी की घटनाओं में वृद्धि

- 2024 सबसे गर्म साल था; हीटवेव और भी गंभीर हो गईं।
- बांग्लादेश में अप्रैल-मई में हुई घटना से 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए; भारत में ~700 मौतें हुईं।
- तेज़ी से शहरीकरण के कारण इस इलाके की 40% से ज़्यादा आबादी लंबे समय तक एक्सपोज़्ड रहेगी।

भेद्यता कारक

- ज़्यादा नमी से तटीय और नदी-बेसिन वाले इलाकों में गर्मी का असर बढ़ जाता है।
- बाहर काम करने वाले बड़े मज़दूरों के पास ठंडक, छाया और सुरक्षा की कमी है।
- शहरी गरीबी और इनफॉर्मल घरों की वजह से असुरक्षित तापमान का सामना करना पड़ता है।
- गर्मी से एयर पॉल्यूशन और बिगड़ जाता है, जिससे सांस और दिल से जुड़ी बीमारियां बढ़ जाती हैं।

चुनौतियां

- हीट एक्शन प्लान में फंडिंग, कोऑर्डिनेशन और सख्ती से लागू करने की कमी है।
- शहरी विकास में ग्रीन बफर्स, पानी की जगहों और वेंटिलेशन की जगहों को नज़रअंदाज़ किया जाता है।

- ठीक से मॉनिटरिंग न होने से सही फोरकास्टिंग और एडवाइज़री पर रोक लगती है।
- बहुत ज़्यादा गर्मी के दौरान हेल्थ सिस्टम, पावर ग्रिड और पानी की सप्लाई में दिक्कत होती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- फंडिंग, पहले से चेतावनी और लागू करने के साथ शहर के हीट एक्शन प्लान को मज़बूत करें।
- क्लाइमेट-सेंसिटिव शहरी डिज़ाइन को बढ़ावा दें—ग्रीन रूफ, रिफ्लेक्टिव सतहें, पेड़ और वॉटर ज़ोन।
- कमज़ोर ग्रुप्स के लिए गर्मी सहने वाले सिस्टम बनाएं—छाया, हाइड्रेशन पॉइंट, वर्कर प्रोटेक्शन।
- हेल्थ सर्विलांस और इमरजेंसी तैयारी को बढ़ाएं।
- डेटा, स्ट्रेटेजी और हीट-अडैप्टिव प्लानिंग के लिए रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाना।

निष्कर्ष

रिपोर्ट में एशिया के तेज़ी से बढ़ते शहरों के लिए गर्मी के बढ़ते खतरों पर रोशनी डाली गई है। मज़बूत हीट गवर्नेंस, अर्बन प्लानिंग और सोशल प्रोटेक्शन के बिना, साउथ एशिया को हेल्थ, इकॉनमी और प्रोडक्टिविटी के बढ़ते नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तेज़ी से एडजस्टमेंट ज़रूरी है।

एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (EIR) प्रोग्राम

प्रसंग

2025 BRIC AGM में, मंत्री जितेंद्र सिंह ने EIR प्रोग्राम को बायोटेक इनोवेशन का एक मुख्य ड्राइवर बताया, जिससे रिसर्चर-एंटरप्रेन्योर एडवांस्ड बायोलॉजिकल रिसर्च को काम के, स्केलेबल सॉल्यूशन में बदल सकें।

कार्यक्रम अवलोकन

BRIC–BIRAC के तहत EIR प्रोग्राम युवा इनोवेटर्स को हाई-रिस्क बायोटेक आइडिया को प्रूफ़ ऑफ़ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप या शुरुआती स्टेज के स्टार्टअप में बदलने में मदद करता है। यह लैब-टू-मार्केट गैप को भरने और भारत की बायोटेक इनोवेशन पाइपलाइन को मज़बूत करने के लिए फंडिंग, इनक्यूबेशन, मेंटरशिप और इंडस्ट्री लिंकेज देता है।

प्रमुख विशेषताऐं

1. शुरुआती चरण में इनोवेशन सपोर्ट

- हाई-रिस्क, हाई-इम्पैक्ट बायोटेक कॉन्सेप्ट के लिए फेलोशिप और ग्रांट।
- एंटरप्रेन्योरशिप, रेगुलेशन और IP मैनेजमेंट में ट्रेनिंग।

2. मेंटरशिप और इनक्यूबेशन

- साइंटिफिक मेंटर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, इनक्यूबेटर्स और इन्वेस्टर्स तक एक्सेस।
- पेटेंट फाइलिंग, प्रोटोटाइप बनाने और टेक्नोलॉजी वैलिडेशन को बढ़ावा देता है।

3. उद्योग और निजी क्षेत्र का एकीकरण

- बायोटेक फर्मों, MSMEs और निवेशकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देता है।
- BioE3 पॉलिसी प्रायोरिटी के साथ अलाइन्ड बायोइकोनॉमी लक्ष्यों को सपोर्ट करता है।

महत्व

- शुरुआती कमर्शियलाइज़ेशन सपोर्ट के ज़रिए भारत के रिसर्च-टू-मार्केट गैप को दूर करता है।
- तेज़ी से बढ़ रही बायोइकॉनमी को बढ़ावा देता है, जिसके USD 300 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।
- रिस्क लेने, इनोवेशन और साइंटिफिक सोच का कल्चर बनाता है।
- पेटेंट, पब्लिकेशन और ट्रांसलेशनल रिसर्च में BRIC की उपलब्धियों को पूरा करता है।
- मज़बूत पब्लिक-प्राइवेट इंटीग्रेशन के ज़रिए भारत की ग्लोबल बायोटेक पहचान को बेहतर बनाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- EIR सीटों को बढ़ाएं और AI-बायोटेक और मेड-टेक जैसे मल्टीडिसिप्लिनरी एरिया को बढ़ावा दें।
- टियर-2/3 पार्टिसिपेशन के लिए रीजनल इनक्यूबेटर को मज़बूत करना।
- बायोसेफ्टी, रेगुलेशन और IP सिस्टम में ट्रेनिंग को बेहतर बनाएं।
- तेज़ी से टेक डिप्लॉयमेंट के लिए लंबे समय की इंडस्ट्री पार्टनरशिप को और गहरा करें।

निष्कर्ष

EIR प्रोग्राम युवा साइंटिस्ट को रिसर्च को स्केलेबल सॉल्यूशन में बदलने के लिए मज़बूत बनाकर भारत के बायोटेक इकोसिस्टम को मज़बूत करता है। लगातार विस्तार, इंडस्ट्री में सहयोग और मज़बूत इनक्यूबेशन नेटवर्क भारत की इनोवेशन क्षमता और बायोइकोनॉमी ग्रोथ को तेज़ करेंगे।

सिरपुर पुरातात्विक स्थल

प्रसंग

छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के सिरपुर को UNESCO नॉमिनेशन के लिए तैयार कर रहा है। इसके लिए वह डिजिटल इंटरप्रिटेशन सेंटर, बेहतर रास्ते, इको-फ्रेंडली मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी और हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए थीमैटिक क्लस्टर शुरू कर रहा है।

साइट अवलोकन

रायपुर के पास महानदी पर बसा सिरपुर (पुराना श्रीपुर), पांडुवंशी और सोमवंशी शासकों के समय दक्षिण कोसल (5वीं-12वीं सदी CE) का एक बड़ा सेंटर था। अपने कई धर्मों के लिए मशहूर, इसमें हिंदू मंदिर, बौद्ध विहार, जैन जगहें, महल के बचे हुए हिस्से, बाज़ार, स्तूप, अनाज के भंडार और पानी के सिस्टम हैं। 1880 के दशक से हुई खुदाई से पता चला है:

- 22 शिव मंदिर
- 5 विष्णु मंदिर
- 10 बौद्ध विहार

- 3 जैन विहार
  एक फलते-फूलते कमर्शियल और अच्छे से प्लान किए गए शहरी सेंटर को दिखाते हैं।

वास्तुकला की मुख्य विशेषताएँ

लक्ष्मण मंदिर (7वीं शताब्दी ई.)

- पत्थर के प्लेटफॉर्म पर बना शुरुआती ईंटों का मंदिर।
- सुंदर शिखर, भगवान विष्णु की शानदार तस्वीर, और सुंदर ईंटों का काम।

सुरंग टीला परिसर (7वीं शताब्दी ई.)

- 9 m ऊंची छत पर 37 सीढ़ियों वाला ऊंचा पंचायतन स्ट्रक्चर।
- चार शिव मंदिर, गणेश मंदिर, और भूकंप के निशान वाला 32 खंभों वाला मंडप।

तिवरदेव बुद्ध विहार (8वीं शताब्दी ई.)

- एक बड़ा मठ जिसमें एक ही पत्थर की बनी अवलोकितेश्वर मूर्ति है।
- शिलालेखों में बौद्ध-हिंदू संपर्क दिखाया गया है।

बालेश्वर और गंधेश्वर मंदिर

- नक्काशीदार खंभे, महिलाओं की आकृतियां, दोबारा इस्तेमाल किए गए टुकड़े, और एक संगमरमर का लिंगम।
- लेयर्ड पूजा परंपराओं को दिखाएं।

शहरी नियोजन सुविधाएँ

- 6वीं सदी के बाज़ार, रिहायशी ब्लॉक और महानदी के किनारे घाट।
- पवित्र, नागरिक और कमर्शियल ज़ोन को एक साथ जोड़ा गया।

विकास योजनाएँ

सिरपुर को चार क्लस्टर में बांटा जाएगा—बौद्ध, हिंदू, सिविक-एडमिनिस्ट्रेटिव, और रिवराइन। प्लान किए गए अपग्रेड में बैटरी गाड़ियां, पक्के रास्ते, इंटरप्रिटेशन सेंटर, तीन भाषाओं वाले साइनेज, QR सिस्टम, गाइडेड सर्किट, कल्चरल इवेंट, और सर्वे और बेहतर साइट मैनेजमेंट के लिए ASI-मैनेज्ड ज़ोन को बढ़ाना शामिल है।

महत्व

- शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन परंपराओं के साथ रहने को दिखाता है।
- शुरुआती ईंट आर्किटेक्चर, धार्मिक कला और शहरी डिज़ाइन में हुए बदलावों पर रोशनी डालता है।
- दक्षिण कोसल के राजनीतिक इतिहास, व्यापार और मठों के नेटवर्क पर रोशनी डालता है।
- UNESCO का दर्जा टूरिज्म, रोजी-रोटी और लंबे समय तक संरक्षण को बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष

सिरपुर की कई धर्मों वाली विरासत, बेहतरीन आर्किटेक्चर और प्लान किया हुआ शहरी नज़ारा इसे शुरुआती मध्ययुगीन जगह के तौर पर दिखाता है। मज़बूत कंज़र्वेशन और विज़िटर सुविधाओं से दुनिया भर में पहचान और सस्टेनेबल हेरिटेज डेवलपमेंट की इसकी उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।

यूज़र-जेनरेटेड इंटरनेट कंटेंट को रेगुलेट करना

प्रसंग

नवंबर 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर बढ़ते अश्लील, नुकसानदायक, गुमराह करने वाले और AI से मैनिपुलेटेड कंटेंट का हवाला देते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से यूज़र-जनरेटेड कंटेंट के लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाने को कहा।

प्रमुख चिंताएँ

- **हानिकारक सामग्री का प्रसार**
  YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर UGC में अक्सर अश्लील, घटिया, हिंसक, बदनाम करने वाला या कट्टरपंथी कंटेंट होता है जो लंबे समय तक ऑनलाइन रहता है और एक्शन लेने से पहले उसे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं।
- **कमज़ोर समूहों पर प्रभाव**
  साफ़ कंटेंट की वजह से टीनएजर्स को गलत सोच का सामना करना पड़ता है; स्टडीज़ में एग्रेसिव पोर्नोग्राफ़ी को हिंसा से जोड़ा गया है। महिलाएं, बच्चे और गांव के लोग ज़्यादा एक्सपोज़्ड रहते हैं और कम सुरक्षित रहते हैं।
- **सीमांत सामग्री और असहमति**
  राजनीतिक असहमति सुरक्षित है, लेकिन बड़े पैमाने पर भड़काने वाला या भड़काऊ कंटेंट सुरक्षा की चिंता पैदा करता है और लोकतांत्रिक बातचीत में योगदान नहीं दे सकता है।
- **प्रौद्योगिकी-संचालित जोखिम**
  AI से बने डीपफेक और सिंथेटिक मीडिया गलत जानकारी और नुकसान पहुंचाने वाले बिहेवियरल पैटर्न को बढ़ाते हैं।

कानूनी ढांचा

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 19(1)(ए): अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 19(2): शालीनता, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि और सुरक्षा पर उचित प्रतिबंध।

वैधानिक ढांचा

- **IT एक्ट 2000** : सेक्शन 67 और 67A अश्लील या सेक्सुअली साफ़ कंटेंट को टारगेट करते हैं।
- **आईटी नियम 2021** : उचित जांच, शिकायत निवारण और टेकडाउन प्रोटोकॉल की आवश्यकता है।
- **सुरक्षित बंदरगाह (धारा 79)** : यदि उचित तत्परता का पालन किया जाता है तो मध्यस्थों की रक्षा करता है।

प्रस्तावित संशोधन

- आयु-आधारित सामग्री रेटिंग (U, U/A, A).
- अश्लीलता, स्पष्ट सामग्री और हानिकारक "राष्ट्र-विरोधी" सामग्री पर सख्त नियम।
- AI, डीपफेक और मैनिपुलेटेड मीडिया के लिए नैतिक नियम।

चुनौतियाँ और न्यायालय के निर्देश

- **अप्रभावी स्व-नियमन**

प्लेटफ़ॉर्म अक्सर टेकडाउन में देरी करते हैं और नुकसानदायक UGC के लिए जवाबदेही से बचते हैं।

- **एक स्वतंत्र प्राधिकरण की आवश्यकता**
  कोर्ट ने ज्यूडिशियल, टेक्निकल और डोमेन एक्सपर्ट्स वाला एक रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव रखा है, जो राज्य या कॉर्पोरेट के असर से मुक्त हो।
- **हितधारक परामर्श**
  NBDA, सिविल सोसाइटी, डिजिटल राइट्स ग्रुप्स और प्लेटफॉर्म्स से इनपुट लेने की सलाह दी गई।
- **अधिकारों और सुरक्षा के बीच संतुलन**
  रेगुलेशन को फ्री स्पीच को दबाए बिना नुकसानदायक कंटेंट पर रोक लगानी चाहिए।
- **सामग्री चेतावनियाँ और सुरक्षा लेबल**
  कोर्ट सेंसिटिव मटीरियल के लिए साफ़, उम्र के हिसाब से चेतावनी देने पर ज़ोर देते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- UGC की निगरानी और अपील के लिए एक कानूनी, स्वतंत्र रेगुलेटर बनाना।
- प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग, एज-गेटिंग और टेकडाउन टाइमलाइन पर प्लेटफॉर्म की ड्यूटी को मजबूत करें।
- डीपफेक, चाइल्ड अब्यूज़ कंटेंट और वायलेंट मटीरियल का पता लगाने के लिए एडवांस्ड AI का इस्तेमाल करें।
- नुकसानदायक या छेड़छाड़ किए गए कंटेंट की पहचान करने के लिए डिजिटल लिटरेसी बढ़ाएं।
- वैध असहमति की रक्षा करते हुए अनुच्छेद 19(2) के अनुरूप आनुपातिक विनियमन सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष

बोलने की आज़ादी को कम किए बिना नुकसानदायक ऑनलाइन कंटेंट को रोकने के लिए एक खास UGC रेगुलेटर ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट और टेक-इनेबल्ड निगरानी से ज़्यादा सुरक्षित डिजिटल जगहें बन सकती हैं और यूज़र की सुरक्षा के साथ संवैधानिक अधिकारों को बैलेंस किया जा सकता है।

RACE IAS

RACE IAS®

Since 2010

UPPCS MAINS 2025

TEST SERIES

सामान्य अध्ययन, हिंदी और निबंध

Mode : ऑफलाइन / ऑनलाइन

Medium : English / हिंदी

ADMISSION OPEN

TOTAL TEST 14

प्रश्नों की प्रकृति:
परम्परागत, अवधारणात्मक
एवं करेंट अफेयर्स आधारित

टेस्ट आरंभ **13** दिसंबर 2025

FEE : 5000/-

कम से कम एक बार मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए फीस मात्र 4000/-

EVERY SATURDAY | TIME : 3 TO 6 PM

OUR OFFLINE CENTER

ALIGANJ	INDIRA NAGAR	ALAMBAGH	KANPUR
7388114444	9044137462	8917851448	9044327779